राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ५६वां दिवस [संख्या ३४

गुरुवार, १८ दिसम्बर, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. १२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १३३१

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३३२

श्री अर्जनदास

(अनुपस्थित)

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट व्यावर के खिलाफ शिकायत

१३३३. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट व्यावर ने १३-११-५८ को श्री हरिप्रसाद गर्ग, एडवोकेट व्यावर को अपने चेम्बर में बुलाकर उनको बस स्टेन्ड पुलिस स्टेशन व्यावर के सामने न लाने के सम्बन्ध में चालान किया । कतिपय व्यक्तियों के मुकद्दमें में पैरवी करने से बेजा दबाव डाल कर रोक देने के इरादे से धमकी देते हुए कहा कि :

"दिनांक १७ से देखो मैं क्या जुल्म करता हूं । यदि पुलिस चाहे तो अकेली कुछ नहीं कर सकती और यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों के काल्यूजन से सब कुछ हो सकता और मैं देखता हू कि बस स्टेन्डय हां कैसे नहीं आता है । १७ तारीख से झूठे-सच्चे चालान कराकर २,००,०००) रु० जुर्माना वसूल करूंगा ?"

(ख) क्या यह भी सही है कि १४-११-५८ को उपरोक्त मजिस्ट्रेट ने उक्त एडवोकेट को खुली अदालत में इसी विषय के एक चालान मुकद्दमें में सरकार बनाम छोटेखां वगैरह में पैरवी कर चुकने के पश्चात् यह धमकी भी दी कि देखता हूं कि तुम कैसे वकालत करते हो ? वकालत करना भुला दूंगा । साथ ही क्या उक्त मजिस्ट्रेट ने उक्त एडवोकेट के मुवक्किलों को भी उसी समय मां-बहिन की भद्दी गालियां देते हुए यह खुली धमकी दी कि "देख लूंगा, रोज चालान होंगे, तुम भी यहीं रहते हो, मुझे भी यहीं रहना है ।"

(ग) क्या यह सच है कि उक्त मजिस्ट्रेट

(श्री पी० के० चौधरी)

ने तारीख १५-११-५८ को मोटर- ड्राइवर श्री अचलसिंह को ७००) रु० जुर्माना व चार माह की सख्त सजा का फैसला सुनाने के पश्चात् फैसले इत्यादि की नकल की दर्ख्वास्त व दर्ख्वास्त जमानत को सरे इजलास फाड़ कर फेंक दिया ?

(घ) क्या यह सच है कि ता० १६-११-५८ को उक्त मजिस्ट्रेट के इस अभद्र व अन्याय-पूर्ण व शर्मनाक व्यवहार के विरुद्ध मोटर कर्मचारियों की हड़ताल रही जिसके कारण ब्यावर से चलने वाली बसें उस दिन नहीं जा सकीं व इससे आम जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा ? क्या यहां आम हड़ताल की पुनरावृत्ति की भी संभावना है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस विवाद-ग्रस्त बस स्टेन्ड के उद्घाटन के लिए माह सितम्बर, १९५८ में या उसके करीब मुख्य मन्त्री महोदय जाने को थे व फिर तारीख ४-१०-५८ को मुख्य मन्त्री की एवज में इस स्टेन्ड का उद्घाटन करने जाने वाले सज्जन के समक्ष आम जनता ने काले झन्डों का चार घन्टों तक प्रदर्शन करके अपनी नाराजी जाहिर की ?

(च) क्या सरकार उपरोक्त मजिस्ट्रेट के कथित दुराचरण व अधिकारी के शर्मनाक दुरुपयोग की इन अत्यन्त गम्भीर घटनाओं की खुली अदालदती जांच कराने को तैयार है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

1. No.

2. No.

3. No.

4. An agitation was organised by some interested party but it has been called off and the new Bus Stand is functioning peacefully. There is no chance of any general strike.

5. Some interested persons agitated against the establishment of the new Bus Stand.

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या मन्त्री माननीय महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई शिकायत पेश की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या मजिस्ट्रेट के खिलाफ पब्लिक एजीटेशन यों ही करती थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे मोटर बस स्टेन्ड को चेन्ज कर रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि चेन्ज हो जाय, इसलिए एजीटेशन हुआ ।

श्री किशनाराम : बस स्टेन्ड का एस० डी० एम० से क्या ताल्लुक था ?

पी० के० चौधरी : क्या एस० डी० एम० के खिलाफ रिप्रजेन्टेशन मिला है पब्लिक की तरफ से ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेट का व्यवहार पब्लिक के साथ में अच्छा नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : फैक्टस आपके सामने हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री पी० के० चौधरी : In the open court the Magistrate threatened one of the advocates that he cannot practice before other persons. He has done in the open court. We are prepared to ...

श्री अध्यक्ष : You are at liberty to do so. The best thing was to approach to the Hon'ble Minister with an application instead of putting a question here.

श्री पी० के० चौधरी : It has been submitted.

श्री मूलचन्द डागा : हरिप्रसाद एडवोकेट हैं या प्लीडर ?

श्री रामकिशोर व्यास : एडवोकेट हैं या प्लीडर, यह कोर्ट से मालूम करें।

श्री श्रीमानसिंह : Did the Government enquire from the Bar Association whether the Magistrate made such a statement ?

श्री रामकिशोर व्यास : There was no necessity of it.

श्री श्रीमानसिंह : On what basis the Hon'ble Minister is saying that he did not behave in such a manner.

श्री रामकिशोर व्यास : क्वेश्चन आया तो उनसे पूछा और जवाब दिया।

श्री पी० के० चौधरी : किससे पूछा था आपने ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसकी शिकायत की गई उससे।

श्री पी० के० चौधरी : He should have conducted an independent enquiry.

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी का प्रश्न रहता नहीं है। आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया।

डॉ० बहादुरसिंह : यह कैसे हो जाता है कि जिस अधिकारी की शिकायत की जाती है, उसीसे आप पूछते हैं तो वह कब बतायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : और किससे पूछेंगे ? He is the best person to say.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Government conduct an enquiry into the matter not through the S. D. M. but through somebody above the S. D. M.

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट में यदि कहा है तो इन्क्वायरी कर सकते हैं, यह डाउटफुल मैटर है।

श्री किशनसिंह (लछमणगढ़) : ऐसे कितने एस० डी० एम० हैं जिनको राजस्व मन्त्री जी ने छूट दी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राधावल्लभ व्यास जयपुर की गिरफ्तारी

१३३४ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Home Minister be pleased to state:

1. Is it correct that Shri Radha Ballabh Vyas Nazir, City Magistrate Court, Jaipur was arrested on 21.5.57 for not accounting for Rs. 481/- lying

(श्री पी० के० चौधरी)

in double lock of which one key remained with the then City Magistrate ?

2. Is it also correct that after his arrest the following challans were submitted by the Police in the courts of the 1st and 2nd City Magistrates, Jaipur:

1. to Rs. 480/- In the court of
2. to Rs. 101/- 2nd Magistrate, in
3. to Rs. 200/- July and September, 1957.
4. to Rs. 1 only In the Court of 1st
5. to Rs. A Cycle. Magistrate in September, 1957,

3. Is it correct that Shri Radha Ballabh is still in Judicial custody and no bail has yet been granted ?

4. Is it correct that the High Court was moved in the matter and the High Court ordered him to be released on a bail of Rs. 5000/-in all the five cases. Pending trial and Shri Radha Ballabh's bail was furnished by a Govt. servant, possessing a bunglow worth Rs. 30,000/-and a surity by an advocate, but the 2nd Magistrate rejected the bail on the plea that the bail should be furnished by a person who has cash balance.

5. Is it correct that the polic has informed the City Magistrate not to release him on bail. or he should be handed over to the Pelice as more challans are pending against him ?

6. Is it also correct that the cashier of the same court was also arrested on account of a shortage in the cash balance to the tune of Rs. 3,500/-but he has been allowed to be released on bail though there are so many challans pending against the cashier ?

7. How long the Police will take to submit all the challans pending against Shri Radha Ballabh so that he may arrange for release on bail ?

8. Is it correct that in the Police Manual there is no time limit for submitting the challans and the Police may take even years to submit the challans if they want to harass any person ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) श्री राधावल्लभ व्यास को दिनांक २१-५-५७ को बसिलसिले गबन ४८० रु० और अन्य दूसरी ऐसी सरकारी रकमें व बहुमूल्य वस्तुयें जो मालखाने में उसकी देखरेख में थीं, गिरफ्तार किया गया। ४८० रु० की रकम डबल लॉक में नहीं थी बल्कि मालखाने में नवम्बर सन् १९४९ से थी। श्री राधावल्लभ ने मार्च सन् १९५३ में श्री रामलाल से नाजिर का कार्यभार संभाला और वह रकम अन्य दूसरी मालखाने की वस्तुओं के साथ चार्ज में संभाली।

(२) सिटी मजिस्ट्रेट जयपुर की अदालत के मालखाने से सम्बन्धित ४८० रु० और १०१ रु० की रकमों का चालान व विशेष दन्ड नायक की अदालत का २०० रु० का चालान, द्वितीय सहायक कलेक्टर एवं दण्डनायक जयपुर सिटी की अदालत में

(श्री रामकिशोर व्यास)

क्रमश: १६-७-५८ व २-१-५८ को पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये। द्वितीय सहायक कलेक्टर एवं दन्डनायक प्रथम श्रेणी की अदालत के मालखाने का १ रु० का व एक साइकिल का इस प्रकार दोनों चालान पुलिस ने सहायक कलेक्टर एवं दन्डनायक प्रथम श्रेणी की अदालत में क्रमश: ११-१-५८ व २-१-५८ को प्रस्तुत किये।

(३) जी हां, यह सही है।

(४) उच्च न्यायालय ने आदेश दिये कि यदि श्री राधावल्लभ प्रत्येक केस में २०० रु० का मुचलका व उसी कदर जमानत प्रथम दन्डनायक जयपुर सिटी नं २ सिटी मजिस्ट्रेट व विशेष दन्डनायक जयपुर के न्यायालयों में उपस्थिति के लिये पेश कर दे तो उसे रिहाई दी जावे।

श्री बिहारीलाल नामक अध्यापक राजकीय हाई स्कूल, मोतीकटला जो कि प्लॉट सं० एफ २८ सी स्कीम जयपुर में रहते हैं, सहायक कलेक्टर एवम् दन्डनायक जयपुर सिटी द्वितीय की अदालत में ता० १-१०-५८ को हर तीनों मुकदमात में एक एक हजार रुपये की अलग अलग जमानत देने के लिये यह कहते हुए उपस्थित हुए कि बंगला जिसके वे मालिक हैं, करीबन २० हजार रुपये की मालियत का है।

फौजदारी मुकदमात में जामिन की मौतबिरी चल सम्पत्ति जो उसकी मिलकियत है उसके आधार पर ही स्वीकर की जाती है। इस केस में जमानती ने यह बयान किया कि उसके पास ये सोने-चांदी के १५०० रुपये की कीमत के जेवरात हैं लेकिन वे "स्त्रीधन" होने की वजह से उसकी धर्मपत्नी से सम्बन्धित हैं और उसके पास अन्य नकद रुपया नही है। उसने यह बयान नहीं किया कि उसके पास दूसरी अन्य चल सम्पत्ति है। इन परिस्थितियों में उसकी जमानत अदालत द्वारा स्वीकार नहीं की गई। श्री राधावल्लभ की जमानत देने के लिये कोई एडवोकेट अदालत के सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ।

(५) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(६) जी हां। २७-५-५७ को १४१६६ ६६ नये पैसे सरकारी रकम के गबन के सिलसिले में गिरफ्तार किया। कैशियर इसी प्रकार एक २५५ रु० १३ आ० ६ पा० और दूसरे २५०६ रु० ५ आ० ६ पा० के अन्य दो गबन के मुकदमों में भी शरीक जुर्म है। उसे सेशन्स कोर्ट जयपुर सिटी की आज्ञा संख्या १४० दिनांक ३१-१०-५७ द्वारा बीस बीस हजार रुपये की २ जमानतें और ४० हजार रुपये के स्वयं के मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

(७) श्री राधावल्लभ के विरुद्ध १६ मुकदमें सम्बन्धित रिकार्ड पूर्ण तथा उपलब्ध न होने के कारण पुलिस द्वारा तफतीश के लिये रुके हुए हैं। फिर भी तफतीश अधिकारी को जल्दी छानबीन पूरी करने के लिये आदेश दिये गये हैं। इन केसेज के चालान यथाशीघ्र पुलिस द्वारा तफतीश पूर्ण करते ही प्रस्तुत किये जावेंगे।

(८) जी नहीं। आम तौर से पुलिस की तफतीश जितनी जल्दी पूरी हो सके, की जाती है और जब जुर्म साबित करने के लिये हर बात पर जांच द्वारा पूरी सूचना एकत्रित करा ली जाती है तो चालान अदालत में पेश कर दिया जाता है। यदि तफतीश में कभी

Page No.6

(श्री रामकिशोर व्यास)

देरी होती है तो उसका कारण यह होता है कि जांच के दौरान में हर बात पूरी पूरी सामग्री समय पर नहीं मिल पाती है। तफ्तीश के दौरान में मुलजिम को तंग करने की नीयत से कभी देरी नहीं की जाती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पहली जमानत देने वाले की जमानत तस्दीक हो चुकी थी, क्या वकील द्वारा ?

श्री रामकिशोर व्यास : सारा केस कोर्ट में पेन्डिंग है, कोर्ट ने जमानत का आॅर्डर दिया। केस सब-जुडिस है, इसलिये इस पर आगे सवाल अलाॅउ नहीं होना चाहिये। सवाल आगया था इसलिये जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : पुलिस के चालान में देरी हुई, इसके बारे में आपने कह दिया।

श्री पी० के० चौधरी : I wanted to know from the Hon'ble minister as to how long will the police take to submit the challans for the fellow and to detain him in their custody ? It is already for over a year. So what time will it take more ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिकार्ड पूरा मिल नहीं रहा है। वह पुलिस कस्टडी में नहीं है और न हमने रोक रखा है।

श्री पी० के० चौधरी : फिर चालान क्यों नहीं कम्पलीट करते ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिकार्ड मिस हो रहा है।

नैनवारा जागीर के जंगलों से ईंधन हटाने का ठेका

१३३५ श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा : Will the Forest Minister be pleased to state:

1. Is it correct that contract for removing fire woods, charcoal and for preparing 'Katha' from the forest of Nainbara Jagirs, range Kherwada, in Udaipur Division was given to Mohan Lal S/o Nawal Ram Kala 1 of Surajpole Udaipur, on 24-4-1947 by Collector Kherwada for 5 years from the date of signing the agreement on payment of an annual lease money of Rs. 3,000/- ?

2. Is it correct that this contract has extended in 1952 for another 4 years of the same terms ?

3. Is it correct that this contract was again renewed by the State Government in favour of Shri Mohan Lal for a further period of 5 years (from 6-1-56 to 31-5-60) on pay-ment of lease money of Rs. 3,750/- per year and the contract agreement was signed on 8-10-57 ? Is it also correct that the contract has been renewed in favour of Shri Mohan Lal in consideration of such a nominal amount, without having any public auction, had it been done, it would have brought an annual revenue of Rs. 2,00,000/- to the Government Treasury ?

4. Is it correct that according to condition No. 2 of the contract, Shri Mohan Lal was to construct a moto-

(श्री पी० के० चौधरी)

rable road from the village Borikuda or Thidi to Kivda, and get it certified by the executive engineer and after that the contract was deemed to have begun and there after he would have been entitled to remove the said forest goods or produce, but in violation of this the contractor is allowed to remove the forest goods, though the road is yet constructed ?

5. Is it correct that according to clause 5 of the agreement he has to cut the forest trees systematically from one end, but he is filling the trees etc. in a haphazard manner ?

6. (a) Is it correct that according to clause 9 of the agreement the contractor was prohibited from sub-letting any parts of the forest to petty contractors but in violation of this clause, the contractor has sublet to the following petty contractors on the terms mentioned against their names:

(1) Akbar Ali Fajal Hussain at Rs. 50,000 per year (for praparing kattha).

(2) Fakir Mohammad at Rs. 15,000 per year (for 10,000 bags of chartcoal at the rate of Rs. 1/8/0 per bag).

(3) Habibbhai and Husimbhai (30,000 bag charcoal at the rate of Rs. 1/8/0 per bag) at Rs. 45,000 per year.

(4) Ahmad Bhai (for 5,000 bags of charcoal at the rate of Rs. 1/8/0 per bag) at Rs. 7,500 per year.

(5) Yusuf Luhar (for 5,000 bags of charcoal at the rate of Rs. 1/8/0 per bag) at Rs. 7,500 per year.

(6) Contractors of bamboos for Rs. 32,000 per year.

Total Rs. 1,57,000

(b) Is it correct that these petty contractors have earned a net annual income of Rs. 3,00,000 from this forset and is it correct that the Govt. has incurred a loss in its revenue to the tune of Rs. 13,50,000 since the contract has been given in favour of Shri Mohan Lal at such a low price ?

7. Is it also correct that this contractor has violated the provisions of clauses 7, 8, 14, 15, 16, 17 and 19 of the agreement ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): 1. Yes.

2. No. It was extended in 1953 for one year on the same terms. It was again extended for one year more on the condition that he would pay 10% more.

3. It is correct that the period of contract was extended upto 31. 5. 1960 on payment of 25% over Rs. 3000/- i, e. Rs 3750/—. A fresh agreement deed was executed by the contractor on 8-10-1957 and countersigned by Govt. on 1-11-58 as it was a question of extension of the existing contract, the question of

(श्री नाथूराम मिर्धा)

public auction did not arise. It cannot be said that if auctioned it would have brought a revenue of Rs. 2 lacs.

4. It is correct that under clause no. 2 of the original contract, Shri Mohan Lal Kala 1 was bound to construct a motorable road from Borikuda or Tirdi to Jekda and get it certified by the Chief Engineer or Collector Kherwara before he could extract any forest produce. It is not true that the contractor was allowed to remove any forest produce before the road was constructed. The contractor constructed a road between Tidi and Jekda.

5. Yes. Clause 5 of the agreement deed provides that the cutting of the forest would proceed in a systematic manner from one end. It is not cotrect that he is felling trees in a haphazard manner.

6. (a) It is correct that under clause 9 of the agreement deed the contractor was not entitled to transfer any part of the contract to any body without previous sanction. It is not known whether he had sublet part of his contract to any body. Enquiry is being made in the matter.

(b) 7. It is simply a matter of personal opinion of the Hon' be member.

7. No.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह इन्क्वायरी कब कन्डक्ट की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी इन्क्वायरी ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा कि सब-लैट करने की इन्क्वायरी की ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतने दिनों नॉलेज में नहीं था । उसके बाद जब से आपने कहा कि सब-लैट कर रखा है, तब से पता लगाना शुरू कर दिया ।

श्री मूलचन्द डागा : आपका ऑर्डर किसके नाम था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभागीय अधिकारी, डी० एफ० ओ० ।

श्री पी० के० चौधरी: पब्लिक ऑक्शन करने में कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिफीकल्टी थी, कौन सी डिफीकल्टीज़ थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसने एक्सटेन्शन की दर्ख्वास्त दी, उस पर कर दिया । इनको चालू रख दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किस आधार पर तय किया ? किस आधार पर १०% ज्यादा लेकर एक्सटेन्शन कर दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले १ पर्सेन्ट ज्यादा करके किया, फिर २० पर्सेन्ट करके किया . . .

श्री भैरोंसिंह : बेसिस क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस आदमी की प्रोग्रेस को देख कर कर दिया गया, बेसिस क्या बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेंट में शर्त थी कि

(श्री भैरोंसिंह)

कॉन्ट्रेक्ट समय समय पर एक्सटेन्ड कर दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी शर्त नहीं थी।

श्री पी० के० चौधरी : फिर एक्सटेन्ड क्यों किया ? नीलाम पर क्यों नहीं रखा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं करने की।

श्री पी० के० चौधरी : १० पर्सेन्ट २० पर्सेन्ट की रकम बढ़ा कर एक्सटेन्ड किया गया, क्या यह दोनों के बीच में कम्प्रोमाइज होकर तय किया गया ? सरकार और कॉन्ट्रक्टर के बीच नेगोसियेशन्स हुए थे या सरकार ने आदेश दे दिये थे कि १० पर्सेन्ट ज्यादा देना पड़ेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कन्डीशन थी, इसकी मांग थी कि एक्सटेन्ड कर दिया जाय। सरकार ने एक साल के लिए एक्सटेन्ड किया १० पर्सेन्ट बढ़ा कर, दुबारा एक्सटेन्ड किया २० पर्सेन्ट बढ़ा कर।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सरकार की जानकारी इस फोरेस्ट के बारे में है कि इस फोरेस्ट से इन्कम क्या होती है ? इसकी जानकारी हासिल की है।

श्री नाथूराममिर्धा : मैंने आपको बताया कि कितना माल निकला। इसकी नाप-तोल नहीं की।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इस बात की जानकारी थी कि जिस आदमी के नाम ठेका था, उन्होंने महकमे को राइटिंग में बताया कि इस फोरेस्ट को सब-लैट किया है और इसकी आमदनी ३ लाख रुपये की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपको बताया होगा, मुझे बताया नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने आपको बता दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि इट इज ए मैटर ऑफ .... आपकी खुद की राय हो सकती है। मुझे बताया नहीं, मुझे न जानकारी थी।

श्री पी० के० चौधरी : इस विषय में आपने जानकारी नहीं की कि इसका सब-लैट क्यों हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जो सब-लैट की जानकारी दी है, उसकी इन्क्वायरी बैठा दी है कि वास्तव में सब-लैट किया है।

श्री अध्यक्ष : Next Question.

श्री पी० के० चौधरी : One more question, Sir.

जिस रास्ते के लिए कहा गया कि रास्ता बना दिया है, यह मोटरेबल है या नहीं ? इसके लिए इन्जीनियर से सर्टिफिकेट ले लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रास्ता मोटरेबल है, माल उस रास्ते से ले जाया जाता है। इन्जीनियर से सर्टिफिकेट लेने की बात के बारे में निवेदन करूं कि यह कलेक्टर द्वारा पुराने जमाने में दिया गया था। वैसे सड़क बन गई है और उसके जरिये माल निकलता है।

श्री पी० के० चौधरी : पुराने जमाने

(श्री पी० के० चौधरी)

का नहीं है, इस पर दस्तखत हैं ५७ अक्टूबर के। उसके बाद सर्टिफिकेट लेने का सवाल आता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : शुरू में लीज दी थी जब कि यह ठिकाना कोर्ट ऑफ वार्डस में था, उस वक्त कलेक्टर ने लीज दी थी, उस वक्त यह शर्त थी कि वह पहले सड़क बनायेगा, उसके बाद माल निकालेगा। उस एग्रीमेंट में शर्त थी, उसके मुताबिक सड़क बन गई है और उससे माल जाता है। जो एग्रीमेंट की पुरानी फाइल थी, वह मिली नहीं। इसलिए इसमें सर्टिफिकेट है या नहीं; यह नहीं कह सकता।

श्री पी०के० चौधरी : सेकिंड एग्रीमेंट की कापी मेरे पास है, आपके अधिकारी ने दस्तखत किये हैं, ८-१०-५७ को दस्तखत किये हैं। उसमें लिखा हुआ है माल को उदयपुर खेरवाड़ा पर ले जाना है मगर ब्रोरीकुण्डा या टिडी से बिवड़ा तक मोटर जा सके ऐसी सड़क ठेकेदार को अपने खर्चे से बनवानी होगी और सड़क बनने के बाद महकमा इन्जीनियर के कार्यालय से तसदीक कराके कि सड़क ठीक बना दी गई है, उसे वन अधीकारी के कार्यालय में पेश करना होगा। उसके बाद ठेका शुरू होना समझा जायगा। यह ५७ अक्टूबर के महीने में लिखा है, उसके बाद ठेका शुरू होना समझा जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह रहा हूं कि यह शर्त हर ठेके में रिपीट की है। पहले जो ठेका ओरिजिनल ने दिया था, उसमें शर्त मौजूद थी। उसके बाद अब तक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, माल बाहर नहीं निकाला जायगा। अब सड़क बन गई है, उसके बाद सड़क से माल निकलना चालू हुआ है। यह सर्टिफिकेट लिया या नहीं, इसको पक्के तौर पर नहीं कह सकता। जब ओरिजिनल फाइल आ जायेगी तब पता चलेगा कि सर्टिफिकेट लिया है या नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : ओरिजिनल फाइल का सवाल नहीं है, १९५७ में एग्रीमेंट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : But this clause according to the Hon'ble Minister being repeated. It was in the original agreement also.

श्री पी० के० चौधरी : That is a separate agreement which was signed.

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि पुराने एग्रीमेंट में था, जिसके मुताबिक सड़क बन गई है और वह चली आ रही है।

श्री पी० के० चौधरी : If the road was completed why it should be repeated in 1957.

श्री अध्यक्ष : He said he would enquire into that.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

बी० सी० जी० यूनिट्स के लिए स्टेशन वेगन की वेच

१३३६ श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Will the Health Minister be pleased to state:—

(1) Is it correct that station wagons for the B. C. G. units are supplied free of cost by the UNICEF. a branch of the World Health Organisation?

(श्री पी० के० चौधरी)

(2) Is it correct that six of the station wagons thus received are to be sold to certain persons through closed bid in a couple of days ?

(3) Is it correct that bids so far received ranges between Rs. 4,000 to Rs. 5,000/-while the present market value of these station wagons is in the vicinity of Rs 15,000/-per vehicle, if so. why these vehicles are not sold by open public auction ?

स्वास्थ्य मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) 1. Yes. These are issued on loan to the Government of Rajasthan.

2. Only five such vehicles are to be sold as per instructions from the UNIC FF. authorities.

3. No. The vehicles are sold according to the procedure laid down by the UNIC FF. authorities to whom the property actually belong.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि आपने क्लॉज़ बीड लिया है, ओपन बीड नहीं ली है ? आपने क्लॉज़ बीड को एन्टरटेन किया है, ओपन टेन्डर कॉल नहीं किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप समझे नहीं, उनके इन्स्ट्रक्शन ये । ऑल इंडिया बेसिस पर एडवरटाइजमेंट किया गया, इंडियन ट्रेड जनरल, नवभारत, नवयुग, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकवाणी आदि १२ अखबारों में एडवरटाइजमेंटस साया किया गया कि जो आदमी टेन्डर देना चाहे वह दे दे। उसके बाद में टेन्डर आये, उनको भेजा जाय। इसके पहिले कम्प्लेन्ट की गई कि कुछ गड़-बड़ी है, इसलिए टेन्डर एक्सेप्ट न किये जांय और ऑक्शन करने की इजाजत दी जाय।

श्री पी० के० चौधरी : ऑक्शन के लिए लिखा गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने लिख दिया है कि ऑक्शन किया जाय। अगर वे कहेंगे कि ऑक्शन किया जाय तो ऑक्सन कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज के लाने व ले जाने पर रोक

१३३७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज को लाने व ले जाने पर कोई रोक लगाई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे लगाने से पूर्व यह भी सोचा था कि इससे शहरों में अनाज की काफी कमी पड़ जायगी व भाव बढ़ जायेंगे ?

(ग) यदि हां तो क्या सरकार इस नीति में अब "सुधार करना" चाहती है और कब तक ?

खाद्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सरकार ने एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज लाने वाले जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है और न कानूनन लगाई जा सकती है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अनाज आने-जाने के लिए ऑर्डर किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अनाज के आने-जाने की कानूनन मनाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई रेस्ट्रेक्शन नहीं है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाय।

श्री भीमसेन : सीकर-झुंझुनू जिले से बाजरा बाहर भेजना मना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाजरे के लिए है। सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों जिलों में बाजरे के लिए रुकावट की है।

श्री लक्ष्मीचन्द : बाजरा अनाज में शुमार नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने तहसील का सवाल भेजा था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (डीग) सवाई माधोपुर से भरतपुर नहीं आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन जगह बताई, जहां अनाज लाने-ले जाने के आदेश नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के ध्यान में है कि शहर में अनाज का आना बन्द हो गया है, इससे समस्या बढ़ गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मनाई नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जयपुर से भरतपुर जा सकता है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि तीन डिस्ट्रिक्ट के लिए मना किया है, उसके अलावा कहीं भी जा सकता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अगर कलेक्टर नहीं जाने दे तो उसके लिए सरकार क्या करती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री० पी के० चौधरी।

नापासर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा भूमि की बेच

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state :

(1) Is it correct that the Municipal Board, Napasar (Bikaner) has sold lands to the relatives of the Members without public auction at a fictitiously low price ?

(2) Is it correct that the Board has tempered with and changed entries in the pattern and maps issued by the previous Board ?

(3) Is it correct that no cash book was Maintained and no entries Made in the cash book for the period March, 1958 to 26-5-58 which has led to embezzlement of funds ?

(4) Is it correct that in the year 1957-58 a sum of Rs. 18,824/-was spent by the Board in excess of the

(श्री पी० के० चौधरी)

Budget provision without obtaining previous sanction of the Government ?

(5) Is it correct that the Government under its letter No. LD. 144/F 1 (54) L.S.G. dated 27-8-58 served a show cause notice under section 203 of the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951 to all members of the Board, as to why existing Board of Napasar should not be superseded for its incompetence and abuse of powers ?

If so, why no action to supersed the Board is now being taken by the Government ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री(श्री पूनमचंद बिश्नोई) Complaints regarding irregular sale of land by the Municipal Board, Napasar have been received by the Government.

2. Complaints to this effect have also been received.

3. Complaints to this effect have also been received.

4. Yes.

5. Yes. The Show Cause Notice is under consideration of the Government.

श्री पी० के० चौधरी : इस शो कॉज नोटिस में क्यां क्या चार्जेज बताये हैं उन्होंने ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The above mentioned charges which I have named.

श्री पी० के० चौधरी : क्या चार्जेज हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Regarding sale of land, regarding tempering with the records, non-maintenance of cash book spending without the Government sanction such charges are there.

श्री पी० के० चौधरी : कुल कितने चार्जेज लगाये।

How many charges are there and what are they ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I think 6 charges.

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Speaker Sir, there are many charges against...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I think there are only 6 charges.

श्री पी० के० चौधरी : There were 16 charges in the Show Cause Notice in the Municipality.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It might be because permanently 6 charges were thete.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correc that Government has completed enquiry into these charges ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No.

श्री पी० के० चौधरी : Is it also not correct that the Hon'ble Deputy Minister has held last hearing of the case and judgement is pending before him ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Yes, the judgment is pending with me.

श्री पी० के० चौधरी : Is it not correct that 29th September was the last date when all the evidence was heard by you ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Yes, the case was last heard on 29th September, but there were certain legal matters which had to be cleared and that is why the case is taking time.

श्री पी० के० चौधरी : What are those legal matters ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

राजस्थान रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी और स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के सदस्य

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या मन्त्री यातायात विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५२ से अप्रैल, १९५८ तक राजस्थान की रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी और स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी में कितने कितने सदस्य रहते आये हैं ?

(२) क्या आज तक इनमें कोई सदस्य शिडयूल्ड कॉस्ट में से भी लिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ? तथा अब कब तक लिए जायगे ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १९५२ से १९५४ तक एस. टी. ए. के ८ मेम्बर थे। १९५६ और ५७ में ९ मेम्बर हो गये । १९५७ से अब तक यह संख्या ११ है, प्रत्येक आर. टी. ए. के मेम्बरों की संख्या ८ है जिनमें चेयरमैन और आर. टी. ए. भी सम्मिलित हैं ।

(२) शिड्यूल्ड कास्ट का उनमें कोई भी मेम्बर नहीं लिया गया क्योंकि ऐसा मोटर विहिकल रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है कि जाति के आधार पर मेम्बर लिए जाएं । भविष्य में शिड्यूल्ड कॉस्ट का मेम्बर लेने या न लेने के सम्बन्ध में कहा जाना संभव नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : लगातार ७वर्षों तक हरिजनों की इस प्रकार उपेक्षा की गई है, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या उपेक्षा की गई, ३६ कौमें हैं, सबको कहां ले सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यही सही है कि हरिजनों को सरकार आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के अयोग्य समझती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अयोग्य नहीं समझती पर कितनी जातियां हैं, प्रत्येक जाति में से थोड़े ही ले सकते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : आर० टी० ए० में सदस्य कितने हैं ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : हरिजनों को १० साल के लिये रिजर्वेशन दिया गया है । माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ७ साल यों ही निकल गये, हरिजनों की उपेक्षा करते रहे, माननीय अध्यक्ष यही रवैया रहा तो हरिजनों का क्या हाल होगा । दूसरे लोग कमेटियों में प्रतिनिधि बनाये जाते हैं और हरिजनों की उपेक्षा की जाती है, यह आपके नोटिस में लाया जा रहा है ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : इनका उत्तर नहीं दिया मन्त्री महोदय ने ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर थोड़े ही मांगा है, उन्होंने तो ध्यान दिलाया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इस बारे में मैं आश्वासन चाहता हूँ ।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे.......

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

ग्राम उम्मेदाबाद (जालौर) के सरपंच का चुनाव

१३४० **रावराजा श्री सरदारसिंह** (डगियारा) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम उम्मेदाबाद, तहसील जालौर के सरपंच का चुनाव हो चुका हैं ।

(२) अगर हां, तो कब और इस समय वहां सरपंच का कार्य कौन कर रहा है ?

स्वायत शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (१) जी हां ।

(२) निर्वाचन २५, ६, ५७ को हुआ । अभी सरपंच श्री गणेशदान हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : सरपंच काम कर रहा है या पंचायत के ताला लगा हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी सूचना तो यह है कि काम कर रहा है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं सूचना दे रहा हूं कि दो साल से ताला लगा हुआ है, पहले के सरपंच ने श्री गणेशदान को चार्ज दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्ज दे दिया है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १३-८-५८ ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब ५७ में चुनाव हो गये थे तो इतना लेट चार्ज क्यों दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले के सरपंच ने चार्ज नहीं दिया था, हमने उसको हिदायत की कि चार्ज दे दे इस पर भी चार्ज नहीं दिया तो ताला तोड़ कर चार्ज देने के आदेश दिये गये, पर उसने खुद ही चार्ज दे दिया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी जो उस गांव में थे तो उनको पंचायत के ताला लगा हुआ बताया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि चार्ज जल्दी ही दिला दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काम नहीं करें ताला लगा देते होंगे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : नहीं चार्ज नहीं दिया इस वजह से ताला लगा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड की सिक्योरिटी के लिये ताला लगाये रखते हैं ।

(हंसी)

श्री रामनारायण वर्मा ।

मवेशी चराने वाले किसानों को पुलिस द्वारा पीटा जाना–थाना भवरगढ़

श्री रामनारायण वर्मा पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चतरसिंह हैड कॉन्स्टिबील थाना भंवरगढ़ ने २० मार्च को अपने साथियों को लेकर ग्राम महू, तहसील गांरोल में मवेशी चराने वाले किसान रामनाथ एवं मथुरालाल पर हमला किया और उनको बुरी तरह पीटा ?

(२) यदि हां तो उनको किस अपराध में पीटा गया तथा चतरसिंह के साथ अन्य व्यक्ति कौन कौन थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त मारपीट की रिपोर्ट थानेदार मांगरोल ने लेने से इन्कार कर दिया ?

(४)यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

(५) क्या यह भी सही है कि सर्किल इन्स्पेक्टर, बारां द्वारा मुआयना करवाने पर चतरसिंह ने डाक्टर को सही हालात लिखने से रोका ।

(६) क्या आगे बढते हुए रामनाथ को दबाने के लिये फिर उस पर चोरी का आरोप लगा कर थानेदार मांगरोल को महू में ले जाया गया और रामनाथ मथुरालाल आदि के न मिलने पर उसके वृद्ध पिता को डंडों से पिटवाया गया ?

गृह मंत्री (रामकिशोर व्यास) :

(१) रामनाथ ने दिनांक २२-२-५८ को शिकायत की कि उसको चतरसिंह हैड कॉन्स्टेबल और उसके साथियों ने पीटा । मथुरालाल ने कोई मारपीट की शिकायत नहीं की ।

(२) झगड़े का कारण संभवत: रामनाथ द्वारा चतरसिंह के खेत में ढोर चराने और गेहूँ चुराने का था । चतरसिंह के अलावा ऐसा कहा गया है कि मारपीट करने में मूलसिंह, जगन्नाथ और रामनिवास भी शामिल थे ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित

लालसोट कस्बे के पास का पहाड़

१३४२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) लालसोट कस्बे में आबादी से मिला हुआ जो पहाड़ है क्या उसको आजकल रक्षत में रख लिया गया है ?

(२) क्या इस पहाड़ को वन विभाग ने पेड़ पौधों के लिए रिजर्व किया है ? यदि हां, तो हिंसक जानवरों से होने वाले खतरों के बारे में सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

वन मंत्री (श्री नाथुराम मिर्धा) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां । सिर्फ पेड़ पौधों के लिये ही नहीं घास के लिये भी रिजर्व किया है । अभी किसी प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं हुई । किन्तु हिसक जानवरों का खतरा होने पर परिस्थिति के अनुसार प्रबन्ध किया जावेगा ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जो हिंसक जानवर हर साल पांच सात मवेशी मारते हैं उसके लिये सरकार क्या सोचती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तक तो ऐसी शिकायत आई नहीं है, अगर आपको इस तरह की शिकायत हो तो लिखकर भेज दीजिये, लाइसेंस देकर शिकारी भेज देंगे।

प्रश्न संख्या १३४३

श्री अध्यक्ष : हीराराम।

(अनुपस्थित)

श्री वीरका।

ग्राम भावरी और नीतोड़ा के बीच में बनास नदी पर रपट बांधने की योजना

१३४० **श्री वीरका** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या जिला सिरोही, तहसील पिण्डवाडा में ग्राम भावरी और नीतोड़ा के बीच में बनास नदी पर रपट बांधने का सरकार विचार रखती है। यदि हां तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं।

श्री हीराराम : क्यों विचाराधीन नहीं हैं

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या साहब।

श्री अध्यक्ष : क्यों विचाराधीन नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचाराधीन इसलिये नहीं है कि पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान पुलिस सर्विस सिलेक्शन कमेटी

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५७–५८ व ५८-५६ में किन किन को Rajathan Police Service में लिया गया ?

(२) इन अधिकारियों में किस किसका selection Rajasthan Police Service की Selection Committee द्वारा हुआ था ?

(३) इस Selection Committee की मीटिंग कब हुई थी और उसमें कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(४) इस कमेटी द्वारा ऐसे किन किन अधिकारियों का selection हुआ है जो अंग्रेज नहीं जानते है तथा technically Qualified भी नहीं हैं ?

(५) क्या यह सही है कि कई ऐसे अधिकारियों को भी सलेक्ट किया गया है जिनके सम्बन्ध में भूतपूर्व Inspector General of Police ने adverse remarks लगाये थे ?

(६) इस selecticn का approva

पब्लिक सर्विस कमीशन से कब लिया गया तथा Cabinet द्वारा यह Selection कब Approve हुआ ? क्या यह सही है कि Selection in Approval सरकार द्वारा होने के बाद Public Service Commission से Approval लिया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से है, इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी अपनी बारी से देंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह बारी इस सेशन में तो आयेगी नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : शायद आ जाय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरे बहुत से प्रश्नों को इस तरह से टाला गया। दुबारा बारी में आने पर भी इस तरह से टाला जायगा.......

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा :

पाली चेयरमैन को कर्मचारियों की नियुक्तियों के अधिकार

१३४६ **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या पाली नगरपालिका के चेयरमैन को यह अधिकार है कि बोर्ड के समस्त कर्मचारियों की नियुक्तियां वे कर सकते हैं ? यदि हां, तो किस कानून के आधार पर ?-

(२) यदि नहीं, तो उनकी स्वेच्छा से की गई नियुक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :
(१) जी हां उन कर्मचारियों को छोड़ कर जिनकी नियुक्तियों का अधिकार सरकार को है। राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५१ के आधार पर।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

गंगापुर से दौसा सड़क की पुलियों का ठेका

१३४७ **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गंगापुर से दौसा सड़क पर किन किन पुलियों का ठेका दिया जा चुका है और कौन कौन सी पुलियां इस वर्ष तैयार हो जायेंगी ?

(२) पिपलाई तथा बड़ा गांव झिलमिली के पास जहां सड़क पर पानी भर जाता है वहां क्या प्रबन्ध किया जा रहा है तथा अब तक प्रबन्ध नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष, इसका भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन।

भरतपुर में दूसरा बिजलीघर का निर्माण

१३४८. **श्री गोवरधनसिंह केन** (बयाना) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या भरतपुर में दूसरा नया बिजलीघर निर्माण किया जारहा है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ?

(ख) उक्त बिजली घर के लिये कितने रुपये बीघे के हिसाब से किससे जमीन खरीदी गई ?

(ग) क्या उक्त बिजलीघर के नये सामान को रखने के लिये कोई इन्तजाम सरकार ने किया है ?

Page No.19

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

(घ) क्या यह सच है कि उक्त बिजली घर के टिन शैडों के लिये किन्हीं ठेकेदार को ८ इंच मोटी बल्लियों की सप्लाई करने का ठेका दिया गया, किन्तु उसने उक्त शरायत के मुताबिक बल्लियां सप्लाई नहीं की। यदि हां, तो सरकार ने उन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कदम उठाया है? यदि नहीं तो क्यों?

विद्युत मंत्री श्री रामकिशोर व्यास : प्रश्न के (क) और (ख) का उत्तर दिनांक ३०।१०।५८ को प्रश्न संख्या १०५ एच० एम० के सिलसिले में दिया जा चुका है।

(ग) (घ) सरकार से प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता, राजस्थान विद्युत मंडल एक आटोनोमस बॉडी है, जो इस विषय में समर्थ है।

प्रश्न संख्या १३४६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह।

बालोतरा-खेड मंदिर की सड़क

१३५०, **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या बालोतरा (जिला बाड़मेर) से खेड मंदिर तक जो सड़क निकाली गई है, वह अवाप्त की हुई जमीन पर निकाली गई है?

(ख) अगर हां, तो वह जमीन कब अवाप्त की गई?

(ग) क्या उस अवाप्त की गई जमीन का मुआवजा उन खातेदार काश्तकारों को दे दिया गया है?

(घ) मुआवजा किस रेट से दिया गया? अगर नहीं दिया गया, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) (क) जी हां।

(ख) दिनांक १२-६-५६ को।

(ग) जी नहीं, दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। जमीन की किस्म के मुताबिक दिया जाएगा। मुआवजा (L.A.O) की अवार्ड आने के बाद ही दिया जाता है।

श्री अनोपसिंह : अध्यक्ष महोदय ने भी पहले फरमाया कि जितना जल्दी हो मुआवजा दिया जावे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १।। साल या दो साल का अर्सा हो गया है और सड़क निकल गई है। उस जमीन का एक्विजीशन हो चुका है। किस रेट से हुआ यह तो काश्तकार को मालूम होना चाहिये, वह भी मालूम नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुआवजा देने में देरी का कारण जैसा मैंने पहले कहा कि काम ज्यादा है और ऑफिसरों की कमी है। सड़कें बहुत तेजी से बन रही हैं। और जो ऑफिसर हैं वे कम हैं। अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था, मगर उसके लिये जल्दी प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री अनोपसिंह : यह ५ या ७मील की सड़क है। इसको एक्वायर करने की बात है। इसमें काफी लम्बा चौड़ा अर्सा नहीं लगना चाहिये मुआवजा तय करने के लिये।

Page No.20

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो ५ या ७ मील का टुकड़ा ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत है।

प्रश्न संख्या १३५१

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

आयुर्वेदिक औषधालय, चौरू चकवाड़ा (तहसील फागी) के भूतपूर्व वैद्य का स्थानान्तरण

१३५२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय, चौरू चकवाड़ा तहसील फागी के भूतपूर्व वैद्य श्री भोलाराम का स्थानान्तरण यहां से भानाय, जिला अजमेर में हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि इस आज्ञा को रद्द किया जाकर उनका स्थानान्तरण केवल १० दिन में ही राजमथाई किया गया तथा इस आज्ञा को रद्द किया जाकर राजमथाई से उनका स्थानान्तरण लूनवा तहसील, नांवा में किया गया ?

(३) यदि हां तो यह स्थानान्तरण की आज्ञा बार बार रद्द क्यों हुई ? चौरू चकवाड़ा में अब किस वैद्य को लगाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस स्थानान्तरण की आज्ञा जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से बार बार रद्द की गई थी। अब वहां श्री मदनसिंह वैद्य को लगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : एक वैद्य का तीन दफा स्थानान्तरण होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारण होंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ; तीन दफे तो नहीं है। एक बार तो वहां कीपब्लिक ने कहा कि हमारे इस वैद्य को यहीं रख दिया जावे। दुबारा कोई दिक्कत हुई है। ट्रान्सफर किया गया। डाइरेक्टर का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उस गांव के लोगों ने भी सरकार को प्रार्थना पत्र दिये थे कि उस वैद्य को भी वहां रखा जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं है। डाइरेक्टर के पास प्रार्थना पत्र दिये होंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि उस वैद्य को वहां के लोग चाहते थे इसलिये उसका ट्रान्सफर नहीं किया गया। दूसरे वैद्य के लिये भी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसका ट्रान्सफर नहीं किया जाए तो उसका ट्रान्सफर क्यों नहीं रोका गया। ये दोनों बातें किस तरह ठीक हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि चकवाड़ा तहसील फागी के भूतपूर्व वैद्य के लिये वहां के लोगों ने कहा कि हमारे यहां इसको रखा जावे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार के स्थानान्तरों में रिश्वतें ली जाती है और इसका यह कारण है कि एक

Page No.21

(श्री भैरोंसिंह)

व्यक्ति का दो तीन बार स्थानान्तरण होता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात तो मैं पहले पहल सुन रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बापूनगर व गांधीनगर में चलने वाली बसों के विरूद्ध शिकायतें ।

१३५३ **श्री सहदेव शर्मा** : (आमेर) क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बापूनगर विकास समिति की ओर से क्या बापूनगर व गांधीनगर में चलने वाली बसों की अव्यवस्था की कोई शिकायत आई है ?

(२) क्या इस संबन्ध में यातायात विभाग ने कोई कार्यवाही की है ?

यातायात मंत्री (नाथूराम मिर्धा) : (१) हां । आई है ।

(२) जांच के लिये ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर को लिखा गया है ।

श्री सहदेव शर्मा : क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी जांच हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

दौसा-गंगापुर बिजली की लाइन

१३५४. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या दौसा–गंगापुर. बिजली की लाइन जो सन् १६५८ में पूरी ही जाने वाली थी वह लाइन पूरी हो चुकी ? क्या यह सच है कि गंगापुर में बिजली का सारा सामान आ जाने के बावजूद भी कार्य आरंभ नहीं हो रहा है ? अब कार्यारंभ कब तक हो जावेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अभी लाइन पूरी नहीं बनी है । जयपुर में ५००० का एक नया टर्बाइन और लग जाने के बाद बिजली देने का कार्य आरंभ किया जा सकेगा । इस कार्य के १६६० के उत्तरार्ध में समाप्त होने की आशा की जाती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

राजगढ तहसील की पंचायतों के वार्ड् स

१३५५. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील (जिला चूरू) की पंचायतों के वार्ड् स जो गलत थे वे अब तक भी सही तौर से नहीं बनाये गये हैं ?

(२ अगर नहीं, तो क्या वार्ड् स दुरुस्ती के समय जनता को सूचित करके आपत्तियां मांगी गई थीं ?

(३) तहसील राजगढ़ की ग्राम पंचायतों के वार्ड् स की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जांच की जा रही है ।

(२ जनता से आपत्ति मांगने का कोई नियम नहीं है ।

(३) नये वार्ड् स की स्वीकृति अब तक

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं हुई है, अतः सूची सदन की मेज पर रखना संभव नहीं हैं।

श्री मोहरसिंह : तीसरे प्रश्न का आपने क्या जवाब दिया?

श्री दौलतराम सारण : (३) नये वार्डस की स्वीकृति अब तक नहीं हुई है, अतः सूची सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

श्री मोहरसिंह : कब तक यह दुरुस्ती हो जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : जल्दी ही हो जावेगी।

श्री मोहरसिंह : क्या यह मान कर चला जावे कि जब तक दुरुस्ती नहीं होगी, चुनाव नहीं होंगे।

श्री दौलतराम सारण : आपने शिकायत की थी और उस शिकायत पर जांच की जा रही है उसके बाद जांच फाइनल होगी।

श्री मोहरसिंह : हमें यह मान कर चलना चाहिये कि जब तक वार्डस की दुरुस्ती नहीं होगी, चुनाव नहीं होंगे।

श्री दौलतराम सारण : आप लोग ही एक एक पंचायत के लिये पांच पांच बार शिकायत करते हैं और जब आपकी मंशा माफिक पंचायत नहीं बनती है तो आप उसकी शिकायत भेज देते हैं। इसलिये जब सरकार के पास शिकायत आती है तो सरकार इसका जांच कराती है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा बार बार होता रहता है। जब हजारों आदमी शिकायत करते हैं फिर भी समझ में नहीं आता कि यह क्या बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस आधार पर आप वार्ड बनाते है? जब आप वार्ड बनाते हैं तो न तो रास्ते के निशान रखे जाते हैं और न कोई दूसरे इस सम्बन्ध में सीमा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी शिकायतों की जांच हो रही है।

श्री तनसिंह : प्रश्न पूछने दीजिये साहब, यह जनतन्त्र का सवाल है।

श्री मोहरसिंह : जब तक वार्ड नहीं बनेंगे तब तक चुनाव कैसे होंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड के सम्बन्ध में इन्क्वायरी हो रही है। जब वार्ड फाइनल नहीं होंगे तो चुनाव कैसे हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य पर उपमंत्री महोदय द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जब आपकी इच्छा के अनुसार वार्ड नहीं बनते हैं तो आप बार बार शिकायतें करते हैं। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसे काफी आरोप अपने इलाके में लगते हैं।

(घंटी)

एक माननीय सदस्य : शिकायतें बन्द कैसे हों?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हिन्डौन से जमालपुरा तक पड़े हुए डामर के ड्रम

१३५६. श्री उम्मेदीलाल (करौली) :

(श्री उम्मेदीलाल)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि हिण्डौन से ५ मील दूर जमालपुरा तक डामर के ड्रम पड़े हैं ? यदि हां, तो यह कितने अर्से से पड़े हुए हैं ?

(२) क्या उनकी निगरानी की जाती है व इनमें से कितने किस कार्य हेतु प्रयोग में लिये गये ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सही है । लगभग २॥ वर्ष में ।

(२) जी हां । अभी प्रयोग में नहीं लिये गये, अब ले लिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रूपली नदी पर बांध बनाये जाने की योजना

१३५७ श्री भैंरवलाल काला बादल (अकलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खानपुर जिला झालावाड़ में रूपली नदी पर बांध बनाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो इस बांध पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

(ग) इस बांध से कितनी जमीन में सिंचाई हो सकेगी ?

(घ) इस बांध के बनाये जाने पर कौन-कौन से गांव डूब में आवेंगे व उनको किस स्थान पर बसाया जावेगा ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां, सर्वे हो रही है ।

(ख) इस योजना पर खर्च होने वाली धनराशि आदि का अन्दाज़ा सर्वे सम्पूर्ण होने पर ही बताया जा सकेगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या इस कार्य को पहले पंच-वर्षीय योजना में रखा गया था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो सर्वे हो रही है ।

श्री भैंरोंसिंह : रूपली नदी में स्नान किया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

तहसील पंचायतों में हरिजन सदस्य नामजद किये जाने का तरीका

१३५८. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (अजमेर सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील पंचायत में हरिजन सदस्य नामजद किए जाने के लिए क्या प्रावधान है ?

(२) कुछ तहसील पंचायतों में हरिजन सदस्य नामजद नहीं किए जाने के क्या कारण है ?

(३) अजमेर डिवीजन में ऐसी कितनी तहसील पंचायतें हैं जिनमें आज तक शिड्यूल्ड कास्ट के लोग नामजद नहीं किए गये व क्यों ?

Page No.24

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(४) अब कब तक हरिजन सदस्य इन पंचायतों में ले लिये जायेंगे ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ में हरिजन सदस्य तहसील पंचायत में नामजद किये जाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा ९ में ऐसा प्रावधान है।

(२) तहसील पंचायत की ओर से मांग न करने से या चुनाव में कोई अनुसूचित जाति का पंच चुने जाने के कारण नामजद नहीं किया गया होगा।

(३) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है। तहसील पंचायतों के प्रस्ताव आदेशानुसार नहीं आने तथा चुने हुए पंच होने के कारण नामजदगी नहीं हो सकी।

(४) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हरिजन सदस्य नामजद नहीं किये जाते बल्कि अनुसूचित जाति के पंच नामजद किये जाते हैं और तहसील पंचायतों से प्रस्ताव पर इस संबंध में कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या अजमेर के ४८ तहसीलों में कहीं भी कई वर्षों से कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री) : अजमेर तो अभी आया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जयपुर में....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कोई रिप्रजेन्टेशन होगा तो हो जावेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर कोई पंचायत ऐसा नहीं करती या जो किसी का नाम नहीं भेजते हैं तो सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

श्री अध्यक्ष : कानून के अनुसार ऐसा है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ओबलीगेट्री नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर कोई पंचायत नाम नहीं भेजे तो सरकार क्या करती है ? तीन साल तक कोई नाम नहीं भेजे तो क्या सरकार उसको भंग करती है या सरकार चुप रहती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें पंचायत को भंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप सूचना दे दें।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या सरकार कानूनी व्यवस्था देने के लिए तैयार है। इसके लिए लीगल प्रोविज़न रखने के लिये तैयार है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लीगल प्रोविजन मौजूद है। जो पंचायतों के लिए व्यवस्था है वही तहसील पंचायतों पर भी लागू होती है। इसलिए जहां पर हरिजन पंच नहीं हैं वहां नोमिनेशन के लिए प्रोविजन है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : तहसील पंचायत चार-चार साल गुजर जाते हैं, फिर भी कोई नाम नहीं भेजती।

श्री अध्यक्ष : आप भी ध्यान में लाइये। आपका भी फर्ज है। यह ओबलीगेट्री नहीं है। फिर भी माननीय मंत्री कहते हैं कि ध्यान में लावेंगे तो कार्यवाही करेंगे।

(दो-तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र : हरिजन सदस्य किसकी मर्जी पर लिये जाते हैं, वहां के पटेल की, सरपंच की, कलेक्टर की या तहसीलदार की, किसकी मर्जी पर लिये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कलेक्टर और तहसीलदार को कोई लेना-देना नहीं है। डिपार्टमेंट से रिकमन्डेशन आती है। इसमें किसी के इन्ट्रेस्ट की बात नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : फिर चार साल से राज्य सरकार की ओर से क्यों नहीं उनको नोमिनेट किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

रामचन्द्र जी को पूछने दीजिये।

श्री रामचन्द्र : हरिजन सदस्य नहीं लिये जाते हैं तो वैधानिक रूप से कम्पलीट माने जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वैधानिक रूप से कम्पलीट है। यह ओब्लीगेट्री नहीं है। जहां चुनावों में हरिजन सदस्य नहीं आते हैं वहां रिकमन्डेशन करना चाहिये।

श्री रामचन्द्र : हरिजन सदस्यों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इस प्रकार का प्रावधान करना क्या उचित नहीं समझती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में प्रावधान मौजूद है, रिकमन्डेशन भेज दीजिये।

श्री रामचन्द्र : आपने यह फर्माया कि अजमेर के लोगों ने कभी इच्छा प्रकट नहीं की तो सरकार यह उचित नहीं समझती है कि हरिजनों के अधिकारों की रक्षा के लिये आप कदम उठायें ?

(विपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : सरकारी कागजों में लिपटे रहते हैं और इधर कुछ ध्यान नहीं देते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं कि सरकार को दबायें।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून की ठीक पाबन्दी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : Here is a fight for right, Sir.

प्रश्न संख्या १३५९

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री बालमुकुन्द।

ग्राम गजपुर में सिंचाई विभाग द्वारा तालाब बंधवाना

१३६०. श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री बालमुकन्द)

(क) क्या डूंगरपुर तहसील के ग्राम गजपुर में सिंचाई विभाग द्वारा तालाब बंधवाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य किस सन् में आरम्भ किया गया और अब तक किन-किन ठेकेदारों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(ग) क्या इस तालाब पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी अभी तक बकाया है ?

(घ) इस लम्बे अर्से तक इस तालाब का काम पूरा न कराने के क्या कारण है ?

(ङ) कितने साल से इस तालाब की मंजूर शुदा रकम लैप्स होती आ रही है ।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) गजपुर तालाब का कार्य डूंगरपुर ब्लॉक की ग्रान्ट से सन् १९५४ में शुरू किया गया व ब्लॉक की ग्रान्ट खत्म होने पर कार्य भी बन्द कर दिया गया ।

(ख) १. यह कार्य सन् १९५४ में आरम्भ किया गया ।

२. यह कार्य श्री नानकरामजी ठेकेदार ने शुरू किया ।

३. इस कार्य पर ६७,०७६) रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(ग) इस विभाग को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा काम किया गया था ।

(घ, ब्लॉक की ग्रान्ट पूरी नहीं दी व ठेकेदार भी फेल हो गया । इस वजह से काम पूरा नहीं हो सका ।

(ङ) अब तक किसी साल भी इस तालाब की मंजूर शुदा रकम लैप्स नहीं हुई है ।

श्री बालमुकुन्द : तालाब पर काम करने वाले कुछ मजदूरों की रकम ठेकेदार में बकाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कॉन्ट्रेक्टर्स में बाकी हो तो हमें पता नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : तालाब अधूरा पड़ा रहे, किसी की रकम बाकी है, ग्रान्ट एक्सपायर हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मुझे इसकी ऑथोरिटी दी हुई थी जो मैंने कल दफ्तर में दे दी ।

श्री अध्यक्ष : तो पूछ लीजिये ।

पंचायत इन्सपेक्टर द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट पेश किया जाना

१३६१. **श्री लक्ष्मीचन्द** : (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या स्वायत्तशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे कितने पंचायत इन्सपेक्टर नौकरी में लिये जिनकी आयु निश्चित आयु से अधिक थी तथा उनकी नियुक्ति के कारण क्या थे ?

(ख) क्या यह सही है कि किसी पंचायत इन्सपेक्टर ने दसवी पास का फर्जी सर्टिफिकेट भी पेश किया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) कोई नहीं।

(ख) ऐसा कोई केस अभी तक ध्यान में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

हणादरा से केरोटी सड़क का निर्माण कार्य

१३६२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (श्री दलपतसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सिरोही जिला में हणादरा से केरोटी तक के सड़क के टुकड़े का कार्य जो दो वर्ष से खराब पड़ा हुआ है, कितने समय में पूरा किया जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क की मंजूरी हुए चार वर्ष हो गए पर अभी तक कार्य अधूरा ही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१, यह कार्य आवश्यकतानुसार बराबर हो रहा है और यदि मजदूर मिलते रहे तो ६ माह में समाप्त हो जायगा।

(२) हां, इस कार्य की मंजूरी सन् १६५४ में हो गई थी लेकिन ठेकेदार के एग्रीमेंट के अनुसार काम न करने के कारण देरी हो गई, अब यह कार्य विभाग स्वयं करा रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मजदूर न मिलने का कारण क्या था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मजदूर नहीं मिलने का कारण नहीं हैं। खेती का काम कर रहे हैं और सड़क पर काम करने के लिए कम आ रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल शर्मा।

पॉवर हाउस नाथद्वारा के लाइसेंस की शर्तें

१३६३. श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नाथद्वारे में पॉवर हाउस चलाने का लाइसेंस कब और किस शर्त पर दिया गया ? एग्रीमेंट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या सरकार की शर्त के अनुसार जनता को बिजली दी जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) नाथद्वारा में इस समय कितने मीटर लगाये गये हैं और मीटर के डिपोजिट के रूप में कितनी रकम ली जाती है।

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) नाथद्वारे में पॉवर हाउस चलाने का कोई लाईसेन्स नहीं दिया गया। सरकार से सिर्फ पॉवर हाउस चलाने की मंजूरी दी है। आज्ञा की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) शिकायत यह है कि बिजली २४ घन्टे नहीं सप्लाई की जा रही है, इसके लिए ठिकाने को ताकीद की गई है।

(३) ८ अगस्त १६५८ को २७१ डोमेस्टिक कन्ज्यूमर्स थे और १ पॉवर कन्ज्यूमर १० होर्स पॉवर का आटे की चक्की के लिए था। इनके सबके ही मीटर होने चाहिये।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री किशनलाल शर्मा : शर्त के अनुसार छः महीने में बिजली सप्लाई करनी चाहिए थी, यदि नहीं की जाती है तो फिर सरकार क्यों कार्यवाही करेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : नाथद्वारा में श्री नाथजी का प्रकाश ही बहुत है ।

श्री रामकिशोर व्यास : उनको लिखा है ।

श्री किशनलाल शर्मा : नहीं माने तो क्या होगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : बाउन्ड तो नहीं है । प्राइवेट है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

पांच से अधिक बार सस्पेन्ड पंचायत इन्सपेक्टरों की संख्या

१३६४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचायत विभाग में ऐसे कितने इन्स्पेक्टर्स हैं जिन्हें अपने नौकरी काल में पांच से अधिक बार सस्पेन्ड किया गया है ?

(ख) इनमें से कितने बर्खास्त किये जा चुके हैं ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १३६५

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

सिंचाई योजनायें-जिला झालावाड़

१३६६. **श्री सम्पतराज जैन** (अकलेरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई योजनायें निर्माण करने का निश्चय किया गया था और उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय किया जाना था ?

(ख) किन-किन योजनाओं का कितना कार्य पूरा हो चुका है व इन योजनाओं में से प्रत्येक पर ३१—१०—५८ तक कितना व्यय हो चुका है ? ये योजनायें कब तक पूरी हो जावेंगी ?

(ग) किन-किन योजनाओं पर निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ और इसका क्या कारण है ?

(घ) इन योजनाओं पर कब तक निर्माण कार्य चालू कर दिया जावेगा और काम कब तक समाप्त हो जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में भीमसागर व काली सिंध मध्यम योजनायें अनुक्रम में १८.१६ लाख व १३.६२ लाख रुपये की लागत की शुरू की गई व इनका काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू रहा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई नया काम नहीं है ।

(ख) भीम सागर व काली सिंध का अनुक्रम में ४० प्रतिशत व ४३ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है व ३१-१०-५८ तक उक्त योजनाओं पर अनुक्रम में १०।२० लाख

Page No.29

(श्री रामकिशोर व्यास)

रुपया व १४.५३ लाख रुपया खर्च हो चुका है। दोनों योजनायें मार्च, १९६० तक पूरी करने की तजवीज है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सम्पतराज जैन : मेरा प्रश्न इसमें यह है कि पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई योजनायें निर्माण करने का निश्चय किया गया था ? आपने दो के ही नाम दिये, और भी हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ये ही हैं।

श्री सम्पतराजा : मनोहर सागर बांध भी इन योजनाओं में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी दूसरी में थे।

श्री रामचन्द : भीमसागर बांध का कब तक काम बन्द पड़ा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दुबारा टेन्डर्स इन्वाइट किये गये और आये, अब वे अन्डर स्क्रुटिनी हैं।

श्री रामचन्द : कब इन्वाइट किये गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट तो इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन टेन्डर्स आ चुके हैं।

श्री भैरवलाल काला बादल : दुबारा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसलिये कि उसने काम पूरा नहीं किया ?

श्री भैरवलाल काला बादल : कौन काम कर रहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा था, फाउन्डेशन काफी हार्ड निकली और इक्वीपमेन्ट्स उसके पास नहीं थे, इसलिए काम अन्जाम नहीं दे सका।

श्री रामचन्द्र : क्या योजना गलत बनाई गई थी, इस कारण से पूरा गांव डूब में आ रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र : असनावद गांव डूब में आ रहा है, इस कारण से दूसरा किया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कॉन्ट्रेक्टर को फाउन्डेशन वैसी मिल रही थी और हार्ड होने की वजह से उसके पास इक्विपमेन्ट्स नहीं थे कि वह इसको पूरा कर सके।

श्री रामचन्द्र : मैं समझ नहीं पाया कि इस योजना से असनावद गांव डूब में नहीं आयगा।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

सराड़ा तहसील पंचायत का चुनाव

१३६७. **देवीलाल** (साराड़ा) (सु) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सराड़ा तहसील पंचायत का चुनाव कब हुआ था ?

(श्री देवीलाल)

(२) क्या सभी सदस्यों का चुनाव एक ही तारीख में हुआ या पृथक्-पृथक् तारीखों में किया गया ?

(३) अगर पृथक्-पृथक् तारीखों में किया गया तो बाद में कितने पंच चुने गये ?

(४) क्या चुनाव नियमानुसार किया गया था ?

(५) दुबारा कुल कितने सदस्यों ने फार्म भरे थे और कितने फार्म रिजेक्ट किये गये थे ?

(६) क्या यह सही है कि बाद में चुने गये सदस्यों के नाम राजस्थान राजपत्र में शाया नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक २६-३-५८ को ५ पंच व सरपंच का चुनाव हुआ। दो पंचों व उप सरपंच का चुनाव शेष रहा।

(२) २६-३-५८ को २ सदस्यों व उप-सरपंच का चुनाव नहीं हो सका जो अभी तक शेष है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं, क्योंकि अभी तक कोई दिनांक निश्चित नहीं किया गया।

(६) जी नहीं, क्योंकि अभी तक कोई दिनांक निश्चित नहीं किया गया।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि बकाया दो सदस्यों के चुनाव तहसीलदार ने करा दिये थे अभी तक वे ही पंच काम कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : तहसीलदार ने बिना गवर्नमेंट के डेट निश्चित किये ही चुनाव करा दिये थे जो अवैधानिक हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या वे ही पंच तहसील पंचायत में काम कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बिना गवर्नमेंट की आज्ञा के तहसीलदार ने चुनाव करा दिये तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा चुनाव कराने के लिए लिख दिया।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : तहसीलदार के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इस इर्रेगुलेरिटी के बारे में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तहसीलदार समझा नहीं था, पहले उसको ऑथॉरिटी दी गई थी उसने पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाये, उसी बिना पर इस बार भी इलेक्शन करवा दिये थे। पांच आदमियों का चुनाव भी हो गया था किन्तु गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं थी इसलिये दुबारा चुनाव के आदेश दिये गये हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने की कृपा करेगी कि दो पंच कार्य कर रहे हैं अब भी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, जब आपने बतलाया है तो जांच अवश्य करेंगे।

पलोदड़ा से साराड़ा तक पक्की सड़क बनाने का कार्य

१३६८. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७-५८ में पलोदड़ा से तहसील सराड़ा तक पक्की सड़क बनाने के लिये कुल कितनी रकम निर्धारित की गई और उसमें से कुल कितनी खर्च की गई ?

(२) क्या उक्त सड़क पक्की बन चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई थी। प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी नहीं। कुछ पुलियें और कुछ मिट्टी का काम हो चुका है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजनानुसार यह कार्य मार्च, १९६१ तक समाप्त होने को है।

पंचायतों द्वारा पुलिस की सहायता से घर व बाड़े उखाड़ना

१३६९. **श्री मोहनसिंह** (चूरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील जिला चूरू में लोगों के मकान व बाड़े जबर्दस्ती उखाड़ने में पंचायतों द्वारा पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो पंचायत एक्ट की धारा ८५ के अनुसार क्या पुलिस यह देखती है कि इस सम्बन्ध में सहायता देना उचित है या नहीं ?

(ग) ग्राम राधाबड़ी के भीमाराम का घर पुलिस की सहायता से कौन सी तारीख को उखाड़ा गया था ?

(घ) उस घर को उखाड़ने का फैसला पंचायत ने कौन सी तारीख को दिया था ?

(ङ) क्या उस फैसले के खिलाफ अपील की मियाद गुजरने से पहले ही पुलिस द्वारा घर उखाड़ना उचित था ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं। पंचायतें मकान व बाड़े जबर्दस्ती हटवाने में पुलिस का प्रयोग नहीं करती हैं।

(ख) पंचायत एक्ट की धारा ८५ के अनुसार हर पुलिस अधिकारी को पंचायत के पंच अधिकारी व नौकरों की सहायता उनमें कानूनी कार्य करते समय करना अनिवार्य है।

(ग) ग्राम राधाबड़ी के भीमराम का मकान पंचायत द्वारा दिनांक २३-८-५८ को हटाया गया, उस समय पुलिस वहां पर ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत की प्रार्थना पर शान्ति बनाये रखने के हेतु मौजूद थी।

(घ) पंचायत ने निर्णय दिनांक १९-८-५८ को दिया।

(ङ) यह बात पंचायत अधिकारियों के देखने की थी। पुलिस ने मकान नहीं उखाड़ा था परन्तु शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने हेतु वहां उपस्थित थी।

एल० एस० जी० डी० कोर्स किये बिना कन्फर्म कर्मचारी

१३७०. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कॉम्युनिकेशन नम्बर १८६ मिस्लेनियस ६०५५, ६२०७ डी० एल० बी० ५६ डी० २६-१२-५६ के शाया होने के बाद भी कर्मचारी एस० जी० डी० कोर्स किये बिना भी उपरोक्त विज्ञप्ति के खिलाफ कन्फर्म कर दिये गये ? अगर हां, तो क्यों व कितने ?

(२) क्या कोर्स पास किये हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं।

(२) अवश्य दी जायगी।

देसूरी तहसील में कनक के बीज के वितरण में घोटाला

१३७१. **श्री बेनीराम गहलत** (खारची) : क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) देसूरी तहसील में सन् १९५६.-५७ में कनक का कितना बीज वितरित किया गया।

(२) क्या यह सही है कि उक्त बीज में से बचे हुए बीज को नीलाम किया गया ?. यदि हां, तो कब और किस भाव से किसको दिया ?

(३) क्या यह सही है उक्त नीलाम में घोटाला होने की वजह से अतिरिक्त तहसीलदार के खिलाफ शिकायतें हुई ?

(४) यदि हां, तो कब और इसकी जांच किसके द्वारा कराई गई ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण): (१) ५६८७ मन कनक का बीज वितरित किया गया।

(२) जी हां, जिस भाव से दिया गया वह इस प्रकार है:

नीलाम की तारीख	जगह	तादाद मन सेर	नीलाम की दर	किसको नीलाम किया गया
६ । १।५७	गनेराव	४४६ । २४	१५ । ७ । ३	श्री नरोत्तममल पाली
,,	नादोली	३३६।२८।८	१५ । १०	,,
,,	नरलाई	८० ।०	१६ । ७	श्री रोशनलाल नरलाई
१० । ६ । ५७	सोमसर	६०४ । २	१५ । १३	श्री भैरूलाल पाली
,,	बूसी	१०७ । १	१५ । १० ।३	श्री मांगीलाल बूसी
,,	,,	१२५ । १०	१५ । १२	श्री सुकनराज रानी
,,	निम्बरा	२३५ । २०	१५ । ५ । ६	श्री भैरोलाल पाली

(श्री दौलतराम सारण)

,,	सिवास	३४६।३५।८	१५।६।०	श्री देवीचन्द बरतीचन्द पाली
,,	कोटेवालाडिमान	८६।२६	१५।१२	श्री मुकनराज भवन्तराज रानी
,,	पनोला	७७।१६।८	१५।०।६	,,

(३) नीलामी के सम्बन्ध में शिकायत हुई है।

(४) कलेक्टर पाली के कार्यालय में १२।१।५७ को शिकायत हुई और एस० डी० ओ० पाली को कलेक्टर पाली ने २६।१।५७ को जांच की आज्ञा दी।

श्री वेनाराम गहलोत : जांच का क्या परिणाम निकला है?

श्री दौलतराम सारण : जांच अभी चल रही है परिणाम अभी आया नहीं।

श्री भैरोंसिह : नीलामी में जो भाव आये, क्या वे भाव खरीद के भाव से बहुत कम हैं?

श्री दौलतराम सारण : नीलामी में जिसकी सबसे ऊंची बोली आई उसको दिया गया।

श्री भैरोंसिह : मेरे प्रश्न को समझ कर उत्तर दें। मेरा प्रश्न यह है कि नीलामी के जो भाव थे क्या वे भाव खरीद के भाव से कम है?

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

गंगानगर के माइनरों से पानी का वितरण

१३७२. **श्री देवनाथ** (गंगानगर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) गंगानगर जिले की गंग नहर के जैड० माईनर व फार्म डिस्ट्रीयूटी पर कितने मुरब्बे बागान के लिये पानी मन्जूर हुआ है।

(२) क्या उक्त दोनों माईनरों का हैड बढ़ा दिया है। अगर हां तो किस हिसाब से?

(३) यह कार्य किस आधार पर किया गया है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) गंगानगर जिले की गंग नहर के जैड० माईनर पर ४७ मुरब्बे और फार्म डिस्ट्रीब्युटरी पर २५ मुरब्बे बागान के लिये पानी मन्जूर है।

(२) उक्त माईनरों पर बागान के लिए पानी की बढ़ोतरी मामूली हुई है। मामूली बढ़ोतरी होने के कारण हैडों को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हक के अनुसार पानी गेटों से वितरण किया जाता है। और कहीं भी पानी की कमी की शिकायत नहीं है।

(३) प्रश्न नं० ३ के उत्तर की पूर्ति प्रश्नोत्तर नं० २ में हो चुकी है। उसको देख लिया जावे।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर उदयपुर वाटी का स्टाफ

१३७३. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:

(१) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर उदयपुरवाट जिला झुंझुनू में कितना स्टाफ होना चाहिये

Page No.34

(श्री शिवनाथसिंह)

तथा इस वक्त कितना स्टाफ है ?

(२) इस सेन्टर को स्थापित हुए कितना समय हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सेन्टर को जीप, दवाई तथा अन्य जितने भी साधन मिलने चाहिये थे, अभी तक नहीं मिले हैं ?

(४) क्या यह सही है कि जीप के बिना गांवों में जाने में सम्बन्धित अधिकारियों को बहुत कठिनाई रहती है ?

(५) उक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कायम होने से अब तक सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी ने कितने गांवों का दौरा किया है तथा उनके अधिकारक्षेत्र में कुल कितने गाव हैं ?

(६) क्या यह सही है कि स्टाफ तथा दवाइयों की कमी तथा आवागवन के लिये साधन के अभाव के कारण प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इन कमियों को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) प्राइमरी हैल्थसेन्टर उदयपुरवाटी के लिये स्वीकृत स्टाफ तथा मौजूदा स्टाफ की सूची निम्न प्रकार है:

	स्वीकृत	मौजूद
प्रथम श्रेणी का डॉक्टर	१	१
द्वितीय श्रेणी डॉक्टर	१	१
सेनीटरी इन्स्पेक्टर	१	
लेडीहैल्थ विजिर	१	
मिडवाइफ	४	१
कम्पाउन्डर्स	६	३

(२) १६-६-५७

(३) जी नहीं ? केवल जीप नहीं है जो अभी यूनीसेफ द्वारा प्राप्त नहीं हुई है ।

(४) जी नहीं ? मेडिकल ऑफीसर को जब जीप की आवश्यकता होती है तो वह बी० डी० ओ० से उसे प्राप्त कर लेता है ।

(५) सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों ने अब तक ३७ गांवों का दौरा किया । इस केन्द्र के अधिकार में कुल ६६ गांव हैं ।

(६) जी नहीं । केवल स्टाफ की कमी है, जिसकी पूर्ति कर दी जायेगी ।

श्री शिवनाथसिंह : जब कि उसके अन्दर में २७२ गांव हैं और केवल ३३ गांवों का दौरा किया, इतना कम दौरा करने का क्या कारण है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके अलावा सब-सेन्टर्स और हैं उनमें भी दौरा करते हैं ।

श्री शिवनाथसिंह : सब-सेन्टर्स क्या काम करें, वहां स्टाफ तो है नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात तो नहीं है, जो स्टाफ है मैंने आपको बता दिया है ।

श्री शिवनाथसिंह : छः सब-सेन्टर्स कायम होने चाहिये, उनमें चार सब सेन्टर्स पर स्टाफ नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मुझे तो जानकारी नहीं है । आप कहते हैं तो मैं देखूंगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(प्रश्नकाल में न लिए जाने वाले प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

१२.८ म० प०

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव : महोदय, मैं इस सत्र में विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई

1. The Rajasthan Land reforms and Resumption of Jagirs (Ninth Amendment) Bill, 1958.

2. The Rajasthan Sales Tax Assesment (Recovery Vaticlating) Bill, 1958.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई

1. The Rajasthan Live Stock Improvement Bill, 1957.
2. The Rajasthan Panchayat (2nd Amendment) Bill, 1958.
3. The Rajasthan Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1958.
4. The Rajasthan Colonisation (Amendment) Bill, 1958.
5. The Rajasthan Forest (Amendment) Bill, 1958.
6. The Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1958.

१२.६ म० प०

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

राजस्थान बीज तथा बीज व पौध विधेयक, १६५८.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बीज तथा बीज व पौध विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान बीज तथा बीज व पौध विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान कोर्ट फी एन्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज़ एक्सटेन्शन संशोधन विधेयक, १६५८

श्री सम्पतराम (उप राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोर्ट फी एन्ड स्टॉम्प डयूटी लॉज एक्सटेन्शन संशोधन विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री सम्पतराम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक, १६५८.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफोर्म्स

Page No.36

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of information, Sir. Has this Bill been published in the Rajasthan Gazette ? Because we have not received copies of the Bill.

श्री अध्यक्ष : पब्लिश नहीं हुआ है। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२.१० म० प०

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (पांचवा संशोधन) विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। क्लॉज़ दो।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ दो को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ ३, श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : मुझे अपना संशोधन मूव नहीं करना है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, I beg to move that part (i) of the proviso to newly proposed Section 19 (1) be substituted as under :- "(i) if the provisions of Section 46 ...

श्री अध्यक्ष : No, no. We are considering clause 3.

श्री तेजाराम गहलोत : Yes, I am talking about clause 3. Part (i) of the Proviso to newly proposed Section 19 (1) be substituted as under:- "(i) if the provisions of section 46 are applicable to such holding, or"

अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डेड सैक्शन के अन्दर जो प्रोविजो फर्स्ट है, वह इस तरह से है: "(i) if such part of the said land is held from any of the persons enumerated in section 46, or" सैक्शन ४६ जो है, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की उसमें कुछ एक्सेप्शन्स हमने रखे हैं जिसकी तहत में Due to physical disability or some such circumstances,

सम पर्सन्स को हमने छूट दी है कि वह पांच साल के ज्यादा भी सब-लैट कर सकता है। पर साथ ही साथ सैक्शन ४६ के अन्दर जो प्रोविजो लगा हुआ है और उसके अन्दर जो है रैस्ट्रिक्शन्स, वे इस तरह हैं :

Provided that where a holding is held jointly by more persons than

(श्री तेजाराम गलहोत)

one, the provisions of this section shall not apply unless all such persons are of one or more of the descriptions specified there in.

आजकल जैसी कि एक भावना चली है कि सीलिंग से बचने के लिये अपनी जमीन को अपने लड़कों, रिश्तेदारों और माइनर लड़कों के नाम से होल्डिंग्स को दर्ज करा देते हैं। इसमें यह शर्त रखी है कि अगर वह माइनर है या फिजिकली डिसएबल्ड है तो उसको जमीन नहीं मिलेगी। आज ऐसी मिसालें भी हैं कि एक जमीन को दस आदमियों के नाम दर्ज कराया गया है और इनमें से एक माइनर भी हो सकता है। बाप-बेटे के नाम भी दर्ज हैं। जब तक प्रोविजन यह रहेगा कि If such part of the said land is held from any of the persons enumerated in section 46 ... ऐसी सूरत में उस शिकमी काश्तकार को अपनी मौजूदा स्थिति में खातेदारी राइट्स नहीं दिये जा सकते।

हमारी मंशा है वास्तव में, जो इस तरह के लोग हैं उनको राहत पहुंचे। लेकिन जो कानूनी शिकंजे से बचने के लिये अपनी जमीन का नाजायज फायदा उठाने के लिये अपने और अपने बड़े लड़कों के रहते हुए माइनर लड़कों के नाम से जो दर्ज कराते हैं और इस तरह से कानून का दुरुपयोग करते हैं उनको इसका नाजायज फायदा नहीं उठाने देने के लिये इस धारा को इस तरह से कर दी जावे कि Provided (i) if the provisions of Section 46, are applicable to such holding, or..... तो जो इस का दुरुपयोग करेंगे उन पर यह कन्सेशन लागू नहीं होगा। तो यह बहुत से शिकमी काश्तकारों के लिये फायदे की चीज होगी और साथ ही साथ उन लोगों के लिये भी जो कानून की ओट में नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, बन्धन हो जावेगा और गलत तरीकों से शिकमी काश्तकार को खातेदारी राइट लेने से वे नहीं रोक सकेंगे। इसलिये जैसी कि आपकी मंशा है और जैसा प्रगतिशील कदम आप उठाने जा रहे हैं उसको देखते हुए निवेदन करूंगा कि आज के तीन साल पहले आपने जो छूट सब-लैटिंग की है उससे ज्यादा छूट आज देना प्रगतिशील कदम नहीं होगा। आज तो इससे एक दो कदम आगे ही बढ़ना चाहिये। हमें तो इस सब-टिनेन्सी को ही धीरे धीरे खतम करना है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बजाय उस धारा के जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट द्वारा तै की गई है इसको इस तरह से रखा जावे तो यह अच्छा होगा। इससे वास्तव में जो कन्सेशन डिजर्व करते है उनको ही मिलना चाहिये और वह इस धारा के रहते हुए भी मिलता रहेगा।

इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस तरह है : Add a new sub-section (2-A) after sub-section (2) of the newly proposed section 19 as follows:—

"(2A) Any khudkasht holder or Khatedar tenant whose rights have been affected under this section may, within two years from the commencement of this Act and on payment of

(श्री लक्ष्मीचन्द)

a court fee of 25 naya paisa apply to the Assistant Collecter having Jurisdistion praying for a declaration that the person to whom Khatedari rights have accrued under this section was not a sub-tenant on the commencement of this Act and as such his name from record of right as Khatedar tenant be removed forthwith." सब साथ ही मूव कर दूँ साहब ?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

श्री लक्ष्मीचन्द : Substitute the words "one year" for the words "two years" occuring in sub-section (2) of the newly proposed section 19.

Add the following new sub-section (5) to the newly proposed section 19:-

"(5) After entering the mutations under sub-section (1) the officer concerned shall give notice in writing to the persons whose rights have been affected to submit their claims for compensation, if any."

Add the following provison at the end of the newly proposed section 19:-

"Provided that any tenant of Khudkasht or sub-tenant to whom right accrue under sub-section (1) gives in writing that he does not like to pay compensation, his rights in respect of such land shall be deemed to have extinguished, and proper corrections shall be made in the record of rights."

तो अध्यक्ष महोदय, मेरे इस अमेंडमेंट की मन्शा यह है कि कई तो करेक्शन्स रिकार्ड ऑफ राइट्स में एन्ट्री इस किस्म की हुई है जो कि गलती है और रिकार्ड ऑफ राइट जिसको सरकार इतना महत्व देती है कि हमारा रिकार्ड इतना काबिले यकीन है, इतना इम्पोर्टेन्ड है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ सरकार ही इस किस्म का अमेंडमेंट भी रखती है कि जिनका इंद्राज रिकार्ड में नहीं हुआ है वह दो साल में एप्लाई करें तो उसका करेक्शन कर दिया जायेगा। तो अध्यक्ष महोदय, इससे यह स्पष्ट नीति सरकार की साबित होती है कि सरकार का जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है वह साफ बनाया हुआ नहीं है, वह काबिले-यकीन नहीं है, सरकार का जो रिकार्ड है उस पर हम कैसे एतबार करें जब कि सरकार स्वयं अपने ही बनाये हुए रिकॉर्ड पर एतबार नहीं करती और जब ही इस किस्म का प्रॉवीजन लाकर रखती है कि जिसकी एन्ट्री इस रिकॉर्ड में नहीं हुई है वह दो साल में एप्लाई करे तो उसकी एन्ट्री कर दी जायेगी। तो सरकार जब अपने द्वारा अपॉइन्ट किए हुए अमीन, पटवारी या तहसीलदार जिनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, उस पर सरकार विश्वास नहीं करती तो हम कैसे विश्वास करें कि वह सही है। रिकॉर्ड की हालत देखनी है तो मैं आपको बताऊं कि उसकी बाइंडिंग तक ठीक तरह से की हुई नहीं है। पटवारी उसमें मनचाहे इन्द्राज निकाल सकता है, पांच साल पुराने भी निकाल सकता है। उसमें पेजिंग नम्बर तक नहीं हैं। अगर माननीय राजस्व मंत्री महोदय इस बात का निर्णय लेना चाहें और देखना चाहें कि रिकार्ड किस प्रकार से बदला जाता है तो आप खुले आम सांचौर में आयें वहां के हवलदाद के पास जाकर देखें। एक

(श्री लक्ष्मी चन्द)

दफा जो पटवारी इन्दराज कर देता है, वहां नदी आती है, पानी बहता है उसी तरह वहां इस काम पर पैसा भी बहता है पटवारियों के हाथ वहां पर खुले हैं और सरकार का उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। वह मन चाही जगह इन्दराज करवाते हैं इसलिए मैं हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का आपका रिकॉर्ड है जो कि किसानों पर समय समय पर कुठाराघात पहुंचाता है। आप जिन किसानों के हितों की बातें करते हैं उनका जो रिकॉर्ड बनवाया हुआ है वह किसी भी समय पैसा देकर चेंज करवाया जा सकता है, आपका किसी किस्म का कन्ट्रोल नहीं है। आपका पटवारी मन चाहे जैसे रिकॉर्ड में इन्दराज कर सकता है। आपका वहां पर आर० आई० है वह वहां पहुंचता है और वह मन चाहे जो लिख देता है, उसकी कोई चैकिंग करने वाला नहीं है, वहां का रिकार्ड तमाम लाल हो रहा है। जो पटवारी वहां पर पिछले ११ साल से है उसको आपने आर० आई० बना दिया है। वह वहीं पर दो बार सस्पेंड भी हुआ लेकिन फिर उसी जगह पर टिका हुआ है और पटवारी से उसको आर० आई० भी बना दिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे पटवारी और आ० आई० से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वह रिकॉर्ड ठीक तरह से रख सकते हैं! हमारे वहां एक एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट सिरूलाल जी थे उन्होंने इस पटवारी के लिए लिखा है कि यह पटवारी ऐसा है जो मन चाहे ढंग से रिकॉर्ड बदल सकता है। तो इस प्रकार के पटवारी को आर० आई० बनाया है और उनके हाथ में रिकॉर्ड है और जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम कैसे विश्वास करें कि सरकार का रिकार्ड ठीक ढंग से है। इसलिए जो अमेंडमेंट मैंने रखा है कि जिसकी एन्ट्री अलग गलत लिख दी गई है तो मेरे संशोधन की ऐसी मंशा है कि जिस चीज की इन्दराज गलत की हो या आर० आई० ने गलत कर दी है तो उसको चैलेंज करने का मौका मिलना चाहिए। अगर दो साल में चैलेंज करते हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। मैं आपको अध्यक्ष महोदय, बताऊं कि उस रिकॉर्ड का हाल ऐसा है कि एक एक खेत की दो-दो गिरदावरी स्लिप इश्यू की जाती हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सिलूसिली में दो को गिरदावरी स्लिप इश्यू की हैं। आर० आई० ने तो एक को और पटवारी ने दूसरे को इश्यू की है। इसका नतीजा यह हुआ कि इसके ऊपर टंटे फिसाद हुए और जब कोर्ट में केस गया तो मजिस्ट्रेट साहब किसी जस्टिस पर नहीं पहुँच सके। आप इस रिकॉर्ड ऑफ राइट के जरिये से लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं जिस पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। वैसे तो हमारे यहां कहावत ऐसी है कि एक-एक स्लिप के ७००) रुपये लिये जाते हैं। मेरे एरिया में तो ऐसी भूमि है कि जहां एक-एक स्लिप के ७००) रुपये तक लोग देते हैं।

'दिया लिया का मान है, पाप मूल मत जा।
लक्ष्मी दिया न छोडिये, जब लग पद की शान ॥'

जब तक मिलना है उसको मत छोड़। अगर किसान का खून होता है मगर सरकार उसके लिए कुछ नहीं सोच रही है। उस रिकॉर्ड पर सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है। अगर राजस्व मंत्री जी देखना चाहें तो गुडाहेमा में देखें एक ही पटवारी ११ साल से एक जगह बैठा है उसको सरकार ने कह दिया है कि बेटा ११ साल तक बैठा शासन कर तुझे खाने वाला कोई नहीं है। जब तक हमारे

(श्री लक्ष्मीचन्द)

राजस्व मंत्री जी ऐसे आदमी को नहीं हटायेंगे तो मैं खुले आम उनके लिए कहूँगा कि राजस्व मंत्री जी स्वयं उस दोष के भागी हैं। ११ साल तक एक आदमी को आपने मॉनोपोली लाईसेंस दे दिया। वह उसी हल्के से सस्पेंड हुआ और उसी जगह उसको पटवारी से आर० आई० बना दिया। अब आप ही सोचिए कि आपका रिकॉर्ड किस ढंग का होगा.......

श्री पूरुषोत्तमलाल शर्मा : यह कोई इससे रिलेवेन्ट है क्या ?

श्री लक्ष्मीचन्द : रिलेवेन्ट तो है।

श्री अध्यक्ष : आप अमेंडमेंट पर ही सीमित रहिये।

श्री लक्ष्मीचन्द : फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : और भी बहुत मौके आयेंगे कहने के।

श्री लक्ष्मीचन्द : (जारी) तो अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट को रखने की मंशा यह है कि हमारा रिकॉर्ड ठीक ढंग का बना हुआ नहीं है। जो मर्जी चाहे चेंज किया जा सकता है। ऐसी हालत में दो रुपया नहीं देने के कारण से किसी के हक को छीनने के लिए उसी के मंशा माफिक कार्य नहीं हुआ तो उसके हक को छीनने के लिए सब-टिनेन्ट दर्ज कर देते हैं, तो इसके लिए उसको मौका मिलना चाहिए। एक तरफ तो सरकार रखती है कि दो साल के लिए करेक्शन के ऑर्डर्स होने चाहिए। आपके कानून में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि अगर किसी का गलत इन्दराज हुआ है तो उसके करेक्शन के राइट दो साल के होने चाहिए। मेरा इसमें अमेंडमेंट है कि यह टाइम दो साल का नहीं बल्कि एक साल का होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि दो साल का समय रखने से उसके अन्दर लिटीगेशन बढ़ेगा और कानूनी अड़चन आयेगी। हर एक को यह मौका होगा कि दो साल का प्रावधान रखा है और मैं करेक्शन करवाने के लिए एप्लाई करूं और काश्तकार इस सस्पीशन में रह जाता है कि उसे जो खुदकाश्त का पर्चा मिला है वह दो साल के अन्दर दुरुस्त करवा सकता हूँ तो खेती के काश्त करने के लिए वह मेहनत नहीं करेगा और ठीक ढंग से उसको उपजाऊ नहीं बनायेगा। इसलिए ही मैंने दो साल के बजाय एक साल का संशोधन रखा है। दूसरा यह है कि जिसका राइट मर जाता है टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आने के बाद आपने उत्तम प्रोविजन रखा है कि जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट में सब-टिनेन्ट का नाम दर्ज है हो "बिकम्स ए खातेदार'। एक लैंडहोल्डर को कैसे मालूम होगा कि उसका जो सब-टिनेन्ट है वह खातेदार हो गया है या सरकार ने उसको खातेदार कर दिया है। लैंडहोल्डर को मालूम ही नहीं होगा इस प्रकार से सरकार ने या पटवारी ने इस प्रकार का इन्दराज करके उसको खातेदारी राइट्स दे दिये हैं तो उसको मालूम होना चाहिए, उसको इस बात का इलम होना चाहिये कि मेरा जो सब-टिनेन्ट है वह खातेदार बन गया है'। इसलिए मुझे कम्पेन्सेशन के लिए एप्लाई करना है'। इसलिए इसका प्रोविजन होना चाहिए ताकि उसको मालूम हो जाये कि उसका सब-टिनेन्ट खातेदार हो गया है और अब उसको कम्पेन्सेशन के लिए एप्लाई कर देना चाहिए।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जो करेक्शन्स को करते हैं, जो ऑफिसर्स इन सब–टिनेन्ट को खातेदार डिक्लेयर करें उनको ये राइट्स भी होने चाहिए कि वह पार्टी को बुलाये, उसको सुने कि तुम्हारा जो सब–टिनेन्ट दर्ज किया हुआ है उसको खातेदार के राइट्स देते हैं और तुम कम्पेन्सेशन के लिए एप्लाई करो। जब तक उसको मालूम नहीं होगा तब तक उसको मालूम नहीं हो सकता कि उसका कौन सा सब–टिनेन्ट खातेदार बन गया है और उसे कम्पेन्सेशन मिलेगा या नहीं। उसके इस बात से इगनोरेन्स रहने के कारण वह कम्पेन्सेशन लेने से महरूम हो जायेगा, इसलिए यह प्रोविजन होना चाहिए....

दूसरा यह अमेंडमेंट है कि कोई 'शख्स' सब–टिनेन्ट दर्ज है, अगर वह खातेदार नहीं बनना चाहते हैं तो सरकार का यह कम्पलशन नहीं होना चाहिए कि उसको खातेदार बनना पड़ेगा। किसी ने कोई भी भूमि ५५ में लेकर काश्त की थी क्योंकि उस समय वहां नदी आई थी और ५ साल तक नदी नहीं आती है और चूंकी उस जमीन पर वह सब-टिनेन्ट दर्ज कर दिया गया है और आज वह खातेदार नहीं बनना चाहता है तो उसको ऐसे राइट्स होने चाहिए। यानी किसी न किसी मौके पर उसने अगर एक खेत लिया और एक साल काश्त करके छोड़ दिया तो उस पर इस प्रकार का बाइडिंग नहीं होना चाहिए कि उस जमीन पर उसका नाम दर्ज कर दिया है इसलिए वह खातेदार रहेगा। अगर वह लिखकर देता है कि खातेदार नहीं बनना चाहता है तो सरकार उसको कम्पेन्सेशन देने के लिए और जबरदस्ती खातेदार बनाने की कोशिश नहीं करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे मेरे संशोधन, जो रखे हुए हैं उनको स्वीकार करेंगे।

डॉ० बहादरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, इसमें थोड़ासा संशोधन भी है। वह इस प्रकार है कि १९ वीं क्लॉज़ जो संशोधित हो रही है उसके चौथे सब-सैक्शन के अन्दर यह शब्द एड कराने के लिए "In instalments or lumpsum" यह क्लॉज़ इस प्रकार है : "(4) Every tenant of Khudkasht or sub-tenant to whom rights accrue under sub-section (1) shall be bound to pay his land holder compensation determined in accordance with the provisions of this Chapter."

माननीय अध्यक्ष, आज राजस्थान के किसानों की हालत खराब है। वह इस लायक नहीं हैं कि कोई भी रकमएक मुश्त दे सकें, विशेषकर जो हरिजन काश्तकार हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। इसलिए मेरा माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि टिनेन्ट को राइट दें कि आया किश्तों के द्वारा रुपया दें या लम्पसम में। लम्पसम में इसलिए रखा था कि जो लम्पसम में देना चाहे तो दे दे, लेकिन अगर नहीं दे सके तो उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किश्त कर लें। मैं समझता हूं कि जितने भी हरिजन काश्तकार हैं उनको इस बात से बहुत बड़ा लाभ होगा और खातेदारी राइट्स उनको मिल जायेंगे।

मैं समझता हूं कि दूसरा जो दो साल का प्रोविजन है वह बहुत सुन्दर है। मैं समझता

(डॉ० बहादुरसिंह)

हूं कि दो साल नहीं ४ साल में भुगतान पूरा कर सकें। मैं समझता हूं कि दो साल का प्रोविजन बराबर रखा है। अगर इसको बढ़ा सकें तो दो साल के बजाय ३ साल के अन्दर उसको ले लें। अगर यह व्यवस्था कर सकते हैं माननीय मंत्रीजी तो करें, लेकिन इन्स्टालमेन्ट कम्पेन्सेशन इन्स्टालमेन्ट का हो। हमने अभी आगे जमींदारी बिल में रखा था कि इन्स्टालमेन्ट या पार्ट्स में देंगे। इस प्रकार की यहां व्यवस्था कर रखी है कि काश्तकार जिसको खातेदारी राइट्स देना चाहते हैं वह कम्पेन्सेशन इन इन्स्टालमेन्ट में दे तो बेचारे को अधिकार मिल जायगा। इससे जो गरीब खातेदार हैं उनको अधिक फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : इन्स्टॉलमेंट का ऑलरेडी है इसमें।

श्री सोहनलाल भटनागर : पहले से है।

श्री अध्यक्ष : श्री चौधरी।

(अनुपस्थित)

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस धारा में एक अमेंडमेंट तो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है। उनको जो शक था वह शायद अब दूर हो गया है। वह इसमें ऑलरेडी मौजूद है, प्रोविजन इन्स्टॉलमेंट्स के लिए। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद वे अपना अमेंडमेंट विद्ड्रॉ कर लेंगे।

दूसरा अमेंडमेंट जो सोजत से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने पेश किया है। उसके लिए मुझे अर्ज करना है...

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या समर्थन में बोलने की इजाजत भी नहीं है। आप जवाब दे रहे हैं तो क्या समर्थन में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते तो खड़े हो जाते।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has lost his right, Sir. I have already started replying.

श्री अध्यक्ष : इजाजत है, रूल्स में भी है। आपको सपोर्ट करना हो तो बोल सकते हैं, लेकिन आप खड़े हुए नहीं।

श्री अनूपसिंह : बोलना तो सभी चाहते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करूं कि जिस वक्त मौका था तब तो बोले नहीं। अब मैं अपना जवाब खत्म कर रहा हूं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह समझते थे कि इन्स्टॉलमेंट का सवाल है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ऐसा समझ कर नहीं बोले।

श्री दामोदरलाल व्यास : May I continue, Sir...

जो माननीय सदस्य सोजत से आये हुए हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ। पहला पॉइन्ट उनका है कि provisions of section 43 are applicable to such holdings इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यह जो प्रोविजन है वह पर्सन को एप्लाई होता है, होल्डिंग या जमीन के के साथ नहीं होता है। डिएबिलिटी जो है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वह पर्सन्स को एप्लाई होती है कि अमुक आदमी नाबालिग है या इन्फर्म है, या मिलिट्री पर्सोनल है, विडो है। इस तरह का जो प्रोविजन है वह पर्सन्स पर एप्लाई होता है, होल्डिंग्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जमीन का रद्दोबदल ही सकता है। वह पर्सन्स पर एप्लाई होता है। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट यहां फिट नहीं होगा।

दूसरा यह जो ४६ सेक्शन में :

श्री अध्यक्ष : सेक्सन ४६ में जो एक प्रोविजो है वह इससे कवर हो जाता है। इस बात को देखने की जरूरत है। प्रोवीजो है उसमें जो केटेगरीज ऑफ पर्सन्स है कि वह एक्सक्लूज़िवली होल्डिंग के टिनेन्ट हैं या सब-टिनेन्ट हैं तो :

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर देता हूं कि ५६ का प्रोविजो यह है कि The restrictions imposed by section 45 on letting by a holder of khudkasht and on sub-letting by a tenant shall not apply to these persons.

श्री अध्यक्ष : इसका प्रोवीजो देखिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। "Provided that where a holding is held jointly by more persons than one, the provisions of this section shall not apply unless all such persons are of or more of the one descriptions specified therein."

श्री अध्यक्ष : वह जो प्रोविजो है उसकी मन्शा इस प्रोज्योलोजी से पूरी हो जाती है तो बिल्कुल ठीक है।

श्री दामोदरलाल व्यास Yes sir. यह जो प्रोविजन है एज अमेन्डडेड बाई दी सीलेक्ट कमेटी "if such part of the said land is held from at any of the persons enumerateJ in Section 46, or."

Now "any of the persons enumerated in Section 46" Section 46 means the whole of Section 46 and not a part of it. Definitely the provisions of Section 46 will apply to only those persons who fulfil the requirements of the proviso. प्रौविजो के रिक्वायरमेन्ट को फुलफिल करेंगे तो सेक्शन ४६ एप्लाई होगा। और प्रविजन ४६ की एज होल एप्लाई होगा। पार्ट ऑफ प्रोविजो को एक्सक्लूड नहीं किया है तो।

श्री अध्यक्ष : ४६ को लागू नहीं किया है आपने सिर्फ कहां है provisions of Section 49 as a whole apply होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो प्रोविजो है उसमें यह लिखा है "Provid that where a holdieg is held jointly by more persons than one, the provisions of this section ahall not apply unless all such persons are of one or more of the descriptions specified therein." इसका मतलब यह होगा कि सेक्शन ४६ के अन्दर जो रियायत है वह उन लोगों को मिलेगी, फर्ज करिये कोई ज्वाइन्टली ओन करते हैं तो यह जरूरी है कि सब के सब डिसएबल्ड इसमें हों। इनमें से पूरे के पूरे डिसएबल्ड होने चाहिए तो सेक्शन ४६ जब रखा था तो यह प्रोविजो डेफिनेटली उन पर एप्लाई होगा। थोड़ी देर के लिए, मिसाल के तौर पर मान लें कि एक लैण्ड ज्वाइन्टली होल्ड करते हैं उसमें एक ल्यूनेटिक है और दूसरा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिसएबल्ड नहीं है तो वह डिसएबिलिटीड एप्लाई नहीं होती हैं और वह ४६ एप्लाई नहीं होगा। प्रोविजो सेक्शन ४६ का एप्लाई होगा। ज्वाइन्ट लैण्ड है उसके अन्दर all the persons who are joint owners of that land, or joint tenants or co-tenants, they must all possess any of these disabilities. इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई एप्रिहेन्शन हो।

श्री अध्यक्ष : If you are satisfied, it is alright.

श्री तेजाराम (गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ४६ के अन्दर····

श्री अध्यक्ष : आपने उत्तर दे दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : (आप कोई स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : (सोजत) सेक्शन ४६के अन्दर पहले पर्सन्स डैस्क्राइब किये हैं, उस के बाद यह कन्सेशन इस सूरत के अन्दर नहीं मिलेगा जैसा कि सेक्सन १६ में करते हैं। सेक्सन ४६ में उन पर्सन्स को किसी जमीन के अन्दर सब-टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं होंगे यह कन्डीशन जो कुछ एक्स्प्लेनेशन के रूप में या किसी रूप में में लगाने को तैयार है तो से ४६ में जो कंडीशन्स है वे फुलफिल नहीं होंगी तो उनको नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि चार आदमियों की जमीन है लेकिन उनमें से एक माइनर है और एक सब-टिनेन्ट चारों की जमीन होल्ड करता है तो उस सूरत में तीन मेम्बर भी उसका फायदा उठावेगा ही क्योंकि धारा ४६ में जो बात डेसक्राइब है और उसमें जो कंशेशन्स दिये हैं उससे ज्यादा नहीं देने चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने क्लीयरली अर्ज किया है कि ४६ में जो है उसको प्रोटेक्ट किया है, इसके प्रतिकूल होने का सवाल पैदा नहीं होता है। डिसएबिलिटी एक आदमी होल्ड करता है और दूसरा he does not have any of the disabilities that are descriced in section 46.

तो उसको राइट होने का सवाल नहीं है! सेक्शन ४६ एज़ ए होल पढ़ी जाय तो यह होगा कि धारा ४६ में मुस्तेहक है या नहीं। प्रोविजो से यदि कोई धारा ४६ का फायदा लेना चाहता है तो देखना पडेगा। whether he fulfils the requirements of Section 46 or not and that means inclusive of proviso to section 46.

इसलिये शक शुबा की कोई गुंजायश नहीं दे। इसलिये मैं समझता हूँ मानीय सदस्य को शुबा हो रहा है वह ठीक नहीं है, इसकी कोई गुंजायश नहीं है सेक्शन ४६ का प्रोविजो हमेशा पढा जायगा और बाद में डिटरमिन किया जायगा। and it is not at all necessary to put any further explanation on this clause.

दूसरे क्लॉज़ में सेकन्ड अमेन्डमेन्ट आपका है जिसके लिये अर्ज किया the words 'or order' be omitted.

वह बिल्कुल वाजिब नहीं है बाई ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेन्ट कोर्ट और बाइ सिविल कोर्ट हो।

यदि डिक्री हुई तो रिकोग्नाइज करेंगे ऑर्डर होगा तो रिकोग्नाइज नहीं करें we

Page No.45

(श्री दामोदरलाल व्यास)

must recognise it. By legislative methods we do not want to undo anything that is done by a court.

इसलिये इसको ओमिट करने का प्रश्न पैदा नही होता ।

तीसरी बात एक माननीय सदस्य जो सांचोर से आये हैं उन्होंने सुझाव पेश किया, पटवारियों के रिकॉर्ड के बारे में खास तौर पर उनको ऐतराज है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रोविजन में यह रखा है कि रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड में फर्क है नहीं । लेकिन इसका एक खास कारण है और वह इसलिये नहीं कि लैंड रिकॉर्ड पर ऐतबार नहीं है, जहां बाकायदा एन्युअली रजिस्टर में इन्दराज होता है और तहसील की तरफ से पटवारियों ने इन्दराज किया है उनको फोर्थ विद् रिकोग्नाइज करते हैं क्योंकि उसमें अगर कोई गलती रह गई हो तो दर्ख्वास्त देकर वे एन्ट्रीज़ ठीक करा सकते हैं, इसलिये जहां तक उनका प्रश्न है हम उनको फोर्थ विद् रिकोग्नाइज करते हैं लेकिन जहां अनरिकार्डेड था, जागीर एरिया में रिकॉर्ड नहीं रहता था और उनका रिजम्पशन बाद में हुआ इसलिये पटवारियों के पास उनका रिकार्ड नहीं है इसलिये उनको मौका नहीं देना न्यायसंगत नहीं होगा । लेकिन क्योंकि इस जमीन में, जागीर एरिया में, रिकार्ड नहीं रखा जाता था इसलिये हम उनको राइट को छीनना नहीं चाहते, वे साबित करें अदालत में कि वे फलां तारीख को सब-टिनेन्ट्स थे इसलिये उनको अधिकार है इसलिये उनको राइट देते हैं कि जिनका रिकॉर्ड नहीं है वे साबित करें, इसलिये नहीं कि तहसील के रिकॉर्ड पर हमको भरोसा नहीं है या विश्वास नहीं है बल्कि सही बात यह है कि जागीर एरिया में रिकॉर्ड नहीं था, रिजम्पशन बाद में हुआ इसलिये उनको साबित करने का मौका दिया गया ।

दूसरा अमेन्डमेन्ट है सेक्सन २ . ए के लिये । मैं अर्ज करता हूं कि टिनेन्सी एक्ट में प्रोविजन है कि कोई भी शख्स सब-टिनेन्ट या खुदकाश्त टिनेन्ट डिक्लेअर कर सकता है । सेक्शन ८८ है उसके अन्तर्गत डिक्लेरेशन कर सकता है इसलिये इस प्रोविजन को रखने की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि इसमें है – The following sub-clause (5) be newly added:- "(5) After entering the mutations under sub-section (1) the officer concerned shall give notice" सिलेक्ट कमेटी में भी इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था । नोटिस देने में दिक्कत यह होती है कि लाख टिनेन्ट्स होते हैं उन सब को नोटिस देना प्रेक्टिकेबल नहीं है । बाई लॉ यह करते हैं कि सब टिनेन्ट्स को राइट मिलना चाहिये जो कोई खुदकाश्त होल्डर हैं उनका राइट रखा है । उसके लिये ६ महीनों के बजाय पीरियड और बढ़ा दिया है ताकि वह अपने कम्पेन्सेशन को एक्सेस करावें । लॉ में सारा प्रोविजन है इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है । सेक्सन ५ में इनसिर्ट करना चाहते हैं । आखिरी मंशा यह है कि टिलर लैंड के मालिक होने चाहिये । प्लानिंग कमीशन की मंशा यह है कि सब-टिनेन्ट्स और खुदकाश्त होल्डर्स के बीच में जो इन्टरमीजियरीज़ हैं उनको एबोलिश किया जावे, इसलिये १५ अगस्त १६५५ को जो राइट्स थे वे दिये जायं, सब-टिनेन्ट्स को डिसकरेज करना चाहते हैं । इसलिये यह प्रोविजन रखने की आवश्यकता नहीं है कि नोटिस दिया जाय राइटिंग में या वरबली एप्रूव करें ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ये ऐसी चीजें हैं जिन पर काफी विचार हो चुका है और इस प्रकार के प्रोविजन्स है, सब टिनेन्ट्स को भी अपॉइन्टेड डेट को राइट्स एक्रयू हो चुके हैं और कम्पेन्सेशन को एक्सेस कराने के लिये प्रोविजन है, जैसा कि दिल्ली में है और बॉम्बे स्टेट में भी है कि सब-टिनेन्ट्स या टिनेन्ट्स हैं अलग अलग तरह के उनको अपाइन्टेड डेट को राइट मिल चुके हैं, मालिक हो गये हैं या प्रोप्राइटर हो गये, अकोर्डिंग टू बॉम्बे एक्ट उनको राइट हो गया, ऐसा प्रोविजन हमने भी रखा है। इसलिये माननीय सदस्य जो सांचौर से आये हैं उनके अमेन्डमेन्ट को मानना उचित नहीं होगा इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं। जैसा सिलेक्ट कमेटी ने एज अमेन्डेड पेश किया है उसी तरह से पास होना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बहादुरसिंह ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की इज़ाजत दी जाय, जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें और जो विपक्ष में हैं वे न कहें। (हां पक्ष जीता)

अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी गई।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत : जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने अभी बताया है कि धारा १९ की तहत प्रोविजो लगाया है उसकी मंशा जैसी धारा ४६ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की है वैसी ही है और जिन सूरतों में धारा ४६ टिनेन्सी एक्ट, एप्लीकेबल होगी वही काश्तकारों को फायदा देने में मुस्तसना होती है और वैसी ही मेरी मंशा थी इसलिये मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजाराम गहलोत ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय। जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें और जो विपक्ष में है वे ना कहें। (हां पक्ष जीता)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता था कि राजस्व मंत्री जी ऐसा जवाब देंगे जिससे मुझे संतोष होगा और मैं अपना संशोधन वापिस ले लूंगा, लेकिन उनका जवाब लीपापोती मात्र था और वह संतोषजनक जवाब नहीं था। आपने एक बात यह कही कि चार साल तक क्यों सोता रहा, उनके नाम एन्ट्री थी, तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिसके नाम एन्ट्री दर्ज नहीं है वह भी क्यों सोता रहा, उसको भी राइट था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कब कहा कि सोता रहा, मैंने यह कहा कि जागीर एरिया में जो रहते थे उनका इन्दराज नहीं है

श्री लक्ष्मीचन्द : सन् ५५ में जालोर डिस्ट्रिक्ट में सब जगह रिकॉर्ड बन चुके थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जालौर डिस्ट्रिक्ट ही तो सारा राजस्थान नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बाहर है क्या ? आपने राइट रखा है, गलत इन्दराज होगा तो खातेदार मान लेंगे यह न्यायसंगत नहीं है। अगर गलत इन्दराज हुआ है तो उसे रोकना चाहिये। दूसरी, बात आपने यह कही कि कंपनसेशन के लिये नोटिस की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो आप उनके अधिकार ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनको नोटिस नहीं देना चाहते। प्रॉविजन रखा गया है, वह सप्लाई कर सकता है छः महीने के अन्दर। उसको क्या मालूम है कि रिकार्ड इस किस्म का है, रिकॉर्ड में यह चीज हो गई है। उसके पास जब नोटिस जायगा तब उसको मालूम होगा कि कंपेसेशन देना है। इससे कई लोगों को मुगालता रह जायगा कि रिकॉर्ड में मेरा राइट है, वह मेरे नाम से है। क्योंकि मैं काश्त करता हूं लेकिन उधर दूसरा काश्तकार कम्पन्सेशन देने की बात बता देगा। इसलिये नोटिस देने की जरूरत थी।

तीसरी बात यह कही कि काश्तकार को खातेदार नहीं बनाना चाहते है क्योंकि ओटोमेटिकली वह मान लिया जायगा। जो सब-टिनेन्ट है, उसके लिए सवाल नहीं है कि वह टिनेन्ट हो। वह सब-टिनेन्ट रहे, उसको आप टिनेन्ट नहीं बनाना चाहते हैं। इसके लिये राजस्व मंत्री जी को तय करना चाहिए कि किसको खातेदार नहीं बनाना चाहते हैं, क्यों उसको खातेदार नहीं बनायेंगे ? ऐसा होना चाहिए कि फलाने कारणों से खातेदार काश्तकार नो नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे गलत इन्दराज हो ऐसा प्रोविजन हो कि जिसे नहीं बनाना चाहते हैं, वह लिख कर दे। वह लिख कर दे तो उसको माने। ऐसी हालत में दो तीन बातों का आप क्लेरीफिकेशन कुछ कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : जिन एन्ट्रीज के बारे में कन्ट्रोवर्सी हो, उनके बारे में क्या पोजीशन रहेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है कि जो कॉम्पीटेन्ट कोर्ट का फैसला होगा वह हर जगह मान्य होगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि जो कोर्ट फैसला देगी वह गलत हो जायगा। इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जाता कि हर बात के लिए उसमें क्लॉज़ रखा जाय यह कॉमन क्लाज है, उससे सब गवर्न होंगे। अगर १५ तारीख को कोई टिनेन्ट सब-टिनेन्ट था तो उसको हक पैदा होंगे, उसको खातेदारी राइट मिल जायेंगे। अगर कॉम्पीटेन्ट कोर्ट फैसला करता है कि १५ तारीख को सब-टिनेन्ट नहीं था, then of course the right which had accrued to a person will naturally be taken away because now the court has declared that he was not a sub-tenant or tenant on a particular date.

इसके लिए प्रोवीजन करना जरूरी नहीं क्योंकि That goey without saying अगर कोर्ट तय कर देगी कि १५ तारीख को सब टिनेन्ट नहीं था तो अपने आप खत्म हो जायेगा We should leave such things for interpretation. The intention is Clear and then let the law courts interpret. इन्टेन्सशन बिल्कुल यह है, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं हो सकती है। अगर कोर्ट फैसला देगी तो वह उस रोज से हो जायगा already we have made a provision वह कोर्ट ने इजेक्ट कर दिया है, तो ऑर्डर या डिक्री by order or decree. that we have already recognised मान लीजिये, किसी ने दर्ख्वास्त दी है, मैं अर्ज कर रहा हूं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माननीय अध्यक्ष, कि यह बिल यहां बन रहा है, इस पर डिस्कशन हो रहा है' उधर सैकड़ों हजारों दरख्वातें पेश हो जाय, अगर हम इसमें प्रोविजन कर दें कि जो दरख्वास्तें पेश हो रही है, that means for the very purpose for which I have requested this House to enact this Law, that very purpose will be frustrated.

इसमें क्या होगा कि खातेदारी राइट पाने के लिए लिटिगेशन के अन्दर फंस जायेंगे I don't want to invite that trouble for the people. I want to give them substantial justice which as a matter of right they actually deserve.

इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, इससे नई मुश्किल पैदा हो जायगी, नये मुकदमे पैदा हो जायेंगे। बहरहाल करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। Anybody can go to any court of law and file a suit and thereby deprive that man of getting advantage of this law on an appointed date.

इसलिए मैं इसे स्वीकार करना नहीं चाहता और मैं इस प्रकार के अमेंडमेंट का विरोध करूंगा।

श्री लक्ष्मीचंद : आपके अमेंडमेंट करने से पहले काश्तकार राइट की एन्ट्री को करेक्ट करवा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that the law is there. हमने लॉ को कहां अमेंडमेंट किया है। जहां एन्ट्री का प्रोविजन है, वहां होती रहेंगी। आप यह चाहते हैं कि जहां करेक्सन का केस चल रहा हो वहां केस को पेंडिंग रखा जाय that is not possible, and nor is that intention.

श्री आबिद अली : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लाज पर नोट ऑफ डिसेन्ट है।

श्री लक्ष्मीचंद : सब क्लॉज तीन पर चल रहा है।

श्री आबिद अली : क्लॉज तीन के सब क्लॉज चार में है।

श्री अध्यक्ष : आपने अमेंडमेंट भेजा नहीं।

श्री आबिद अली : मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहेंगे। आप अमेंडमेंट भेजते। Even if you speak now, there is no concrete proposal of yours on which the House may take a decision.

श्री आबिद अली : काहे का।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपके बोलने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप नोट ऑफ डिसेन्ट के अनुसार अमेंडमेंट भेजते तो राइट मिल जाता।

श्री आबिद अली : नोट ऑफ डिसेन्ट पर बोल सकता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह स्टेज चली गई।

श्री आबिद अली : मैं क्लॉज तीन के सब-क्लॉज़ चार पर बोल सकता हूं।

Page No.49

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वे बोल कैसे सकते हैं ?

श्री आबिद अली : व्हाई नॉट ?

श्री अध्यक्ष : अगर आप बोलेंगे तो सिवाय एक जनरल डिबेट के तौर पर डिस्कस होने के कोई पर्पज सर्व नहीं होगा ।

श्री आबिद अली : मैं कॉन्स्टीट्यूशनल पाइन्ट पर दो बात कहना चाहूँगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : बोलने का राइट तो आपका चला गया। उस समय बोलना चाहते तो बोलते । उसका मैं जवाब दे चुका हूँ ।

श्री आबिद अली: आप दुबारा जवाब दे दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : दुबारा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री आबिद अली : आप सुन तो लीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सुन लिया है और जो सदस्य सिलेक्ट कमेटी में मौजूद थे वहां भी सुना था । मैंने पढ़ लिया है । माननीय सदस्यों ने आपकी व्यूज सलेक्ट कमेटी में सुनी और नोट ऑफ डिसेन्ट पढ़ लिया है । आपका राइट अब चला गया है । एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन लाइन्स पर आपने सजेस्ट किया है, उन्हीं लाइन्स पर सांचोर से आये हुए माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट सजेस्ट किया है, वह डिस्कस हो चुका है । अगर आप चाहते तो उस समय अपना राइट एक्सर्साइज़ कर सकते थे ।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया है, यह जरूरी नहीं है कि वह मेरे दिमाग का है, यह भी जरूरी नहीं है कि जो आर्ग्युमेंट्स दिये हैं, उन्हीं को मैं एडवान्स करना चाहता हूँ । मैं उसे दूसरे ढंग से रखना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप उसके सपोर्ट में बोल लेते ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जवाब अब हो चुका है, अब आप...

श्री आबिद अली : मैं दो, तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि मेरा ऑब्जेक्शन है, आप नहीं बोल सकते ।

श्री आबिद अली : ऑब्जेक्शन कैसा है ?

श्री अध्यक्ष : आप उस स्टेज पर सपोर्ट कर सकते थे, अपने नोट ऑफ डिसेन्ट पर बोल सकते थे । वह स्टेज चली गई और जो अमेंडमेंट इस तरह का था, उस पर डिबेट हो चुकी है, जिस वक्त उस पर डिबेट हुई, आप उसके सपोर्ट में नहीं बोले ।

श्री आबिद अली : क्लॉज़ तीन को स्वीकार नहीं किया गया है । जब तक स्वीकार नहीं किया जाय, उसके सब-क्लॉज़ चार पर बोलने का अधिकार है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : नहीं ।

श्री आबिद अली : क्यों नहीं बोल सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : वैधानिक आपत्ति है। आप थर्ड रीडिंग के वक्त बोल लीजिये। अगर आप समझते हैं कि आपके आग्युमेंट्स ऐसे हैं जिनका सदन के सामने आना अनिवार्य है तो उस स्टेज पर देख लीजिये। इस स्टेज पर डिबेट करना मुश्किल होगा।

श्री आबिद अली : मैं चाहता हूं...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि ये कुछ नहीं कह सकते।

श्री आबिद अली : मैं चाहूंगा...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इस क्लॉज़ पर कुछ नहीं बोल सकते।

श्री आबिद अली : माननीय सदस्य श्री पुरुषोत्तमलालजी कुछ ज्यादा सेन्टीमेंटल हो रहे हैं। वे बतावें कि किस रूल के मातहत मैं नहीं बोल सकता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मिनिस्टर इन्चार्ज के बोलने के बाद आपका राइट नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष : आप किस रूल के तहत बोलना चाहते हैं।

श्री आबिद अली : मेरा निवेदन यह है कि क्लॉज़ तीन को स्वीकार नहीं किया गया है, क्लॉज़ तीन पर डिस्कशन चल रहा है तो मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट टेबिल पर है और मुझे बोलने का अधिकार है। अमेंडमेंट मेरा था नहीं, अमेंडमेंड जिनका था वे बोल चुके हैं। मेरे नोट ऑफ डिसेन्ट के लिए न मुझे कहा गया, न क्लॉज़ तीन स्वीकार हुआ है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे नोट ऑफ डिसेन्ट पर बोलने का अधिकार दिया जाय। आप कहते हैं कि मैं नहीं बोल सकता। मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं नहीं बोल सकता था अगर यह क्लॉज़ स्वीकार कर लिया जाता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मिनिस्टर इन्चार्ज के बोलने के बाद किस रूल के अनुसार आप बोल सकते हैं, यह बतावें।

श्री आबिद अली : मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या है?

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब यह है कि आप नहीं बोल सकते हैं।

I think we will put the clause to vote now.

आप कुछ कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : No, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ चार। श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज़ तीन को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ तीन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ तीन को स्वीकार किया गया।

क्लॉज ४

१ म० प०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द । आपका है···

Omit the words and brackets "(other than wells and other irrigation works)" occuring in sub sec. (1) of the newly proposed section 20.

श्री लक्ष्मीचन्द : (सांचोर) दोनों में यही है । ब्रेकेट में··· other than wells and other irrigation works

इसको ओमिट कर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस प्रकार का कानून के अन्दर प्रोविजन रखा है कि जिसके खातेदारी राइट्स, जिसकी एन्ट्री रजिस्टर ऑफ राइट्स में है सब-टिनेन्ट या खातेदार के टिनेन्ट के तरीके से तो इस एक्ट के फोर्स में आने से उसको खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे और जहां बेरों की जमीन है वहां हमारी सरकार ने २० गुना मुआवजा रखा है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अभी कहां किया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रस्तावित ।

श्री लक्ष्मीचन्द: (जारी) प्रॉविजन रखा है, किया तो नहीं है । माननीय अध्यक्ष, एक बेरे पर दो हजार, ३ हजार रुपये का खर्चा होता है, ऐसी स्थिति में बीघोड़ी का हिसाब कर के २० गुना मुआवजा देना चाहते हैं यह उचित नहीं है उसके जमीन में इम्प्रूवमेंट किये हैं, बेरे खुदवाये हैं, उन्हें इस तरह से तो बहुत कम कम्पेन्सेशन मिलेगा उसकी माली हालत कम्पेन्सेशन से सुधारना चाहते हैं, वह पर्पज सर्व नहीं होगा । एक बेरा जिसके नीचे चार पांच बीघा जमीन है, उसकी बीघोडी २० रुपया होती है, उसका बीस गुना देते हैं तो यह उचित नहीं होगा । उसने जो इन्वेस्टमेन्ट किया है कुआ खुदवाने में, उसने उस जमीन में इम्प्रूवमेन्ट किया है और इसमें उसने पैसा खर्च किया है,वह तो उसे अलग से मिलना चाहिये, बेरा बंधाया है, जिसके अन्दर उसे खर्चा हुआ है, उसका उसको कम्पेन्सेशन अलग मिलना चाहिये। इसी किस्म के मेरे दोनों अमेन्डमेन्ट्स हैं । जब मेरा पहला अमेन्डमेन्ट स्वीकार हो जाता है तो दूसरा इसमें कवर अप हो जाता है । इसलिये सदन के महानुभावों से निवेदन करता हूं कि इसे स्वीकार करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने पेश किया है ऐसा है जिससे ऑलरेडी जो राइट्स खातेदार के टिनेन्ट को या सब टिनेन्ट को दिये हुए हैं; वे भी छीनना चाहते हैं बजाय और राइट्स देने के । वैल्स और इर्रिगेशन ये शब्द हटाने में कोई जस्टिफिकेशन नहीं । इस बिल को लाने का इन्टेन्शन तो यह है कि उनको खातेदारी राइट्स जल्दी से मिल जाय इसके अलावा कम्पेन्सेशन का भी तरीका है वह बहुत कॉम्प्लीकेटेड है इसलिये सीधा सा इसमें रखा है । वैल्स और इर्रिगेशन के लिये तो पहले से ही प्रोविजन है अलग से, उसमें कोई दूसरी बात नहीं करना चाहते । यह चाहिये जमीन का कम्पेन्सेशन देगें २० गुना । ट्वेन्टी टाइम्स चाहो जमीन का लगान होता है वह काफी होता है । इसके अलावा सब-टिनेन्ट वहां इतने वर्षों तक टिका बैठा रहा है, उससे उसको काफी मिला है । यही समझ कर यह रखा है । माननीय सदस्य इसको निकलवाना चाहते है, वह तो ऐसा रिट्रोग्रेटिव एक्शन होगा कि उसको बजाय अधिकार देने के यह और थोप देते हैं कि वह कुए की कीमत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अलग से दे । तो माननीय सदस्य को मैं समझता हूं किसानों के हित में अमेंडमेंट रखना चाहिये था, न कि ऐसा अमेंडमेंट रखें जिसको उनकी कॉन्स्टीट्युएन्सी के वोटर पसंद न करें। मैं समझता हूं वे इसे महसूस करके वापिस लेने का कष्ट करेंगे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरे उपर तो यह जागीरदारों पर नहीं काश्तकारों पर ही लगेगा जिन काश्तकारों ने ५४ में बेरे बंधाये हैं, ५५ में बंधाये है, उनको इससे बडा भारी नुकसान होगा जिन लोगों ने २० साल पहले बंधाये हैं उनको कम्पेन्सेशन मिल मिला गया, पर ५४ में बनाये हैं उनको बड़ा नुकसान होगा और अगर यह ऐसा ही पास कर दिया गया तो वहां के किसान आपको उस तहसील में घुसने नहीं देंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये आपको धन्यवाद । मैं समझ लूंगा अपना तो आप फिक्र न करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ में श्री लक्ष्मी चन्द ने जो संशोधन रखा है स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ स्वीकार किया गया ।

क्लॉज ६ । लक्ष्मीचन्दजी तो बोल चुके । श्री शिवनाथसिंह ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में मेरा एक छोटा सा संशोधन है । सरकार ने सब- टिनेन्ट को खातेदार के टिनेन्ट को खातेदारी अधिकार देने के मामले में २० गुना मुआवजा रखा है मेरा संशोधन यह है की २० गुना कि बजाय १० गुना रख दिया जाय क्योंकि काश्तकारों की इस समय जो हालत है, उसका सदन में बार बार जिक्र किया जाता है, उनकी इस गरीबी हालत में २० गुना मुआवजा बहुत ज्यादा बैठता है । खराब से खराब बरानी जमीन की बीघोड़ी कम से कम अढ़ाई रुपया होती है और चाही की तो १२ और १३ रुपये तक बीघोडी होती है ऐसी सूरत में १७५ रूपया चाही जमीन पडता है और बारानी का ४०, ५० के बीच में पड़ता है । तो इस कीमत में तो अच्छी से अच्छी दूसरी जमीन मिल सकती है । एक काश्तकार सबटिनेन्ट था उससे इतनी रकम ली जाय यह उचित नहीं होगा । जो खुदकाश्त होल्डर था उसने मुआवजा ले लिया और खुदकाश्त होल्डर बन गया, इससे उसको दुगुना मुआवजा मिलेगा और उसे मिलेगा क्या, एक खातेदार टिनेन्ट है और दूसरा सब टिनेन्ट है , इन दोनों में सिर्फ लगान देने में फर्क है । खातेदार टिनेन्ट अपने सबटिनेन्ट से दुगुना तक लगान वसूल कर सकता है, बस यही हैं वैसे उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता और खातेदार सेटलमेंट रेट्स के माफिक लगान देता हैं । सबटिनेन्ट को अगर उस जमीन पर खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे तो वह भी सेटलमेंट की जो रेट है वही अदा करेगा । आज वह खातेदार का टिनेन्ट हैं, सब

(श्री शिवनाथसिंह)

टिनेन्ट है इसलिये दुगुना तक लगान उससे लिया जा सकता है।

जागीरदारों के बहुत बड़े अधिकार थे, खुदकाश्त टिनेन्ट के मुकाबिले में बहुत ज्यादा अधिकार थे, पर उनको भी इतना अधिक मुआवजा नहीं दिया गया है, १० गुना तक दिया है बल्कि बड़े बड़े जागीरदारों को तो १० गुना भी नहीं दिया गया है, १० गुना से भी कम बैठता है तो यहां खुदकाश्त टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट के साथ अन्याय करने जा रहे हैं, इस पर गौर फरमाया जाय और २० गुना की बजाय १० गुना रखा जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं इसके सपोर्ट में बोलना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : पहले दूसरे संशोधन आने दीजिये।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): अध्यक्ष महोदय,.... I beg to move the following amendment :

"In the newly proposed section 23 (1) delete the words "twenty times" and add five times in case the land is held for a term exceeding six years, and in other cases ten times".

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अपन मान कर चलते हैं कि सब-टिनेन्सी जो है वह एक तरह की बीमारी है और यह जो बीमारी है उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मिटे जो वास्तविक काश्तकार हैं, जो किसी कानूनी अड़चनों से खातेदारी हक हासिल नहीं कर सकें हैं और खातेदारी हक हासिल करने से महरूम रह गये हैं या कुछ लोगों ने अपने नाम जमीन इन्द्राजा कराकर भोले किसानों को धोखा दिया, उस बीमारी को इस कानून के जरिये समाप्त की जावे। यहां पर हमने शिकमी काश्तकारों के लिये प्रॉवधान रखा है कि उनको खातेदारी राइट्स मिल सकेंगे और वह है २० गुना का। लेकिन जब हमने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पास करके हमने बिना किसी मुआवजे के खातेदरी दे दी है तो आज जो शिकमी काश्तकार जो वास्तव में जमीन को जोतते थे मगर खुद की जमीन नहीं थी, आज हम उनको खातेदारी हक देना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर उनको हक चाहिये तो २० गुना मुआवजा दें, मैं यह कहूँगा कि सरकार को चाहिये तो यह था कि उनको बिना किसी मुआवजे के खातेदारी राइट्स दे दिये जाते। आज जिन लोगों ने काश्तकारों का शोषण किया और उनसे कई गुना ज्यादा लगान लिया आज हम उन लोगों को २० गुना लगान मुआवजा के रुप में दे रहे हैं। चाहिये तो यह था कि बिना किसी मुआवजा के उस जमीन को उनको देते। यदि आप ऐसा करते तो यह राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में पहला कदम होता कि सरकार ने शिकमी काश्तकारों को बिना किसी मुआवजे के हक दिये। मगर जैसा कि हमारे संविधान (कॉन्स्टिट्यूशन) में है कि जब किसी की जमीन ली जाती है तो उसको कुछ न कुछ मुआवजे के रूप में अवश्य देना चाहिये। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो एक पैसा भी देकर उससे वह जमीन ले सकती हैं तो सरकार लैण्ड ले तो सकती हैं। जैसा कि फोर्थ अमेन्डमेंट होने के बाद में यह स्टेट की मर्जी पर रखा है कि चाहे जितना मुआवजा वह दे और उस मुआवजे को कभी चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार को अधिकार दिये हैं तो

(श्री तेजाराम गहलोत)

इसके लिये कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठाई जावे। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपने जागीरदारों को भी ८ गुना दिलाया और जमींदारों को भी कम दिलाया और आज जब हम शिकमी काश्तकारों को खातेकारी राइट्स देने जा रहे है तो उनसे २० गुना क्यों? इतना ज्यादा मुआवजा शिकमी काश्तकारों से दिला कर हम यह कहें कि हम शिकमी काश्तकारों के हक में कोई प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं, यह कतई वाजिब नहीं होगा। अलावा इसके एक शिकमी काश्तकार जो ५५ में दाखिल हुआ था वह २० साल के लगान दे कर खातेदारी हासिल कर लेगा लेकिन एक शिकमी काश्तकार जो २० साल से उसी जमीन पर खेती करता आया है उस शिकमी काश्तकार के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिये उसको तो २० गुना लगान नहीं देना चाहिये इसलिये मेरा यह संशोधन है कि जो शिकमी काश्तकार ६ वर्षों से कम काबिज है उसको ६ वर्षों से ज्यादा समय से काश्त करता आया है उस काश्तकार को पांच गुने से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया जावे। १० गुना मुआवजा देना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि इतना भी मुआवजा ज्यादा है लेकिन फिर भी २० गुना मुआवजा जो सरकार ने रखा है वह बहुत ज्यादा हैं। इसलिये हमारा यह निवेदन हैं कि ६ साल से ज्यादा वालों के लिये ५ गुना और ६ वर्ष से कम वालों के लिये १० गुना मुआवजा रखना चाहिये। मैं यह आशा करता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे तो हमारे लिये एक कहने का मौका मिलेगा कि वास्तव में हमने शिकमी काश्तकारों के लिये वाजिब मुआवजा मुकर्रर करके उनके साथ न्याय किया है और उनके शोषण के जीवन को खत्म करने में साहसी काम किया हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, अभी क्लॉज ६ पर जो संशोधन श्री तेजाराम जी द्वारा पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। धारा २३ में जो २० गुना मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है उसके स्थान पर उन्होंने जो संशोधन रखा हैं कि उन किसानों पर जो ६ वर्षों से पहले से काश्त करते आ रहे हैं उनसे पांच गुना मुआवजा और जो ६ वर्षों के बाद में काश्त करने लगे है उन पर १० गुना मुआवजा दिलाया जावे और खातेदारी दी जावे, इस प्रकार का जो अमेन्डमेंट हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूं। वास्तव में अध्यक्ष महोदय, खातेदारी और किसानों का बहुत ही नजदीक का सम्बन्ध हैं। आज हमें इस बात की खुशी हैं कि राजस्थान सरकार उन किसानों को जो वर्षों से जागीर एरिया में काश्त करते थे और जागीर एरिया में बसते थे उनको खातेदारी से मुस्तशना रखा हुआ था उनको आज खातेदारी हकूक मिलने का प्रावधान किया गया हैं। लेकिन उसके अन्दर जो कमियां है उनको दूर करने के लिये आगे कदम उठाना चाहिये और जो हमारे कानून जो वास्तव में बदलते जा रहे हैं उसमें कम से कम संशोधन करना पड़े। इसलिये हम पूरी तरह सोच विचार कर जो भी कमी हो उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो ६ 'क्लॉज है जिसमें धारा २३ का संशोधन किया गया हैं कि ५ गुना मुआवजा रखा जावे। मैं इसका समर्थन करता हूं।

(श्री मौहरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में किसान जो वर्षों से काश्त करता आ रहा है वह इस बात के लिये लालायित रहता है कि उसको खातेदारी हकूक दिये जावें और उसको उस जमीन पर स्थायी हक दे दिया जावे जिससे वह जमीन पर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके और उस जमीन का अच्छी तरह से उपभोग कर सके। इसलिये वह खातेदारी हकूक चाहता है। इसके लिये पुराने जमाने में भी राजाओं के जमाने से रिवाज चला आ रहा था कि किसी को १५ वर्ष हो जाते तो उसको बिना किसी मुआवजे के लैण्ड ऑफ कल्टीवेशन के लिहाज से, जमीन दे दी जाती थी और यह देखा जाता था कि वह इतने वर्षों से काश्त कर रहा है और खातेदारी का हकदार है। उसको खातेदारी दे दी जाती थी। लेकिन आज हमारी सरकार जो वास्तव में प्रोग्रेसिव सरकार कहलाने का दावा करती है उस प्रोग्रेसिव सरकार द्वारा इसमें यह क्लॉज़ रखा गया है मुआवजे का। मेरा भी इस पर संशोधन रखने का विचार था मगर समय पर संशोधन रख नहीं सका। लेकिन जो यह चीज कम से कम मुआवजे के सम्बन्ध में यहां पर रखी गई है और खास कर उन काश्तकारों के लिये जिनके हितों की रक्षा करने के लिये हमारी सरकार हमेशा दावा करती है। किसानों के लिये टिनेन्सी एक्ट की धारा २३ में प्रोविजन पहले था कि १० गुना मुआवजा देने के बाद खातेदारी मिल जावेगी। आज से यह तीन साल पहले की बात है आज से तीन साल बाद में हमने जो प्रोग्रेस की है वह यह है कि तीन वर्ष पहले तो किसानों से १० गुना मुआवजा लेते थे और आज तीन वर्ष के बाद में हम इतने आगे बढ गये हैं कि उनसे २० गुना मुआवजा मिलेगा तब उनको खातेदारी हकूक मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से इस बात का अनुभव है कि किस तरह से खातेदारी राइट्स मिले हैं। बीकानेर आदि की तरफ हजारों बीघा जमीन पर जिस समय मिसल बन्दोबस्त बना उस समय हजारों बीघा जमीन जागीरदारों द्वारा खुदकाश्त के नाम लिखवा ली गई। हालांकि वे खुदकाश्त नहीं कर रहे थे। मगर फिर भी हजारों बीघा जमीन उन्होंने खुदकाश्त में लिखवा दी। अब उनको मुआवजा देना पड़ेगा। इससे किसान पर बहुत ज्यादा बर्डन होगा। पहले भी उस पर १० गुना का भार था अब आपने २० गुना का रख दिया है, यह ठीक नहीं है। इसलिये जो चीज रखी गई है कि ६ वर्ष से पहले के काश्तकार हैं उनसे ५ गुना और बाद वालों से १० गुना लेकर उनको खातेदारी हकूक दे दिया जावे यह बहुत ही सुन्दर है। बिल्कुल ठीक तो इसको नहीं कह सकते। मगर सुन्दर है। क्योंकि खातेदारी का लैंड ऑफ कल्टीवेशन से सम्बन्ध है और जमीन पर उनका इतना ही नजदीक का संबन्ध है। इसलिये ६ वर्षों से जो काश्तकार काश्त करते आ रहे हैं, उनको १० गुना दे दें तो उनको खातेदारी हकूक दे दिये जावें यही उचित है। इसलिये जो संशोधन श्री तेजारामजी ने रखा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ और यही निवेदन करूंगा कि किसान वास्तव में दबे हुए आ रहे हैं। इस संशोधन को स्वीकार किया जावे तो उचित होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेन्डमेंट का समर्थन करता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री तेजारामजी गहलोत ने जो अमेन्डमेंट छठे क्लॉज पर रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और इसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इस चीज़ को सोच लिया जाय। जागीरदारों का बार बार

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

प्रश्न आता है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि वे भी खातेदार हो गये और अब जागीरदारों का प्रश्न रहा ही नहीं, जितने भी जागीरदार थे या जो काश्तकार थे, वे सब के सब काश्तकार ही हो चुके हैं। काश्तकारों के वास्ते खातेदारी है। वर्षों से जो जमीन की काश्त करते हैं, जमीन को लेवल की, उसमें खाद डाला, कुआ बनाया, जमीन को तैयार की, जैसा कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने प्रश्न उठाया था उसके वास्ते मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों के अन्दर बीस गुना का जो मुआवजे का प्रश्न था, यह भी मैं थोड़ा समझता हूं। जब वह भी काश्तकार है और वह भी काश्तकार है, जिसने सैंकड़ों वर्षों से जिस चीज़ को तैयार किया, जिसने एक साल से काश्त करना शुरू कर दिया, उसको महरूम रखना एक सख्ती की चीज़ होगी। इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे काश्तकार यों के यों महरूम रह जावेंगे, जिसने हाल ही में खेती करना शुरू किया है। कई बार यह भी होता है कि जैसे एक काश्तकार है, उस घर के चार पांच हैं, चार भाई हैं, एक भाई ने काश्तकारी में नाम लिखा दिया बाकी ने नहीं, तो दूसरे सब भी इस व्यवस्था से नुकसान उठावेंगे। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का जो प्रश्न था वह मामूली सवाल था। पांच और दस का सवाल उठाते हैं तो मैं यह निवेदन करता हूं कि फिर मुआवजा देने की आवश्यकता ही क्या है, यों ही ले ली जाय। यदि इस प्रकार का प्रश्न आवेगा तो वह एक बहुत बड़ा और सख्त कदम होगा और डेमोक्रेसी के इस जमाने में, आज के इतिहास में एक काला कानून और बड़ा सख्त कदम होगा। जैसा कि जागीरदारों के वास्ते कहते हैं, इस प्रकार के भोमिये मिलेंगे, इस प्रकार के जमींदार मिलेंगे छोटे २ बिस्वेदार मिलेंगे, जिनके पास १०,१२ बीघा जमीन से अधिक का प्रबन्ध नहीं है, वे सब के सब यों के यों बर्बाद हो जावेंगे। कई माननीय सदस्य यह भी प्रश्न उठाते हैं कि यह जागीरदारों के लिए प्रश्न है। मैं यह कहूंगा कि जैसे कोई मंदिर का पुजारी है, उसने कुआ बनाया है और खुद खेती करता है, जागीर को तो छोड़ दीजिये, क्या उसको खेती करने का अधिकार नहीं रहेगा? अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज आप माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का सख्त कदम रहा तो यह अनाज की समस्या है वह सारी की सारी बिगड जावेगी। यह बाजे वक्त कहा जाता है कि हरिजनों के लिए यह प्रबन्ध है, हम तो यह कहेंगे कि उनको सबसे पहले स्थान दिया जाय और उनके लिए विचार किया जाय। लेकिन उनमें हरिजन भी हैं, उन्होंने कुए खुदवाये हैं और जिन्होंने खेत को तैयार किया है और दूसरे गरीब लोग भी हैं जैसे मंदिर के पुजारी हैं, एक एक के दस दस हिस्से रहते हैं, केवल उनके नाम में एक का नाम रहता है, उन सब का ऐसा करेंगे तो नाश हो जावेगा और उनकी आयन्दा खेती करने की भी लालसा नहीं रहगी। मैं तो कहता हूं कि जैसा कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने २० गुना का प्रोवीजन रखा है उससे और अधिक होने की आवश्यकता है लेकिन यदि ५, ६ गुना के लिए ही होता है तो फिर हो ही क्यों? काश्तकारों के वास्ते भी बहुत बड़ी समस्या इस समय उपस्थित हो रही है और मेरा ख्याल है कि अगर यह सवाल साल छः महीने में एक्वीफाई हो जाय तो सेर से भी कम गल्ले का भाव न उतर जाय तो बात ही क्या? जो शिकमी काश्तकार हैं वे तो खेती करना ही

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

नहीं जानते। काश्तकार जमीन इसीलिए जोतता है कि अपना प्रबन्ध करें। कई ऐसी विधवायें और अनाथ बच्चे हैं जिनके साधनों को सुरक्षा नहीं है। कई छोटे छोटे भोमियां हैं, अगर फौज में गये हुए हैं, उन्होंने कुए और कोठियां बनाई हैं, अगर उनके वास्ते, जैसा राजस्व मंत्री महोदय ने फर्माया था कि कुए, कोठियों के लिए प्रश्न नहीं आता है और दूसरी बात है, लेकिन कुए और कोठियों से भी अनाज पैदा होता है, उस जमीन को उर्वरा कर के खाद डाल कर बुवाई गई है वह सब खत्म हो जावेंगे और राजस्थान दिक्कतों में पड़ जावेगा। राजस्थान के अन्दर और प्रान्तों के देखते हुए, काफी एरिया है और एक माननीय सदस्य, वे सदस्य जो बोल रहे थे, अगर राजस्थान के आर से पार निकल जायं तो आपको बरसात की मौसम में और रबी की मौसम में भी हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई मिलेगी। मंत्री महोदय को चाहिये कि उसमें कुए, बांध तालाब बना कर तरक्की दें। ऑलरेडी जो काश्त कर रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जावेंगे और वर्षों से जो खेती कर रहें हैं उनको दिक्कतें होंगीं। मैं पूरी तरह से इसको अपोज करके निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था कभी भी सदन से चालू नहीं होनी चाहिये। राजस्व मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से २० गुना देने का सवाल उठाया है और अगर उससे नीचे का प्रश्न जाता है तो यह बिल्कुल ही सख्त कदम होगा।

श्री रामचन्द्र (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री तेजाराम जी ने टिनेन्सी एक्ट की २३वीं धारा के पहले खंड में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। कारण इसका यह है कि जब सरकार कोई नियम बनाये उसके पहले देखना चाहिये कि हम जो कानून बनाने जा रहे हैं वह हमारी नीति के साथ मेल खाता भी है या नहीं। सरकार ने इस वक्त यह नीति धारण कर रखी है कि गरीबी दूर हो, भूखों को रोटी मिले और इस तरह से समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण करने की नीति सरकार की है। लेकिन यह धारा जो रखी गई वह सरकार की नीति को चैलेन्ज कर रही है। जिन जागीरदारों ने जागीरें देते समय काफी धन सरकार से वसूल कर लिया है अब वे सरकार से यह भी चाहते हैं कि जो उनकी जमीन पर काश्त कर रहा है उससे बीस गुना मुआवजा लेकर वह जमीन का टुकड़ा उनको दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वे सरकार से नहीं लेंगे।

श्री रामचन्द्र : सरकार से तो नहीं, किन्तु काश्तकारों से तो ले रहे हैं और सरकार उनको यह अधिकार दे रही है।

श्री अध्यक्ष : तब तो और ज्यादा खराब है।

श्री रामचन्द्र : (जारी) इस प्रकार की धारा पेश करना यह तो उस प्रकार की मिसाल हुई जो अंगूर लोमड़ी के लिये थे, देखने में तो बहुत सुन्दर थे। प्रगतिशील समाज का ढांचा बनाने की बातें कर रहे हैं लेकिन जो बातें रख रहे हैं वह इतनी कठोर है कि लोग उससे फायदा उठा नही सकते। अंगूर बहुत ऊंचे हैं, उस तक पहुंच नहीं सकते इसलिये खट्टे हैं ऐसा कहकर उस लाभ से लोगों को वंचित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि

(श्री रामचन्द्र)

टिनेन्सी एक्ट जो बनाया गया है, गरीबों को राहत पहुंचाने के लिये बनाया गया है। राजस्थान में गरीबों की संख्या अधिक है और उनमें भी खास तौर से हरिजन समाज में ९५ प्रतिशत लोग गरीब हैं जो वर्षों से जागीरदारों के गुलाम से रहे हैं, हमेशा से वे उनकी सेवा करते हुए अपना गुजारा करते चले आ रहे हैं और उस सेवा की एवज में जागीदारों ने जमीन का टुकड़ा देकर, पांच दस बीघा जमीन देकर, उनको एक प्रकार से गुलाम बना रखा है। जिस जमीन के टुकड़े में पीढ़ियों से जागीरदारों की सेवा करके उस जमीन का लाभ उठा रहे हैं, आज जब उस जमीन का पूरा लाभ उठाने का मौका मिला है तो उसके लिये सरकार कानून बना रही है कि वह जमीन जब मिलेगी जब कि उसका बीस गुना मुआवजा वे उसी जागीरदारों को देंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस प्रकार का कानून बनाना मैं समझता हूं हरिजनों के लिये बहुत नुकसानदायक होगा। मैं तो यह भी कह देना चाहता हूं कि पहले जो टिनेन्सी एक्ट बना है उसकी जो धारायें हैं वे बहुत अच्छी हैं। धारा ४२ में यह बतलाया गया है कि अगर कोई किसान अपनी जमीन को किसी के यहां गिरवी रखता है, जितने पीरियड के लिये रक्खे उस पीरियड की समाप्ति के बाद वह जमीन बिना रुपये ही उसको मिल सकेगी। यहां पर तो हरिजन समाज पर जिसका सारा जीवन जागीरदारों की खिदमत और गुलामी में बीता है, जिसके कारण उसको जमीन मिली है, उस जमीन पर जब उसका हक होने का समय आया है तो सरकार ऐसे नियम बनाती है, बीस गुना मुआवजा देंगे तभी वह जमीन उनको मिल सकेगी। उधर तो यह सुविधा दी जाती है कि दस वर्ष भी जमीन गिरवी रखी रहे तो उस पीरियड के बाद बिना रुपया चुकाये ही उसको जमीन मिल सकती है। जब कि हरिजन पीढ़ियों से उन लोगों की गुलामी भी करते आये हैं, जब उनको मौका आया है तो बीस गुना मुआवजा देना पड़ेगा ....

श्री सोहनलाल भटनागर : On a point of order Sir, इसमें न तो जागीरदारों का प्रश्न है और न हरिजनों का सवाल है, यह तो जमीन की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न न हरिजनों से सम्बन्धित है और न जागीरदारों से ही। इसमें जागीरदारों का नाम लेना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों के प्रतिनिधि हैं ....

श्री अध्यक्ष : यह तो खातेदार और गैर-खातेदार का प्रश्न है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मरे हुए जानवर को आप फिर क्यों मार रहे हैं, जो जागीरदार खत्म हो गये उने आप फिर क्यों जिन्दा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप खातेदार कहिये।

श्री रामचन्द्र (जारी) : खातेदार ही कहूंगा। लेकिन खातेदार में भी ज्यादातर वे ही लोग आयेंगे, इसलिये जागीरदारों का नाम लिया है। उनको बीस गुना मुआवजा दिलाकर जमीन काश्तकार को देते हैं तो यह ठीक नहीं है। इसके लिये श्री तेजारामजी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत ठीक है। छः वर्ष तक जिसके पास जमीन रही है उससे

Page No.59

(श्री रामचन्द्र)

पांच गुना और इससे कम जिसके पास रही है उससे दस गुना मुआवज़ा लिया जाय ।

श्री अनूपसिंह : (बालत्तरा) माननीय, अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो प्रस्ताव पेश हुआ है इसके द्वारा टिनेन्सी बिल के अन्दर संशोशन लाया जा रहा है, इस सम्बन्ध में जिस प्रकार की बहस हो रही है...

श्री शंकरलाल : On apoint of oder, Sir, अध्यक्ष महोदय, श्री तेजाराम सिलेक्ट कमेटी के सदस्य थे उनका नोट ऑफ टिसेन्ट उसमें नहीं है । Whether he can move an amendment.

श्री अध्यक्ष: He has a ready moved an amendment. You are so lata to raise this objection now.

श्री अनूपसिंह : यह तो ठीक हुआ आयन्दा के लिये सिलसिला हो जायगा ।

श्री शंकरलाल : इस पर निर्णय हो जाय कि यह रूल्स के माफिक है या नहीं ।

श्री आबिदअली : अध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेन्ट मूव हो गया है लेकिन उसका नोट ऑफ टिसेन्ट नहीं है, ऐसी हालत में उनके अमेन्डमेन्ट को लिया जा सकता है या नहीं रूल्स के तहत !

श्री अध्यक्ष: Will you please quote the Rule ?

श्री आबिदअली : How can I give it off hand ?

श्री अध्यक्ष : I will request the Member not to talk off hand.

श्री आबिदअली : This is not off hand there is rule.

श्री अध्यक्ष : अभी तो डिबेट चल रही है, फिर आप सोच कर बता दीजिये ।

श्री अनूपसिंह : (जारी) माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचवां टिनेन्सी संशोधन विधेयक है इसके अन्दर यह प्रावधान रखा गया है कि एक जमीन का टुकड़ा जो पर्टिक्युलर व्यक्ति के कब्जे में है उसके लिये पर्मानेन्ट राइट देने का प्रावधान हो रहा है । जिस जमीन पर दूसरे का कब्जा हो गया है उसका मुआवजा लेने के लिये यह प्रोवधान रखा जा रहा है वह मुआवजा लेकर उसको यह कह दिया जाय कि तेरा हक अब इस पर कुछ नहीं है । बड़ी बड़ी चीजे तो दो ही हैं । पर इसमें भी मैंने देखा है कि हमारे माननीय सदस्य ने किस तरह से उनको तोड़ मरोड़ कर रक्खा है और वही जागीरदार का हौवा आज भी बार बार यहां लाया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता किस बैंक ग्राउन्ड से ये बाते होती हैं । हमारे यहां जागीरदारों की अब क्या बैंक ग्राउन्ड रह गई है । भगवान जाने इन बातों से...

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो साफ कर दिया है न ।

श्रीअनूपसिंह : बात यह है कि आपने भी इसमें रखा है खुदकाश्त और खुदकाश्त टिनेन्ट । इसलिये अर्ज कर रहा हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Khatedar tenant becomes a kashtkar immediately after the resumption. Therefore the question of jagirdar does not arise इसमें क्यों फर्क था ?

श्री अनूपसिंह : रिजम्पशन के बाद का दिन है आज का और....

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी भी इत्मीनान रखे आपकी कुछ जागीरें रिज्यूम नहीं हुई हैं।

श्री मदनसिंह : तो इसमें क्या बात हुई ?

(हंसी)

श्री अनूपसिंह : (जारी) इसमें सबसे बडी बात यह देखने को हुई। दूसरे टिनेन्ट भी तो हैं जिन्होंने अपनी जमीन किन्हीं को दे रक्खी हैं कायदे से। अब उनसे भी जमीन ले लेना और मुआवजा न देना कानून में जो दे रक्खा है उसके अनुसार २० गुना मुआवजा न देना ठीक नहीं हैं और इसमें भी अगर कंजूसी से काम लिया जावे तो फिर ठीक हैं। आपको कानून के अनुसार रखना चाहिये, जिसको जमीन लेनी होगी तो वह इतनी कीमत पर करेगा और अगर लेना ही नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। इससे टेस्ट भी हो जावेगा कि वास्तव में किसके दिल में लेने की इच्छा है किसके नहीं। इस तरह से टन्टा नहीं होना चाहिये। तो मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि यह अमेन्डमेन्ट वन साइडेड हैं। आप एक को तो इतना मौका देते हैं कि ऑटोमैटिकली उसके राइट पैदा हो जाते हैं और दूसरे को इतना भी हक देना नहीं चाहते कि वह २० गुना मुआवजा भी ले सके। उसको यह इत्तिला भी न हो कि जमीन तुम्हारी छूट गई हैं, अब तुम्हारी नहीं रह गई हैं।

कहीं पर पटवारियों ने और सरकारी अधिकारियों ने खुद गलती की हैं और इसमें ऐसे केसेज भी होंगे कि जेठाराम की जमीन हैं, उसने किसी कारण से कहिये किशनाराम को जमीन लड़ने को दे दी और किशनाराम का तो हक हो गया और जेठाराम बैठा ही रह गया। दस गुना से बीस गुना मुआवजा दिलाना भी मुश्किल की बात हो गई और किशनाराम पर्टिकुलर डे के दिन काबिज होंने की वजह से हकदार हो गया। जिसको पाढ़ियों से युटिलाइज करने का हक रहा वह तो महरूम हो गया और जिसने थोडे दिन से या पटवारियों की गलती से सब लैट हो गई वह बिना कोई मुआवजा दिये हकदार हो गया। यह कौन से न्याय की बात हैं। ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं और उनके सर्कम्स्टान्सेज ऐसे थे। किसी के पास बैल नहीं होगे या घर में ऐसे काम करने वाले आदमी के चले जाने से या पैसा चले जाने से या घर में दो का बटवारा हो जाने की वजह से या कई तरह की आफतें आने से इस तरह की कई वजहों से भी सबलैट कर दी होगी इस तरह से सबलैट की गई चीज पर भी दस गुना से बीस गुना मुआवजा देना अखर रहा है। तो न्याय की दृष्टि से यह मानने की बात नहीं है। फिर एक लेजिस्लेटर की हैसियत से उनके मुह से इस प्रकार की बात नहीं निकलनी चाहिये थी जो कि वन साइडेड हो या अन्यायपूर्ण हो।

इसलिये में अर्ज करूंगा कि दस गुना से बीस गुना का मुआवजा ठीक है, उसको मिलना चाहिये और सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका विरोध इन शब्दो में करना चाहता हूं कि उन्होंने इस आदमी के दिल की बात को कहने की कभी कोशिश नहीं की जिसने कि अपनी जमीन जानते हुए सब लैट की है और यह जानते हुए की है

(श्री अनूपसिंह)

वह जमीन मेरी है, उसने सबलैट की है और इसका उस पर हक नहीं रहा मेरी समझ में नहीं आया कि काश्तकारी में दिलचस्पी लेते हुए कैसे कह सकते हैं कि जेठाराम को महरूम रक्खा जावे और किशनाराम को दे दी जावे। इसलिये उनके दिमाग में यह काश्तकार और जागीरदार की बात बार बार नहीं आनी चाहिये थी। सदन में यह सब शोभा देने वाली चीज नहीं है।

इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह जो संशोधन, कोई भी संशोधन, किसी का भी हो, चाहे उनका हो, चाहे और का हो, जो दस गुना से बीस गुना के लिये ना देता है तो उसे मैं समझता हूं कि माना नहीं जाना चाहिये, वह मानने लायक नहीं हैं और जिस प्रकार जो इसमें तय किया गया हैं वही होना चाहिये। इसमें ऐसी भी बात आगे आती है ...

श्री मूलचन्द डागा : २५ गुना दिया जावे।

श्री अनूपसिंह : तीस गुना दिया जावे। यह ठीक होगा।

श्री मूलचन्द डागा : अगर आपको वाकई में जरूरत है तो और चालीस करिये

श्री अनूपसिंह : मुझे इसमें क्या ऐतराज है It depends upon the demand and supply of the land.

श्री मूलचन्द डागा : हां।

श्री अनूपसिंह : जनाब।

(हंसी)

इसलिये मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि इम्प्रूवमेन्ट भी अगर उसने उस जमीन में किया हो तो भी बीस गुना नहीं देना चाहते आप किसी प्रकार दस हजार खर्च करके, उसने मान लीजिये थोडे दिन पहले ही एक कुआ बनाया और किसी तरह का इम्प्रूवमेन्ट किया उसका मुआवजा कुछ नहीं ? तो इसलिये कह रहा हूं कि यह ऑलरेडी वन साइडेड एक्ट आप बना रहे हैं गलती होने जा रही हैं और कौन से पर्सनल पोइन्ट ऑफ व्यू से या कौन से चश्मे को चढ़ाकर आप देखना चाहते है कि असलियत नजर नहीं आती है।

श्री पुरुषोतमलाल : मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि आप शब्द पार्लियामेन्टरी नहीं है।

श्री अनूपसिंह : आप अध्यक्ष से निवेदन करें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप आप कह रहे हैं।

श्री अनूपसिंह : मैं आप, आप से ही कह रहा हूं। मैं आप से कह रहा हूँ।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : आपके द्वारा कहिये।

(पुनः हंसी)

श्री अनूपसिंह : तो इसलिए दस की जगह बीस गुना दिया जावे क्योंकि उसको कम्पेन्सेट करके कुछ और नहीं दिया जा रहा है। यह निहायत जरूरी है। नहीं तो उसने जो बैल वगैरह दिये हैं, खाद डालता है, फेन्सिंग करवाई है, उसको हर तरह से सुधारने और इम्प्रूव करने की कोशिश की है तो इसका सारे का मुआवजा रह जावेगा और

(श्री अनूपसिंह)

जिसने यह समझ कर कि खेत मेरे पास वापिस आ जावेगा। उसके हाथ से यह चल जावेगी और उस पर जो धनराशि खर्च की है वह निकल जावेगी तो यह उस किसान के लिये बड़ा भारी कुठाराघात होगा। जिसको आप थोड़े दिनों में देखेंगे, आपके सामने इस तरह की कई चीजें आवेंगी, कई डिस्प्यूट खड़े होंगे और जिनमें आप शायद वकील होंगे वरना यह किसान के हक में तो नहीं होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : किससे कहा जा रह है? आपसे मतलब। शायद अध्यक्ष वकील बनेंगे।

श्री अनूपसिंह : (जारी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें क्या ज्यादा अर्ज करूं। यह अन्याय की चीज हमारे सामने पेश है! आप इसे रोक सकें तो अच्छा है। राजस्व मन्त्री तो आमादा हैं कि जितने पुराने काश्तकार खत्म किये जा सकें कर दिये जावें, नयों नयों को काश्तकार लिये जावें। पर यह नये और पुराने का सवाल नहीं है पर उनका सवाल है जिनको अपनी ज़मींन से मोह है, जिनको उससे कमाना-खाना है, उनको लेना लेना-देना नहीं है जो वकालत करते हैं, जो नहीं जानते कि जमीन का क्या बनता है और क्या बिगडता है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है, उसका मैं विरोध करता हूँ।

विरोध करने से यह मतलब नहीं कि जो कम देते हैं वे प्रतिशील और इसका जो विरोध करते हैं वह प्रतिक्रियावादी वास्तव में देखने की बात यह है कि उचित क्या है? मैं भी काफी प्रतिवादी हूं। पर इस मामले में नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें देखना यह है पहले जो टिनेन्सी एक्ट में प्रोविजन इस तरह का रक्खा था और इसके बाद में जो इसके औरिजनल बिल में रक्खा गया था वह किस तरह से था। इसके और उसके प्रोविजनों को यदि मिलान करेंगे तो यह काफी प्रगतिशील प्रावधान मालूम होगा। पहले जो दस या पन्द्रह गुना कहा जा रहा है उसमें यह नहीं था। उसमें सैंक्शन्ड रेन्ट रेट थी और डिफरेन्ट प्रोसीजर रक्खा था जो काफी कम्प्लीकेटेड था। इसमें चार तरह की लैंड की केटेगरीज बनाई गई थी। एक अनइर्रिगेटेड, एक इर्रिगेटेड बाई वैल, एक इर्रिगेटेड बाई कैनाल और बैरन। इसमें तीन तरह की पहले की के लिये बीस साल पहले का एवरेज मालूम करने का प्रावधान रक्खा और उस बीस साल के एवरेज प्रोड्यूस पर कम्पेन्सेशन तय करने की बात थी। इस तरह से यह काफी कॉम्प्लीकेटेड था।

अब इसमें इर्रिगेटेड बाई कैनाल जो जमीन थी उसमें प्रोड्यूस पिछले बीस साल की मोर्टगेज डीड या सेल डीड में जो थी वह थी।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनने गजट को देखा उनको विदित होगा कि अव्वल तो दस, बारह जिलों में ये रेटें थीं। कई जिलों में ये रेटें डिक्लेअर नहीं हुई तो इसका एक कारण यह था कि यह काफी कम्प्लीकेटेड था पर जो फैक्ट्स थे वे मालूम हुए कहीं कहीं। कलेक्टर के सामने विदित हुआ कि कैनाल से इर्रिगेटेड एरिया की कीमत कहीं ५०० थी, कहीं हजार और १८०० रुपये तक कीमतें डिक्लेअर की गई है। तो इसको अगर देखते हैं और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

आज के प्रावधान को देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क मालूम पड़ता है ।

तो माननीय अध्यक्ष प्लानिंग कमीशन ने भी यह कहा है । यह एक सिम्पलीफाइड प्रोसीजर है । ओरीजिनल बिल में देखते हैं तो मालूम होता है कि जो कि लो फुल रेन्ट लिया जाता था उसके २० टाइम्स रेट के लिए प्रोविजन मौजूद हैं । लेकिन टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जो कैश रेट हैं वह डबल ले सकते थे और कोइन रेट है वह १।६ ऑफ दी प्रोड्यूज ले सकते थे । तो आज केल्कुलेशन करें तो मालूम होगा कि यह उससे दुगुना और तिगुना हो जाता हैं । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो प्रोविजन सिलेक्ट कमेटी ने इसमें रखा हैं वह पहले प्रोविजन से ज्यादा अच्छा है और इससे किसानों को काफी राहत मिलने वाली हैं । अब रहा सवाल कम्पेन्सेशन का । मैं मानता हूं कि हमारा कॉन्सिटीट्यूशन अब अमेन्ड हो गया हैं हम एक पाई भी दिला सकते हैं, चार गुना भी दिला सकते हैं, पांच गुना भी दिला सकते हैं, चाहे जितना दिला सकते हैं उसमें आज कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन जैसा मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने निवेदन किया यह तथ्य हैं कि खाली जागीरदारों के ऊपर ही यह लागू नहीं होता । कई ऐसे मध्यम वर्ग के काश्तकार हैं जिनके पास कि चार-पांच बीघा जमीन थी और उन्होंने उस पर कोई टिनेन्सी रखा था और उनको मालूम नहीं था कि वे टिनेन्ट्स तो खत्म हो जायेगे और उनको खातेदारी हक मिल जायेगे तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए ऐसे लोगों को राहत दिलाना आवश्यक हैं

अब हम सैंक्शन्ड रेंट् रेंट के बारे में देखें कि राजस्थान में क्या है तो मालूम होगा कि कहीं एक आना बीघा हैं कहीं पर दो आना बीघा हैं कहीं ८ आने बीघा है, कहीं चार रुपया और पांच रुपया भी है लेकिन जो चाही लगान हो सकता हैं वह ८ रुपये से १० रुपये तक हो सकता हैं हमने इसमें यह प्रोविजन रखा हैं कि जो वैल्स, कैनाल और टैंक हैं उनका जो कम्पेन्सेशन है वह भी उसमें इन्क्लुडेड होगा तो इस तरह से हम हिसाब लगाये तों मालूम होगा कि उसको रुपये में चार से आठ आने की जो कीमत हैं वही मिलने वाली हैं इससे किसान को काफी राहत मिलने वाली है । इसके अलावा जो अमाउंट रखा हैं वह भी इन्स्टॉलमेन्ट में देना होगा, इससे उनके ऊपर कोई ज्यादा भार पड़ने वाला नही हैं जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने रखा हैं वह काफी रीजनेबल हैं और यह एक मध्यमवर्ती मार्ग हैं और उसे हमें मानना है और इसे मानना चाहिए ।

श्री बालमुकुन्द (डुंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन के अन्दर छोटे किसान से लेकर बड़े किसान सभी आ जाते हैं और जमींन का जो मुआवजा देना होगा इसके लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाये कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे पैसा लेकर इन्हें दिया जाये । उधर के कुछ माननीय सदस्यों को अखर रहा है कि यह तो खातेदार ही दे तो ऐसा कर दिया जाये कि हमारी राजस्थान सरकार हैं, हमारे प्लॉन हैं कि हम कृषि को ज्यादा उन्नत करना चाहते हैं तो उसके लिए जो छोटे काश्तकार हैं , जो सब टिनेन्ट्स हैं उनको भी खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए और उसकी एवज में कुछ रकम जो बड़े काश्तकार हैं उनसे लेनी चाहिए। तो जो ६ साल के बीच के काश्तकार हैं उनको ५ गुना देना पड़े और ३ से नीचे के जो काश्तकार

(श्री बालमुकन्द)

हैं उनको १० गुना देना पड़े तो क्यों नहीं ऐसा किया जाये कि हमारी राजस्थान सरकार है वह इस रकम को अदा करे और इस भार से हमारे काश्तकारों को मुक्त करे। छोटे काश्तकारों पर इसका वजन पड़ने वाला है। अब सरकार कह सकती है कि यह रकम हम कहां से लायें तो हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके पास काफी रकम है उनसे ली जाये। आखिर छोटे काश्तकारों के ऊपर यह वजन क्यों डाला जाये। यह हमारी सरकार के सामने नया सुझाव है और जब हमारी सरकार छोटे काश्तकारों को राहत पहुँचना चाहती है तो ऐसी स्थिति में यह अच्छा होगा कि यह वजन बड़े लोगों पर डाला जाये और किसानों को इस वजन से मुक्त किया जाये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान टिनेन्सी (पांचवा संशोधन) विधेयक, की जो धारा ६ है उसमें जो संशोधन सोजत से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। वैसे तो भूस्वामियों के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है क्योंकि उनके पूर्वजों ने राजस्थान के लिए काफी खून बहाया है और उनका इतिहास बड़ा गौरवान्वित था। लेकिन न्याय की दृष्टि से जैसी बातें मुझसे पूर्व वक्ताओं ने की वह न्याय का चश्मा बदल गया है और श्रद्धा की कसौटी भी बदल गयी है। इसलिए हमें न्याय को सामने रख कर उस पुराने चश्मे को उतार कर और उस पुरानी श्रद्धा को एक ओर रख कर जो वास्तव में न्याय है उसको देखना है। हमारे खुदकाश्त के स्वामियों के पास हजारों बीघा जमीन थी और आज भी है।

१.५५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन) भूस्वामियों के पास जो भी जमीन थी उस पर आस-पास के एरिया के रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे वे नौकर की तरह कार्य करते थे और आज तक करते आ रहे हैं लेकिन अब जब कि आज चश्मा बदला है, न्याय का मापदण्ड बदला है उस समय विचार करते हैं कि आखिर वह एकतंत्री परम्परा आज भी देश में चल सकती है क्या? हमारे देश को स्वतन्त्र हुए आज ११ वर्ष बीत गए और ११ वर्ष पहले हमने प्रजातंत्र को स्वीकार किया है और प्रजातंत्र को स्वीकार करने के पश्चात् आज उसी प्रकार से उसी दृष्टि से सोचते हैं उसी प्रकार की बातें करते हैं, उस पुराने चश्मे की ही दलील देते हैं तो मैं समझता हूं कि हम जिस विकास की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं उस विकास के चरण अभी इतने ऊंचे नहीं पहुंचे हैं कि हम यह कह सकें कि हम ११ सीढ़ी भी चढ़े हैं, मुझे ऐसा निवेदन करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कुछ अपने सिद्धान्तों के सामने यदि हम उन पर विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो आदमी जमीन पर काश्त करता चला आ रहा है और पुराने समय से जो काश्त करता चला आ रहा था उसको हमें खातेदारी राइट्स देने हैं और आज फिर उसको उसी पुराने चश्मे से देखकर नौकर रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे विकास के सिद्धान्त ठीक नहीं हैं। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसी घोषणा की गई है कि सरकार और भूमि के बीच में केवल काश्तकार रहेगा और जितने भी मध्यस्थ हैं उनकी समाप्ति की जायगी। लेकिन आज भी हम उन काश्तकारों को जो हमेशा से गुलामों की तरह रहकर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कार्य करते चले आ रहे हैं, कुछ भूस्वामियों के लिए शोषण करना चाहते हैं। आखिर उनके पास न बीज का प्रबन्ध है, न बैलों का प्रबन्ध है, न उसकी जेब में इतनी पूंजी है। हम तो केवल न्याय की दृष्टि से उसे उसके अधिकार दिलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वही पुराना चश्मा चढ़ाये हुए हैं और उसी पुराने चश्मे से देखना चाहते हैं। वास्तव में न्याय यह है कि जो आदमी मजदूरी करता है, अपना खून और पसीना एक करके जमीन में फसल पैदा करता है इसको जमीन का मालिक घोषित किया जाये। उसके लिए उसको कुछ पैसा देना पड़े यह आश्चर्य की बात है। कुछ लोग जो ऐसी दलील देते हैं तो यह और भी आश्चर्य की बात है। मैं निवेदन करता हूं कि उन लोगों का जो राइट है जो जमीन पर अपना खून और पसीना बहा कर फसल पैदा करता है, उसकी मेहनत के लहलाते खेत हमें दीखते हैं और सभी के लिए पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है उस व्यक्ति से आप कहें कि वह दस गुना या बीस गुना मुआवजा दे, यह शर्म की बात है। यह हमारा कर्तव्य था कि यदि किसी को जो कुछ मुआवजा देना है तो सरकार अपने पास से दे। लेकिन व्यक्ति से कि जो परिश्रम करके अनाज पैदा करता है उससे कहा जाये कि वह कुछ पैसा मुआवजे के रूप में दे जिसका कि आज तक शोषण वह लोग करते आ रहे थे तो आप ही सोचें कि उसके पास क्या हो सकता है? हमने दस किश्त बन्दिशां की हैं जिसमें वह अपना बीस गुना लगान देगा। हमने यह भी किया कि चाही का जो भी बंदोबस्त है वह काश्तकार को देना है....

२ म० प०

आखिर कुंओं को बनाने में श्रम लगा है, उसकी मेहनत की पूंजी लगी है। उस कुंए को बनाने में उसकी मेहनत की पूंजी वहां पर लगी है। जो भूस्वामी खुदकाश्त कराने वाले हैं उसने बैठे हुए एक जगह अपने भवन में बैठकर अपने शोषण का रुपया गिना है, आपने उसके श्रम की पूंजी को गिना है। उसके खेत ने सोना उगला है, वह सोना अपने घर में भरा है। उसने अपने शरीर को उस सोने से रंगा है। आखिर आप उस सोने से रंगने वाले भूस्वामी के पास क्या देखना चाहते हैं? उसके हाथों में २० गुना लगान दिलाना चाहते हैं जिसने उसका पूरा उपभोग कर लिया है बैठे बैठे। जैसे और गरीब विद्यार्थी हैं वे कॉलेजों में पढ़ते हैं और नौकरी करते हैं उसी प्रकार से उनको नौकरी की तलाश करना चाहिए। केवल बैठे बैठे खाने का अब जमाना नहीं है। उनको परिश्रम करना चाहिए। अब परिश्रम का जमाना है। परिश्रम करके उनको कमाई करना चाहिये। यह उनके लिए गौरव की बात है। आपके पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए, राजस्थान की रक्षा के लिए, गौरव व त्याग का इतिहास निर्माण किया है, लेकिन आप आज बैठे-बैठे खाना चाहते हैं और बैठे-बैठे खाने के लिए लड़ना उचित बात नजर नहीं आती है। जो दूसरे धन्धा करते हैं, दूसरों का जिसमें परिश्रम लगा है, आज आप उनके परिश्रम से किस तरह जीवन-निर्वाह करना चाहते हैं। जिनका शोषण किया गया है, जिनकी जेब में आज कुछ नहीं है उनसे २० गुना लगान देने की बात कहना मेरी समझ में उनके साथ न्याय नहीं है।

यहां पर जो विचार रखे जाते हैं कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कुछ लोगों ने उस पर खर्चा किया है तो उसको मुआवजा देना चाहिए। लेकिन अगर खर्चा किया है तो सरकार उसका इन्तजाम करे। इस प्रकार का इसमें विचार होना चाहिए था कि सरकार अपने पास से मुआवजा देगी। वह २० गुना नहीं ३० गुना दे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उन काश्तकारों की जेब से नहीं जाना चाहिये जिनका शोषण हुआ है, जिन्होंने अपनी जेब में कुछ नहीं डाला है, जिसके पास आज न बीज है और न बैल हैं, जिनके पास आज आधुनिकत्तम साधन खेती के नहीं हैं और न सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि बिना जमानत के उनको रकम दे दें। यह कहा जाता है कि काश्तकारों की जमीनें बड़े लोगों के हाथ बिक जायगीं। ये क्या करेंगे ? काश्तकार गरीब लोग हैं वे क्या कर सकते है ? न उनके पास बैल हैं, न बीज है। तो सरकार को इन कठिनाइयों को भी दूर करना है। जो वास्तव में परिश्रम करने वाला आदमी है उसको जमीन का मालिक घोषित करना चाहिए। उससे २० गुना लगान का प्रॉवधान रखा है वह उतना उससे नहीं लिया जाय। जो सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार रखे हैं, मेरी सहमति उनके विचारों से है। वे आज के युग के अनुकूल हैं और न्याय की दृष्टि से उचित है कि १० गुना लगान का प्रोविजन हो जाय। वही होना चाहिए। यही मेरा इसमें कहना है।

श्री जनार्दनराय (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सोजत से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने यहां पर रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रवर समिति के द्वारा सिफारिश इस सदन के सामने रखी गई हैं वे बड़ी ही आकर्षक और बहुत कुछ सीमा में बुद्धिगत भी मालूम होती हैं। लेकिन देखा जाय तो इस समय राजस्थान में भूमिसुधार का जो इतिहास है और जिस प्रकार से इन भूमि सुधारों को करते हुए कुछ बड़े तबके को लोगों को मुआवजा देने में लगे हुए हैं और इस बात का परिणाम हमारे भूमिसुधारों के द्वारा सामाजिक क्रान्ति के लिए निकाला है उन सब को देखते हुए मैं समझता हूं कि जिन्हें आज हम इस पांचवें संशोधन के द्वारा खातेदारी अधिकार दे रहे हैं, उनसे कम से कम मुआवजा उन लोगों को दिलवाना चाहिए जो कि खातेदारी के अधिकार छोड़ रहे हैं। आज जब राजस्थान में जागीरदारी और उससे सम्बन्धित अन्य वर्गों के लोगों को लाखों, करोड़ों रुपया मुआवजा सरकार के कोष से देने में लगे हुए हैं जबकि राजस्थान में जनतन्त्रीय समाज की सारी पद्धतियों को जमाने के लिए हमने निश्चय ही बड़ी भारी कीमत इस मामले में दीं। बड़े जागीरदारों, छोटे जागीरदारों, छुटभइयों तथा उनसे जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं उन तमाम जागीरों को समाप्त किया, उनका अधिकारण किया तो हमने काफी समझदारी से मुआवजा राज्य के कोष से दिया है और राजस्थान के राजकीय कोष पर बराबर वजन लादते जा रहे हैं। राजस्थान राज्य की माली हालत अथवा सब बातों को देखते हुए यह जो मुआवजा बड़े जागीरदारों और हर किस्म के जागीरदारों को दे रहे हैं तो इसका राजस्थान के कोष पर बड़ा भारी वजन है तो समझ में नहीं आता है कि शिकमी काश्तकारों को जो निश्चित रूप से सच्चे मायने में काश्तकार है, उनको जब खातेदारी के अधिकार दे रहे हैं तो उनसे कहा जाय कि तुम्हें २० गुना लगान का देना पड़ेगा मुआवजे के रूप

(श्री जनार्दनराय)

उन लोगों को जो कि सच्चे मायने में किसान नहीं है। आज जितने शिकमी काश्तकारों को जिनको खातेदारी के अधिकार दिला रहे हैं उनका विश्लेषण राजस्थान में किया जाय तो यह एक ऐसा वर्ग है जो बिना श्रम के फायदा उठाने में लगा हुआ है। आज बहुत सारे शिकमी काश्तकारों के द्वारा अपनी भूमि पर काश्त कराते हैं वह वर्ग धन्धेवर व पेशेवर वर्ग है, इसलिए उनकी आय के जरिये अन्य होते हैं। वे केवल उस भूमि पर आश्रित नहीं है। निश्चित रूप से सिद्धान्त के रूप से शिकमी काश्तकार की मेहनत का अब तक बराबर लाभ उठाते रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनको २० गुना मुआवजा दें यह न्यायोचित है। आप जो शिकमी काश्तकार को खातेदारी के अधिकार प्राप्त करा रहे हैं, मैं यह मानता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ी सामाजिक क्रान्ति की ओर हलके-हलके कदम उठाये जा रहे हैं, इसलिए इस क्रान्ति का जो मजा है, एक नैतिक गुण है उसको वह हलका करने वाला यह जो प्रावधान रखा गया है प्रवर समिति का, मैं समझता हूँ, वह है। मैं बिल्कुल हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि अच्छा तो यह होता कि शिकमी काश्तकार को जो खातेदारी के अधिकार दिये जा रहे हैं और जो कुछ मुआवजा विधान के अनुकूल उनसे दिलवाना है तो वह राज्य कोष से दिलवाते। यदि यह बात नहीं करते हैं राज्य की आर्थिक जिम्मेदारियों को देखते हुए, अपने आर्थिक स्रोतों की व्यवस्था को देखते हुए निश्चित बात यह है कि मुआवजा एक किस्म से उन लोगों को दिलाना चाहते हैं जिनसे खातेदारी के अधिकार शिकमी काश्तकारों को दिलाये जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सामने रखें और सोचें तो स्पष्ट सोचेगें कि जिनको शिकमी काश्तकार कहते हैं। जिनको अंग्रेजी में सब-टिनेन्ट्स कहते हैं वे वस्तुतः कृषक हैं। जो उस जमीन को जिसके लिए वे जोतते थे, जिसके लिए बोते थे, मेहनत करते थे तो वे निश्चित रूप से जमीन के स्वामी थे और आज हमारी सरकार और सत्ता इस सिद्धान्त का व्यापक रूप से, आधारभूत रूप से निरूपण करती है कि जो जमीन जोतता है वही किसान है। इस सिद्धान्त की दृष्टि से मैं समझता हूं कि शिकमी काश्तकार जो सब-टिनेन्ट है वह वर्षों से, अर्से से, सदियों से बराबर उस जमीन को जोतता चला आ रहा है और खातेदार बराबर उसका फायदा उठाते चले आ रहे हैं। इसलिए यह मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक जो मेरे माननीय मित्र ने संशोधन रखा है उतना मुआवजा दिलाया जाय। मैं व्यक्तिशः मानता हूं कि मुआवजा उन लोगों को सरकार अपने कोष से दे। अगर सरकार आज की हालत में यह नहीं कर सकती है तो मैं मानता हूं कि जिन्होंने ६ साल से कम काश्त की है उस जमीन पर उनसे पांच गुना मुआवजा दिलाया जाय और जिन्होंने ६ साल से ज्यादा उस जमीन को जोता है उनसे १० गुना मुआवजा दिलाया जाय। हर हालत में १० गुने से ज्यादा मुआवजा नही दिलाया जाय। जितना लगान लगता है उससे १० गुना शिकमी काश्तकार जिनको कि खातेदारी के अधिकार मिलते हैं उन खातेदारों को दिलाया जाय जिनके कि अधिकार लिये जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को इस मामले में थोड़ी बहुत झुंझलाहट हो सकती है। सरकार सोच सकती है कि प्रवर समिति के द्वारा यह प्रस्ताव मान लिया है तो केवल प्रवर समिति की दृष्टि से ही हम इस सदन में नहीं सोच

(श्री जनार्दनराय नागर)

रहे हैं। हमने लगान का बीस गुना कर दिया है उससे बड़ी सुविधा होगी। कोई मनमाना मुआवजा नहीं रखा है। जो सैटिलमेंट के अनुकूल लगान निश्चित हो उसका १० गुना लिया जाय। मैं मानता हूं कि इस दलील में वजन है। लेकिन दलील में वजन होते हुए भी मैं कहता हूं कि जागीरदार, छोटे जागीरदार और माफीदारों का सवाल नहीं है। वह किसान पर मुआवजा है जो कि सौ, हजार की संख्या में नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में राजस्थान के अन्दर फैले हुए हैं और जो सदैव से बराबर खेती करते आये हैं जिनमें से बहुत से नौकरीपेशा हैं, कई धन्धा-विद् हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनकी भूमि ही केवल आय का जरिया है उनको अधिकार देने का काम बन रहा है, वे सच्चे किसान हैं जिन्होंने सदियों से काश्त की है और अपना खून पसीना उसके लिये बहाया है उनसे कहें कि २० गुना दो, उचित नहीं है। यह रकम राज्य के कोष में आय के रूप में नहीं रहेगी, लेकिन यह जा रही है उनके पास जिनके पास पहले जागीर थी या जिनके पास पैसा था उन्होंने जमीन खरीद कर किन परिस्थितियों में जमीन को प्राप्त किया और जिनको बिना परिश्रम के लाभ मिल रहा था उन्हीं को आज आप फिर अधिकार देना चाहते हैं। जनतंत्र में राजस्थान को बने हुए दसवां या ग्यारहवां साल चल रहा है, जिनको आप आज खातेदारी अधिकार दे रहे हैं उनको वे अधिकार तब देने चाहिये थे जब टिनेन्सी एक्ट पास हुआ तभी से उनको लाभ देना चाहिये था। जो संशोधन आया है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी थी। पहले आपने एक बीघे का मूल्य कायम किया था और उसके लिए जो पद्धति है वह इतनी भारी रकम है और २० गुना से भी अधिक पड़ती थी। राजस्थान के कई एक जिलों में एक बीघा जमीन की कीमत १५०० रु० या १८०० रु० तक पहुँच गई है। कृषकों के लिए आर्थिक नीति कर शिलान्यास किया लेकिन हमारे दिमाग में स्थिरता नहीं थी, हमने जान-बूझ कर उलझन रखी और कानून की मंशा पूरी नहीं हो सकी। आज सरकार कानून की मंशा को कारगर करना चाहती है इसलिये मैं उसका अभिनन्दन करता हूं।

आज जो २० गुना की बात करते हैं, वह ज्यादा है। लाखों लोगों से १० गुना से अधिक मुआवजा दिलाया जाना मैं आवश्यक नहीं मानता। इसलिये जो जमीन के सच्चे मालिक थे वे ही इसके मालिक रहें, होना चाहिये था कि जो जमीन जोतते थे उन्हीं को जमीन का मालिक बनाते और यह कहते कि तुमने ४०, ५० या १०० वर्षों तक जमीन जोती है और उसका लगान दिया है इसलिये अब तुम ही केवल इसके मालिक हो और तुम जो उत्पन्न करते हो उसका लाभ तुम ही उठावो। लेकिन हमने इसके साथ ही यह कहा कि एक बीघा का २० गुना और देना होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि १० गुना देने का जो संशोधन रखा है वह उचित है और लाखों किसानों के लिये वाजिब और न्याय की दृष्टि से सतत इरादा होगा।

श्री पी० के० चौधरी : I have given an amendment to it.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह तो रिजेक्ट हो गया, आप यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री पी० के० चौधरी : I have got an amendmend Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble, Member was not present ...

श्री उपाध्यक्ष : You were absent when it was called. It is dropped.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member has a right to speak on the clause.

श्री उपाध्यक्ष : But he wanted to move the amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I think so long as the clause is not discussed I can move the amendment whenever I like, unless the clause is closed.

श्री उपाध्यक्ष : No, that right does not exist. yes, Shri Purshottam-Lal.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आये हैं मैं उनका विरोध करता हूं। जो ५ गुना और १० गुना देने के संशोधन आये हैं उनका मैं विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी भावुकतावश नहीं, किसी के डर के मारे नहीं। लेकिन यह बिल सिलेक्ट कमेटी में पेश हुआ था उस वक्त हमने इस पर पूरे तौर से विचार किया। मैं भी इसके खिलाफ था कि २० गुना नहीं देना चाहिये। लेकिन जब हमने असली बिल छापा था और उसमें इस प्रकार का प्रोविजन था जो २० गुना से क्या ४० गुना से ज्यादा पड़ता था। हमने इसे गौर से और संशोधन करके यह निश्चित किया कि लगान का १० गुना लेना चाहिये और यहां पर यह कहा जाता है कि हम इसे उसी चश्मे से देखें जिस चश्मे से पहले जागीरदारों के पूर्वजनों ने देखा था, यह जो कहा गया मैं उससे सहमत नहीं हूं। यहां पर लाखों काश्तकारों का सवाल है, यह खातेदार और सब-टिनेन्ट के बीच में मुआवजा लेने और देने का सवाल है, यह न किसी जागीरदार का सवाल है और न किसी जमींदार या बिस्वेदार का सवाल है ...

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, खुदकाश्त का क्या सवाल है ?

श्री उपाध्यक्ष : It is not a point of order. Yes, please resume your debate.

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष ...

श्री अध्यक्ष : You will not interrupt the debate.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (जारी) : खुदकाश्त या खातेदार, जागीरें तो रिज्यूम हो गई हैं और वे सब खातेदार हो गये, इसलिये जो खुदकाश्त वाले हैं वे भी अब जागीरदार नहीं रहे। वे भी अब खातेदार हैं इसलिये अब खुदकाश्त का शब्द क्यों रखा गया ...

श्री जनार्दनराय नागर : उनको मुआवजा कौन दे रहा है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (जारी): अभी सब बातें बताऊंगा, जरा शान्ति रखिये। मैं निवेदन करूं कि ये लोग जो काश्तकार हैं जिन्होंने जमीन तैयार की है, जिनके पास जमीनें थीं, जिन्होंने कुंड बनाये, तालाब

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

और नाले बनाये। १५ मार्च सन् १९५५, को जो काश्तकार सब-टिनेन्ट था उसको हम हक देने जा रहे हैं। यहां यह सवाल नहीं है, फलां जागीरदार या जमींदार है। अभी यहां पर यह कहा गया था कि ६ साल पहले जो काश्तकार था उसको ५ गुना और इससे जो कम साल पहले था उसको १० गुना दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें आप काश्तकारों को लिटीगेशन में फंसाना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि कहीं पर तो रिकॉर्ड है और कहीं पर नहीं है। हमने इसके बारे में सोचा था और देखा कि किस तरह से रखा जाय और अंत में निश्चय किया कि एक तारीख निश्चित करें उस तारीख को कोई आदमी काबिज था, सब-टिनेन्ट था उसको अधिकार दें। इसलिये यह रखा कि १५ मई सन् १९५५, को जो काश्त करता थ उसको अधिकार दिया जाय, इसलिये ऐसा प्रोविजन रखा था अन्यथा ५ साल और ६ साल का प्रोविजन रखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी और काश्तकारों को मुकद्दमेबाजी में फंसा देंगे, इसलिये एक तारीख रखी।

अब यह कहा जाय कि आज जिन जागीरदारों ने जमीन रख ली है, मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां जागीरदार का सवाल नहीं है, यह तो काश्तकार का सवाल है, जो लोग अपने सब-टिनेन्ट के द्वारा काश्त कराते हैं, अगर एक दिन के लिये भी कोई सब-टिनेन्ट आ गया उसको भी राइट देनेजा रहे हैं, हम भावुकता के कारण यह नहीं कह सकते कि ५ गुना या ७ गुना दें। यह बताया गया कि जिन लोगों ने खून पसीना की कमाई से कुंए बनाये, तालाब बनाये थे, मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी बड़ी इमारतें मजदूरों के खून और पसीने से बनी है लेकिन वे कायम हैं इसलिये यह कह दें कुंए बनाये और जमीन तैयार की उनके लिये भी अन्याय करने बैठ जांय तो उपयुक्त नहीं होगा। यह मान सकता हूँ कि ५ या १० पर्सेन्ट खुद काश्त में होगी बाकी उनकी है जिनको खातेदारी राइट्स शुरू से हैं, जिन्होंने कुंए, नाली और तालाब तैयार किये हैं....

श्री जनार्दनराय नागर : यहां कुंओं के मुआवजे का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कहीं आसपास से आ गया है। ही विल ट्राइ टू एवोइड इट, आई होप यू हेव कन्क्ल्यूडेड ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (जारी) : मैं निवेदन करूं कि ऐसी स्थिति में जिन खातेदार काश्तकारों ने खून-पसीने से जमीन तैयार की है और उन्हें जो कानून था उसके जरिये सब-टिनेन्सी के अधिकार थे, उसके बदले में टिनेन्सी के अधिकार देने जा रहे हैं ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रोविजन रखा है वह बिल्कुल उपयुक्त है। जो एक आना लगान के रूप में देता है उसके लिये १। रु० रखा है और जो २ आने देता है उसको २॥ रुपये देने होंगे और जो १ रुपया देना है उसको २० रुपये देने होंगे और वे भी किश्तों में। इसलिये यह कहना कि टिनेन्ट्स के साथ अन्याय करने जा रहे हैं, गलत है। हमारी पॉलिसी यह है कि बिचोलिये नहीं रहेंगे। इसी बेसिस पर सब-टिनेन्ट्स को हम अधिकार दे रहे हैं ताकि बिचोलिये न रहें खातेदारी राइट जिनको हम दे रहे हैं उनको हम रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट नहीं दे रहे हैं। आपने जागीरदारों और जमींदारों को रीहेबि-

Page No.71

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

लिटेशन ग्रॉन्ट दी है लेकिन जो खातेदार की जमीन है उसके लिये रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट नहीं रखी है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि जो २० गुना देने का प्रोविजन रखा है वह गलत है, उचित नहीं माना जा सकता। आज कोई टिनेन्ट १० बीघा या २० बीघा जमीन रखता है और उसके यहां कोई सन् ५५ में सब-टिनेन्ट था तो उसको हम खातेदारी राइट दे रहे हैं तो जो गरीब हैं उनके साथ हम अन्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रोविजन रखा है, वहां उपयुक्त है और इसे सिलेक्ट कमेटी में विचार करके रखा है, सिलेक्ट कमेटी में इस पर निर्णय किया गया है। इसलिए जो माननीय सदस्य संशोधन लाये हैं, मैं कहता हूं कि यह उपयुक्त नहीं था क्योंकि वे सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर थे, फिर भी उसे मंजूर कर लिया गया तो मैं निवेदन करूंगा कि जो धारा इसमें रखी गई है, वह उपयुक्त है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष जो काश्तकार को खातेदारी राइट्स देने के और मुआवजा देने के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी ने २० गुना तय किया है, उसके पक्ष में मैं हूं। माननीय सदस्य ने जो १० गुने का विचार रखा है, उस १० गुने मुआवजे का मैं विरोध करता हूं। मुझे आवश्यकता नहीं थी कि मैं इस सम्बन्ध में बोलता, लेकिन सदन के बीच में एक बहुत गलत बात कही गई। मैं समझता हूं कि अभी तक माननीय सदस्य को पता नहीं है सही रूप में जो खातेदार हैं वे जीवित हैं, बड़े बड़े जमींदार और राजा-महाराजाओं के खातेदारी राइट्स मौजूद हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। वे सारे कानूनों से, लॉ से परिचित थे, इसलिए सन् १९५५ से लेकर आज तक काश्तकारी कानूनों को पढ़ते रहे, इसीलिए वे जमीन पर आज भी काबिज हैं, वे खातेदार हैं और उनको मुआवजा लेने की नौबत नहीं आई है। ये वे काश्तकार हैं जो कानून से वाकिफ नहीं होते, ये वे काश्तकार हैं जो अपना फर्ज समझ कर अपने किसी भाई को जमीन काश्त के लिए बता देते हैं और क्योंकि वे कानूनों से परिचित नहीं होते, इसीलिए दूसरे व्यक्ति को चार साल तक के लिए जमीन दे दी। एकदम से टिनेन्सी एक्ट आया कि १९५५ में जो काश्त करता है वह खातेदार हो जायगा। वह जमीन उस बेचारे की कमाई की थी, उसने उस जमीन पर वर्षों तक काश्त किया था, लेकिन जिसने १९५५ में काश्त की उसको खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं। उसको अगर मुआवजा न दिया जाय तो यह कितना अन्याय है। इसलिए मैं समझता हूं कि छोटे और गरीब काश्तकारों को जिन्होंने भाई चारे में काश्त करने के लिए जमीन बता दी थी, उनकी जमीन को छीन लेते हैं और उनको मुआवजा न दिया जाय और १० गुना मुआवजा दिया जाय मैं समझता हूं कि १० गुना मुआवजा नहीं के बराबर है क्योंकि सैटिलमेंट की रेट्स गिर गई हैं। अगर इस स्थिति में १० गुना देते हैं, तो मैं समझता हूँ यह अन्याय की बात है। सही रूप में जो काश्तकार ५० वर्ष से काश्त करता आ रहा था उसको अफेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि केवल जागीरदारों का नाम लेकर १० गुना मुआवजा देने की बात करते हैं तो यह गलत चीज होगी। न तो इसमें पूंजीपति हैं न जागीरदार हैं। अगर किसी

(श्री मदनसिंह दांता)

जागीरदार ने जमीन दी भी है तो पटवारी से मिल कर जिस जमीन पर काश्तकार काश्त करता है उसकी गिरदावरी उनके नाम होती है। इसलिए उनका प्रश्न नहीं आता है, गरीब का प्रश्न है, जो जमीन को भाईचारेका विचार करके दूसरे व्यक्ति को तीन चार वर्ष के लिए देता हैं, उसको मुआवजा न दिया जाय तो यह अन्याय की बात होगी। इसमें यह जरूर है कि छोटे जागीरदार अफेक्टेड हैं, जिस समय जागीरदारी एबोलिशन के टाइम पर कम्पेन्सेशन का प्रश्न जमीन और कूंए के सम्बन्ध में चला, मुआवजे का प्रश्न चला, तो माननीय राजस्व मंत्री जी समझते हैं कि उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिल रहा हैं। आज १९५५ के बाद किसी जागीरदार ने, किसी काश्तकार ने अपनी जमीन के अन्दर दो कूंऐ बनवा दिये, उसमें १० हजार की कीमत लग गई हैं, उस पर दो तीन साल से दूसरा काश्तकार काबिज हैं, लेकिन कूंआ उस काश्तकार द्वारा बनवाया हुआ है, जो काश्तकार ५५ से पहले काबिज था, उसको मुआवजा न मिले, मैं समझता हूं यह अन्याय की बात है। अगर किसी की चीज ली जाती है तो उसको जरूर मुआवजा देना चाहिए। इसलिए यह जो सजेशन है कि २० गुने की जगह १० गुना होना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। जो विचार सिलेक्ट कमेटी में होता है वह हुआ। इसके साथ ही सिलेक्ट कमेटी में जो मेम्बर रखे जाते हैं, मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष, उनको अमेंडमेंट रखने का अधिकार भी नहीं होता। ये माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। सदन ने उनको अपना संशोधन रखने का मौका दिया। वैसे मैं समझता हूं कि यह एक अनुचित चीज होगी। इसका राजस्थान के ज्यादातर काश्तकारों पर अफेक्ट होगा। जिस काश्तकार का राइट नहीं होता हैं और जो जमीन ले लेता है, जिसे भाईचारे में जमीन बताई, उसका मुआवजा पहले वाले काश्तकार को न दे, यह गलत होगा। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मैं समझता हूँ कि सदन के सदस्य भी इसका विरोध करेंगे क्योंकि एक नया कानून बुरा कानून बना रहे हैं कि किसी की जमीन ले लें लेकिन उसको मुआवजा न दिया जाय। आज बड़े बड़े सेठों को मुआवाजा दिया जाता हैं, पूंजीपतियों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन किसी जमीन पर बेचारे गरीब का कब्जा था, उसने वह जमीन दो वर्ष के लिए किसी को दे दी, उसको मुआवजा न दिया जाय तो अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि दूसरे प्रान्तो में २० गुना २५ गुना मुआवजा मिला हैं, अब राजस्थान के अन्दर आप नया काम करना चाहते हैं। आज तक सरकार ने जो कानून बनाये हैं, वे सब के सब काश्तकार विरोधी कानून बनाये हैं, लेकिन अब इस कानून के जरिये साबित करना चाहते हैं कि इस कानून से लाखों काश्तकारों को फायदा होगा मैं कहता हूँ कि इसमें लाखों का प्रश्न नहीं हैं, क्योंकि लाखों शिकमी काश्तकार होगे नहीं जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, उनमें से बेवकूफ नहीं हैं। यह हजारों का प्रश्न हैं, किन्हीं काश्तकारों ने अपनी जमीन भाईचारे में बताई हुई है, वह अब उसका मालिक बन रहा है, ये सारी चीजें हुई है, ये सब नेताओं की वजह से हुई हैं। उन्होंने बताया हैं कि आपको राइट्स मिलेगे जो काश्तकार भूमि पर काश्त करते हैं उनको खातेदारी राइट मिलेगे। लेकिन इसके लिए किसान सभा क्या चीज कह रही हैं, वह आपको मालूम होना चाहिए। आप अपना

(श्री मदनसिंह दांता)

नाम रखने के लिए अपने को जीवित रखने के लिए और कई चीजें रखने के लिए....

श्री जर्नादनराय नागर : बड़ी निराशा हुई।

श्रीमदनसिंह : आप करवा लेना अपने अपने विचार हैं। जो सदस्य गिने चुने लोगों से वायदा कर आये हैं कि आपकी तरफ से बोलेगे, ऐसे लोग बोले हैं। इसलिए इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा संकेत करना जो सदन की मर्यादा के प्रतिकूल हो, ठीक नहीं हैं। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूँ कि सदस्यों के सम्बन्ध में इस तरह की भाषा में संकेत न करें।

श्री मदनसिंह : इसमें क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी शंकाए सदस्यों के सम्बन्ध में न की जाय ?

श्री मदनसिंह : कैसा ?

श्री उपाध्यक्ष : जैसा आपने कहा है।

श्रीमदनसिंह : मैं सुनना चाहता हूं मैंने क्या कहा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना चाहते है तो प्रोसिडिंग्स देख लीजियेगा। ऑर्डर प्लीज।

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो श्री तेजाराम गहलोत ने संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह सवाल कम्पेन्सेशन का है, यह सवाल पिछली दफा जब जमींदारी एन्ड बिस्वेदारी एबोलिशन विधेयक आया था, उस समय भी था। यह यह समझ में नहीं आता कि बार बार कम्पेन्सेशन की, मुआवजे की बात आती है और इसके बारे में २० गुना, ८ गुना रख जाय, यह समझ में नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सब-टिनेन्ट को खातेदार राइट्स देना चाहते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने मेहनत की है और मुआवजा दिलाना चाहते हैं उस व्यक्ति को जिसने मेहनत नहीं की है। जमीन में। इस प्रकार से आप अधिकार देना चाहते हैं और मुआवजा १० गुना ५ गुना रखा है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वाकई बहुत सोच कर और बहुत गम्भीरता से विचार करके इसे रखा है। जहां तक सिलेक्ट कमेटी की बात है, माननीय सदस्य भी सिलेक्ट कमेटी में थे इसमें शक नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि सिलेक्ट कमेटी में विचार जल्दी करना पड़ा। यह सही है कि पिछले दिनों असेम्बली चल रही थी और उधर सिलेक्ट कमेटी में जाना पड़ता था, इसलिये बहुत सी बातों पर गम्भीरता से विचार नहीं कर पाये। बाद में सोच कर और गम्भीरता के साथ यह संशोधन रखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से हरिजनों और गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी हालत खराब है। वे नहीं दे सकते हैं ८ गुना या ४ गुना। इसलिए यह व्यवस्था की जाय कि हरिजनों को बिना मुआवजा दिये सब-टिनेन्ट बना दिया जाय क्योंकि वे गरीब लोग हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन प्रस्ताव है वह बहुत ही गम्भीरता के साथ रखा गया है और उपयुक्त है जैसा कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, माफ करें वे मुझे, यदि मैं कहूं कि गरीबों को शायद पनपाना नहीं है। लेकिन नहीं, हमें उनको इस प्रकार का अधिकार देना है कि जिससे किसी प्रकार वे

(डॉ० बहादुरसिंह)

अपना स्टेटस बढ़ायें, अपनी अर्थिक स्थिति को बढ़ायें और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जो बोझ डालते हैं मुआवजा देने का, वह न लगे अगर मुआवजा देना चाहती है तो सरकार अपने पास से दे दे, अपनी जेब से दिलाने का प्रोविजन नहीं रखा जाय।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवेदन में जो संशोधन सोजत से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस प्रसंग को लेकर सदन में वाद विवाद चला, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी कही गईं जो तथ्य से परे हैं। उदाहरण के तौर पर जिन माननीय सदस्यों ने कम्पेन्सेशन मुआवजा कम करने की नीति का विरोध किया, उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि मुआवजा न देना उन जमींदारों के प्रति अन्याय होगा और इस प्रकार के कई उद्गार प्रकट किये। मैं समझता हूं इस सदन में बैठने वाले जितने माननीय सदस्य हैं, वे भली भांति परिचित हैं कि हमारे देश के संविधान में किसी की सम्पत्ति को लेने पर, उसका मुआवज़ा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार रखा है ऐसा कोई माननीय सदस्य नहीं कह रहे हैं कि जिनसे जमीन ली जाय, उनको कुछ भी मुआवजा नहीं दिया जाय। अब तो केवल दो बातों पर मत प्रकट करना है, एक तो जो प्रवर समिति ने संशोधन दिया है कि २० गुना मुआवजा दिया जाय इस पर और दूसरी इस बात पर कि जो इस संशोधन में रखी गई है जिस पर मैं बोल रहा हूं कि २० गुना मुआवजे के स्थान पर १० गुना मुआवजा दिया जाय। १० गुना रखने से जो एक अति है एक्स्ट्रीम है, वह दूर हो सकती है। जिस प्रकार प्रवर समिति के प्रतिवेदन में मुआवजा २० गुना बताया है, वह आज की किसानों की हालत को देखते हुए अधिक होगा। आज किसान जो कि हमेशा से बोहरों को अधिकाधिक ब्याज और जमींदारों को अधिकाधिक लगान देता रहा है, इस हालत में नहीं है कि २० गुना मुआवजा दे सके।

बहुत से माननीय सदस्यों को पता नहीं होगा कि जिस प्रकार जागीरदारों ने बैठ, कर बेगार ले कर जागीर एरिया में किसानों का शोषण किया उसी प्रकार जहां जमींदारी प्रथा रही है वहां जमींदारों ने भी किसानों का एक अर्थ में शोषण ही किया है। जहां हम २० गुना मुआवजे की बात करते हैं भरतपुर में २० गुना और इससे अधिक लगान के रूप में जमींदार लेते थे। न मालूम किसानों को कितने कष्टों के दिन देखने पड़े थे। स्वतन्त्रता-सूर्य के उदय होने पर यह सोचा गया कि उस तबके को जो हमेशा शोषित और पीड़ित रहा है, उसको इस योग्य बनाया जाय कि वह अच्छा खाना खा सके, अच्छे कपडे पहन सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे मकानों में रह सके और सम्मान का जीवन व्यतीत कर सके। वह तभी कर सकते हैं जबकि उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाया जाय।

मैं समझता हूं हमारी सरकार जितने कानून बना रही है वे प्रगतिशील कानून हैं। इसके अलावा हम सच्चे अर्थों में समाजवादी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

शासन व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं। समाजवादी शासन व्यवस्था का मतलब यह है कि जो लोग एक दम नीचे गड्ढे में गिरे हैं उन्हें ऊंचा उठाया जाय और जो बहुत ऊंचे चढ गये थे, जिनको आदमी दिखता नहीं था, जो छोटों को कुचलते थे, उनको बराबर की मध्यस्थ स्थिति में लाया जाय। तो यह कानून भी इसी प्रकार की स्थिति लाने के लिये है, नीचे गिरे हुए लोगों को और बहुत ऊंचे चडे हुए लोगों को मध्यम स्थिति में, एक समान श्रेणी में लाने के लिये है। ऐसी स्थिति में २० गुना मुआवजा दिलाया जाना उन किसानों के लिये ठीक नहीं रहेगा जिन किसानों की कि हालत ठीक नहीं है। कहा जाता है कि किसानों का जमीन पर अधिकार नहीं हैं, वे जमीन के मालिक नहीं है, इस कानून से वे जमीन के मालिक बन जायेंगे, उनको इतना बडा अधिकार मिलेगा। पर यह पुस्तकों में न्याय हो सकता है, सामाजिक न्याय यह नहीं रहा है। सामाजिक न्याय तो यही रहा है कि जो किसान धरती माता का पुत्र है, धरती माता के कलेवर से पैदा करता है वही उसका मालिक है '........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : राजस्थान केनाल में क्या हाल होगा उन गरीबोंका ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान केनाल का मौका आयेगा तो उस पर भी विचार करेंगे। पर माननीय सदस्य उस वर्ग में नहीं जिस वर्ग पर जमींदारों के जुल्म होते रहे हैं और जमींदारों द्वारा उनका शोषण और उत्पीड़न होता रहा है। तो आज जब यह समय आया है कि उन किसानों को कम से कम इतने अधिकार तो देते हैं कि जितने कि नागरिक जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकें, तो इसका विरोध उस वर्ग की तरफ से किया जाता है।

श्री मदनसिंह : विरोध सिलेक्ट कमेटी ने किया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) सिलेक्ट कमेटी ने किया है तो वे भी माननीय सदस्य सदन के हैं, उनके विचार हो सकते हैं। न्याय की दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक सोचें और देखें तो यह उचित है कि मुआवजा जरूर दिया जाय, संविधान में प्रावधान है उसका सम्मान करने के लिये, पर वह मुआवजा इतना नहीं रखा जाय कि किसान दे न सके। हरिजनों के लिये कहा गया, मैं तो यह मानता हूं कि आज किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हरिजन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, पर वस्तुतः सभी किसान आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस कानून द्वारा लगान का २० गुना मुआवजा देने का प्रावधान रखेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इस बिल में २३वीं धारा रखी है, उसमें १० गुना मुआवजा देने का संशोधन सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह एक मध्यम मार्ग है इसको सदन पारित करेगा। इससे किसानों को जमीन पर अधिकार मिलेगा और जमींदारों को भी उनका उचित हिस्सा मिलेगा।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार

Page No.76

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : जो प्रस्ताव सदन के समक्ष विचाराधीन है उस पर मैं समझता हूं आवश्यकता से अधिक भावनापूर्ण विचार हो रहा है इस विषय में काफी बहस सदन में हो चुकी है और मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कहना नहीं चाहूँगा। हां, जिन लोगों से लेकर काश्तकारों को नये प्रकार के अधिकार हक दे रहे हैं, उनको मुआवजा किसी न किसी रूप में मिलना चाहिये और मैं समझता हूं करीब करीब सभी माननीय सदस्यों का यही विचार है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि जब बड़े बड़े जागीरदारों को भी री-हेबिलिटेशन ग्रॉन्ट और पुनर्वास भत्ता देने को चले हैं तो इन छोटे तबके के लोगों को दूसरे धंधे पकड़ाने के लिये, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिये क्यों नहीं यह दिया जाय ? यह उनका वाजिब शक उठाना है। दूसरे, माननीय सदस्य ने कहा कि जमीन को बैठे बैठे खाने का कम्पेन्सेशन नहीं होना चाहिये, उनको दूसरे धंधों की तरफ कदम उठाना चाहिये था, वे भी मैं समझता हूं महसूस करेंगे कि दूसरे धंधों की तरफ कदम उठाने के लिये पूंजी की आवश्यकता होती है, बिना पूंजी के कोई भी धंधा नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के धंधे को करने के लिये कुछ मात्रा में उन्हें पूंजी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है मैं ज्यादा दलीलें नहीं देना चाहता क्योंकि इसे ज्यादातर माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है। इस प्रस्ताव को जिन माननीय सदस्य ने रखा है कि मुआवजा भले ही २० गुना क्या ३० गुना दीजिये, आप अपने पास से दीजिये, सरकार दे, पर उन किसानों से वह मुआवजा नहीं दिलाना चाहिये। तो जहां तक यह बात है मैं ज्यादा दलील नहीं देना चाहता। हां, एक रूप में उनकी भावना के साथ हूं कि यह मुआवजा किसानों से नहीं दिलाना चाहिये। पर अगर आप यह समझें कि किसानों को जमीन दिला रहे हैं और यह समझें कि किसान एक गरीब भिखारी की तरह है उसे उसकी हालत पर दया करके आप दे रहे हैं, ऐसी दृष्टि रख कर चलेंगे तो इस भूमि सुधार के कानून के बाद आप किसानों की तरफ देखना बन्द करदें कि जो उनको दिलाना था वह दिला दिया, बस हमारा फर्ज खत्म हुआ और इस तरह आपका कदम उनके आर्थिक विकास के लिये रुक जायगा। हमारा आर्थिक विकास का कदम तब तक नहीं रुक सकता जब तक हर किसान उस पैमाने पर न आ जाय जिस पर हम हर व्यक्ति को लाना चाहते हैं। प्रोग्रेसिव किसान तो ऐसा है, जैसा मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हर किसान के पास मोटर हो, अच्छा मकान हो, पूरी तरह खेती-बाड़ी हो समृद्धिशाली ढंग से रहे। तो हमारी ड्यूटी इस कानून के बाद किसानों के प्रति समाप्त नहीं हो जाती। तो इस दृष्टि से हम नहीं चल सकते और हमें नहीं चलना चाहिये कि हमको किसान की झोली में कुछ डालना था सो डाल दिया। हमें भूमि वितरण की व्यवस्था राष्ट्र के हित के लिये करनी चाहिये। हम समझते हैं कि भूमि वितरण की व्यवस्था एक बहुत बहुत बड़ी भारी व्यवस्था है। जब तक यह पूरी तरह से हल नहीं होती किसान दिलचस्पी से उस जमीन पर पैदावार बढाने की कोशिश नहीं करता। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिसमें लैंड इकोनोमी जरूर हो लेकिन जनरल इकोनोमी सारे राष्ट्र के हित में बने। इस दृष्टि से हमें सुधार करना चाहिये और यदि हम इस चीज को दृष्टि में रखते हुए करते हैं तो भूमि सुधारों की कीमत और भूमि-

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

वितरण की कीमत हमारे राष्ट्र का एक तबका मात्र बर्दाश्त ही क्यों करे? जब कि आज खेती को उपज किसान बढ़ाते हैं, खेतों में अच्छा अनाज पैदा करते हैं और अनाज के अलावा भी दूसरी चीजें पैदा करते हैं तो इन सारी चीजों से जो मुनाफा मिलता है वह किसान को अकेले को नहीं मिलता। इसका मुनाफा सारे राष्ट्र को मिलता है। अच्छी कमर्शियल कमोडीटीज़ होती है या कॉप होती है वह विदेशों में जाती है और वहां जाकर बिकती है उसका हिस्सा राष्ट्र को मिलता है जब कि ये सारी बातें राष्ट्र के हित में होती हैं तो उसका बोझा भी राष्ट्र को ही बर्दाश्त करना चाहिये। इस पर मेरे कई माननीय मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये। यहां तक कहा गया कि सरकार को तरफ से मुआवजा दिया जाना चहिये और किसान को कुछ नहीं देना चाहिए मगर मैं यह कहूँगा कि यह बात आपको उस समय कहनी चाहिये थी जिस समय धारा १६ पास हो रही थी। उस समय बहस करनी चाहिये थी कि मुआवजा किसानों की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से होना चाहिये। मगर आज स्टेज नहीं रही। वह धारा तो पास हो चुकी, मगर फिर भी उस चीज को क्रियान्वित रूप में बदल सकते हैं और उसी का स्पष्टीकरण करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। अव्वल चीज तो सोचने की यह है कि किसान से मुआवजा दिलाया जाता है तो आपको उसको देने की ताकत होनी चाहिये इसके लिए आपको उसको खड़ा होने लायक बनाना होगा। जब वह इस लायक हो जाय तो हम कह सकते हैं कि वाकई यह वाजिब चीज है। इसके अलावा अगर आप इसको पूरे तौर से देखें और पढ़े तो आपको मालूम होगा कि जो मुआवजा दिलाया जा रहा है और जिस ढंग से दिलाया जा रहा है तो आपको मालूम होगा कि बंदोबस्त का २० गुना है। जो बन्दोबस्त की रेंट निश्चित की है उसका बीस गुना। मगर जिसका रेन्ट निश्चित नहीं है तो उस जमीन का मुआवजा किस तरह से दिलाया जावेगा। कई जगह पर रेन्ट निश्चित नहीं है। इसलिए उनके लिये यह देखना होगा कि न्यायपूर्ण लगान क्या है कही एक्सेस लगान तो नहीं है। इसके अलावा बन्दोबस्त का १० गुना मुआवजा १० किश्तो में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल जो किसान देता आ रहा है उससे काम नहीं चलेगा, उसको जो वह देता है उससे दुगुने लगान के बराबर देना होगा। आप देखेंगे कि कई जगह गैर बन्दोबस्त लगान लिया जाता है। वह दुगुना लगान १० वर्ष तक देगा और उसके बाद में खत्म होता है और उसको कुछ नहीं देना होगा। माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखा है १० गुना का जो लगान देते हैं वह देते रहें और १० वर्षों के बाद वह बन्द हो। इसका मतलब यह है कि आज उनको खातेदारी हक नहीं दिला कर १० वर्षो के बाद हक दिलाया जावे। ५ वर्षों की बात रखी है उसका अर्थ यह है कि आज जो हर साल देते हैं उसका आधा दे और १० वर्ष बाद बन्द हो जावे। तो श्रीमानजी, आज जितना बन्दोबस्त लगान देते हैं, उसका १० गुना भी मुआवजा दिया जाए तो यह न तो बड़ा मुआवजा है और न सरकार के लिए कोई वजन। फिर भी मैं यह सजेशन देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस खर्चे को सरकार को ही बर्दाश्त करना चाहिये। अब चूंकि १६ धारा की स्टेज निकल चुकी है अगर सरकार चाहे तो उसमें कुछ अभी भी कर सकती है। सरकार जो लगान लेगी उसके

Page No.78

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

लिये तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में प्रोविजन है। जब तक मुआवजे को लगान नहीं माना जावेगा तब तक सरकार लगान नहीं लेगी।

(हर्षध्वनि)

जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। मैं आपके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि जहां तक मुआवजे का प्रश्न है जिस प्रकार हवा, रोशनी और पानी एक भगवान की देन है और दी हुई चीजें हैं, मैं उसी प्रकार जमीन को भी कुदरत की बनी हुई चीज समझता हूँ और जहां तक मुआवजे का सवाल तय किया गया और दिया जा रहा है, उस संबन्ध में मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि जमीन पर किसी का स्वामित्व नहीं और इसलिए उसके लिए मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार हवा रोशनी और पानी पर किसी का स्वामित्व नहीं यह ईश्वर की देन है और बनाई हुई है उसी तरह से जमीन भी ईश्वर की बनाई हुई है। भूमि किसी आदमी की बनाई हुई नहीं हैं इसलिये इसका मुआवजा कैसे दे। लेकिन प्रश्न यह है कि जमीदारों और जागीरदारों को हमने मुआवजा दिया। तो इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जावे। तो यह कहा जाता है कि खातेदारी को इस प्रकार प्रश्न माना जावे कि यह जमींदारी और जागीरदारी का प्रश्न नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां प्रश्न जागीरदार, जमींदार या खातेदार का नहीं, प्रश्न उनका है जो लोग वास्तविक जमीन पर बोने वाले नहीं हैं और बिचोलिये है चाहे जागीरदार, जमींदार या खातेदार हो, मैं तो समझता हूं कि वे खातेदार नहीं जब वे खुद जमीन को नहीं जोतते, खुदकाश्त नहीं करते तो वे कैसे कह सकते है कि वे काश्तकार है। काश्तकार का प्रश्न नहीं यह उन मनुष्यों का प्रश्न है जो खातेदार कहलाते हैं और स्वयं भूमि पर हाथ से काश्त नहीं करते वे लोग उन लोगों से लगान लेते थे और जो सरकार से तय होता था उससे ज्यादा लगान लेते थे। आज उनके लिये यह कहा जाता है कि उनको मुआवजा दिया जावे मैं यह कहूंगा कि यह उचित नहीं होगा। अगर वे काश्तकार थे तो काश्त करते मगर चूंकि वे काश्त नहीं करते इसलिये काश्तकार नहीं कहला सकते। वे बिचोलिये थे, वे शिकमी काश्तकारों से काश्त करवाते थे और लगान लेते थे और जो लगान कानूनन लिया जाना चाहिये था उससे ज्यादा लेते थे। मैं समझता हूं कि जब जागीरदार रहे नहीं, जबकि वास्तव में सब-टिनेन्ट को जमीन पर खातेदारी के हक प्राप्त नहीं होते तो प्रश्न यह है कि ऐसा एक वर्ग जिसने वास्तव में किसान को जमीन से दूर रखा, उसका शोषण किया, उस पर अत्याचार किये उनके लिये हम कहते हैं कि उनको २० गुना मुआवजा दिया जावे। यह तो ठीक है कि सोजत से आये हुए माननीय सदस्य ने यह रखा है कि दस गुना दिया जाय, पहले थे उनको पांच गुना दिया जाय। मैं तो समझता हूँ कि जमीन का मुआवजा तो वास्तव में नहीं दिया जाय, लेकिन जिन जमीनों पर मनुष्यों ने इम्प्रूवमेन्ट्स किये हैं, मान लीजिये कि किसी ने कुंआ बनाया, एम्बेंकमेन्ट बनाया, यदि उस दृष्टि से मुआवजा के लिए प्रवर समिति विचार करती तो कोई

(श्री शंकरलाल)

न्याय भी होता। जो आदमी सिर्फ इस प्रकार के थे कि केवल नाममात्र के खातेदार थे, जिसने कभी जमीन में कोई इम्प्रूवमेन्ट नहीं किया और जब कि वास्तविक काश्तकार थे जिन्होंने काश्त की यदि उनसे मुआवजा उनको दिलाया जाय तो यह अन्याय है और न्याय नहीं है। जिन्होंने कभी काश्त नहीं की, सुधार जमीन में नहीं किया उनको किस बात मुआवजा मिले। खातेदार तो वास्तव में वही हो सकता है, जिसने जमीन में सुधार किया, कुंआ बनवाया, पोखर-तालाब बनाया, धोरा लगाया, जमीन पर परिश्रम किया, वही व्यक्ति मुआवजे का हकदार हो सकता है। लेकिन मुझे खेद है कि प्रवर समिति ने इस विषमता पर और इसकी बारीकी पर विचार नहीं किया और सब खातेदारों को एक ही श्रेणी में रखा है। यह दलील दी गई वह कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी और कुछ कुछ किया है उनको भी एक एक ही श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं है और उस पर प्रवर समिति को विचार करना चाहिये था। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिल की धाराओं को पास न करके और आगे हो सके तो संशोधन लाकर इस प्रकार की विषमता को दूर करें। उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिये, जिन्होंने इम्प्रूवमेन्ट किया है और जो शिकमी काश्तकार हैं। लेकिन दोनों का एक श्रेणी में रखना उचित नहीं है। जिन लोगों ने खातेदारी रखी और जमीन पर काश्त खुद न करके दूसरों से काश्त कराई उन लोगों को मुआवजा क्यों दिया जाय। यदि न्याय करना ही है तो दोनों खातेदारों की आपस में तुलना करनी पड़ेगी और दोनों को भिन्न भिन्न समझना पड़ेगा तब ही मैं समझता हूं कि इस कानून के द्वारा न्याय हो सकेगा।

एक महानुभाव ने कहा कि लाखों का प्रश्न नहीं है हजारों का प्रश्न है और इसमें इसीलिए इन्ट्रेस्ट नहीं लेना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि चाहे लाखों का हो चाहे हजारों का हो, लेकिन जमीन पर जमीन जोतने वाले का हक हमने माना। फिर यह बात कही गई कि लगान देना पड़ेगा, इसलिए इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाय कि दस साल तक तक लगान नहीं देना पड़े। मुआवजा उस खातेदार को देना पड़ेगा और सब-टिनेन्ट से लगान नहीं लिया जावेगा तो उस दृष्टि से तो २० साल तक जमींदारी कायम रही। एक तरफ खातेदार को मुआवजा देगा और दूसरी तरफ लगान देगा तो २० साल तक जमींदारी कायम रहती है। मैं तो कहता हूं कि किसी प्रकार का खातेदार को मुआवजा नहीं दिलाया जाय। उस हालत में दिलाया जाय कि जमीन पर कोई सुधार किया हैं और कीमत आंक कर उसका मुआवजा दिलाया जाय। ऐसा किया जायगा तो वास्तव में काश्तकार के साथ न्याय होगा।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस बारे में विचार कर रहे है कि जो लोग शिकमी काश्तकार है, उन लोगों को खातेदारी राइट्स अब हम इस कानून के अन्तर्गत दे रहे हैं उनसे कितना मुआवजा उन खातेदार किसानों को दिलाया जाय। आया २० गुना या १० गुना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें सोचना यह है कि आखिर वह किस तरह का किसान था।

(श्री गिरधारीलाल)

पहली बात तो यह है कि उनको दो केटेगरी में खड़ा करते हैं । पहली श्रेणी तो यह है कि कुछ किसान जिनके पास चाहें वे भूतपूर्व जागीरदार हों या किसान, उनके पास हजारों बीघा जमीन थी, वे सारी जमीन पर काश्त नहीं करा सकते थे इसलिए आधी जमीन दूसरे किसानों को उस गाव में दे देते थे और वे भूमिहीन काश्तकार थे । भूमिहीनों में ज्यादातर हरिजनों को ले सकते हैं । दूसरी श्रेणी में वे लोग आते है जिनके पास जमीनें थी लेकिन दूसरे साधन उनके पास उपलब्ध थे और उस कारण उन्होने गरीब किसानों का शोषण किया और उस पैसे के जरिये शहरों में बिजनेस किया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दलील दी गई कि २० गुना अधिक नहीं है और मुआवजा देना चाहिये । जहां तक मैं समझता हूं आप एक सिद्धान्त मान कर चलते है कि जमीन किसकी ? जो जोते उसकी । जो आदमी जमीन जोतता हैं उसको पूरा फायदा देना चाहिये । मैं तो कहता हूं कि राजस्व मंत्री महोदय, प्रचार करना चाहते है कि यह किसानों के फायदे के लिए कानून बनाया है लेकिन एक तरफ २० गुना मुआवजा लेकर । एक हाथ से तो खातेदारी राइट्स देते हैं और दूसरे हाथ से उसका २० गुना लगान का मुआवजा लेते हैं । मैं कहूंगा कि राजस्थान का किसान इतनी अच्छी हालत में नहीं कि २० गुना मुआवजा दे सके । राजस्थान के किसानों में ६५ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो गरीब हैं, आज दिन के उनके रहने के लिए पूरे मकान नहीं हैं, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है और उन पर फिर तरह तरह के टैक्स लाद रहे हैं, तरह तरह के लगान लगा रहे है । लगान की जो पद्धति है उसी से उसका शोषण होता हैं और फिर लगान से २० गुना किसान से मुआवजा दिला रहे है । यह ज्यादा है क्योंकि आज किसान की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह मुआवजा दे सके मैं तो कहता हूं कि यदि आप ऐसा रखते हैं तो शिकमी काश्तकारों में से ऐसे काश्तकार निकल जावेंगे जो खातेदारी राइट्स लेना ही पसन्द नहीं करेंगे और २० गुना मुआवजा यह कहां तक उचित है, मैं नहीं समझता । उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा हो । या तो बातचीत बन्द हो जाय...

श्री मदनसिंह दाता : साल बढ़ा दीजिये ।

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक सिद्धान्त स्वीकार कर चुके हैं और ईमानदारी से इस सिद्धान्त को मानते हैं फायदे की बात सोचना चाहिये किसानों के लिए जो कि गरीब हैं । यह बात माननी पड़ेगी और सारा सदन इस बात को जानता है कि जिन लोगों के पास हजारों बीघा जमीन थी....

श्री उपाध्यक्ष : (To Shri Janardan Rai Nagar who was speaking with the Hon'ble Revenue Minister).

The Hon'ble Member will please not bisturb the House.

श्री गिरधारीलाल : (जारी) और जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और जो किसान थे उन्होंने उनसे जमीन ली और वे शिकमी काश्तकार बने । वे गरीब थे और गरीब होने के कारण वे शिकमी भूमिहीन किसान बने । आप उन लोगों को कह रहे हैं कि उस जमीन

(श्री गिरधारीलाल)

का खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिए २० गुना मुआवजा दो। इससे तो मैं समझता हूं कि गरीब काश्तकारों का अहित ही कर रहे हैं। उन भूतपूर्व जागीरदारों जमींदारों और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, जिन्होंने आज तक किसानों का शोषण किया हैं उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहें हैं और उस फायदे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब सबसे अधिक शरीक हैं। क्योंकि आपने ही मुआवजे का प्रश्न रखा है मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य ने ऐसा विचार रखा है कि मुआवाजा मत दो और देते हैं तो सरकार के खर्चे में से दो। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा विधान कहता हैं कि देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊ कि राजस्थान केनाल एरिया में जब खातेदारी राइटस किसानों से छीने तो क्या वहा के किसानों को आपने मुआवजा दिया।

आपने वहां संविधान के खिलाफ कार्यवाही की है। आपको चेतावनी भी दी गई थी किन्तु वह आप माने नहीं क्योंकि उन किसानों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। आप वहां की आर्थिक हालत को जानते नहीं, इसलिये आपने उनको तो मुआवजा नहीं दिया और आज आप संविधान की दुहाई देकर इनको मुआवजा दिलाना चाहते हैं ...

३ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : You are referring to a Bill which this Hon'ble House has passed.

श्री गिरधारीलाल : जब संविधान का प्रश्न आया तो मैंने उसका जिक्र किया।

श्री उपाध्यक्ष : You will not comment on the Bill which has already been passed.

श्री गिरधारीलाल : इस पर काफी विचार-विमर्श हो चुका है, इसलिये मैं इतना ही माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा गरीब किसान की हालत को देखते हुए जो बीस गुना मुआवजे की दर रखी है वह थोड़ी ज्यादा है। दस गुना रखा जाय तो ठीक है और अगर बिल्कुल भी न रखा जाय तो बहुत ही उचित है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो विचार व्यक्त किये थे उनमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं आपको आज्ञा देने में।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा यह निवेदन था कि हरिजनों से आधा लेना चाहिये और दूसरों ...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Oreer !!

श्री पी० के० चौधरी : माननीय सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I can better understand the position. I will give that chance if there is a personal explanation.

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आये हुए माननीय सदस्य ने जो दस गुना मुआवजा देने की बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज राजस्थान के अन्दर ऐसे काश्तकार हैं जो खुद काश्तकार नहीं हैं अब उनकी

(श्री मोगजी भाई)

किस्मत का उदय होने का मौका आया है तो माननीय मंत्री महोदय ने और प्रवर समिति ने बीस गुना मुआवजा लेकर उनको जमीन देने का प्रॉवधान रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। कई ऐसे स्थान हैं जहां गरीब काश्तकार हैं कई ऐसे शिकमी काश्तकार हैं जिनके पास दस बीघा जमीन है आज जब कि आप उनके लिये कह रहे हैं बीस गुना मुआवजा दें तभी उनको वह जमीन मिल सकेगी, इस तरह से मैं समझता हूं काश्तकारों को मजबूर होकर जमीन छोड़नी पड़ेगी। आज जिस काश्तकार के सामने अपना जीवन-निर्वाह मुश्किल हो रहा है उसको अगर २० गुना मुआवजा देने के लिये कहा जायगा तो वह किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा बीस गुना मुआवजा बहुत ज्यादा है। उसकी जगह दस गुना कर दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ मैं भी यह निवेदन करूंगा कि दस गुना भी न रखा जाय तो और अच्छा है। जिस काश्तकार ने अपना जीवन बर्बाद करके खाली पेट रहकर अपने बच्चों को भूखों मारकर अच्छा खाद दे देकर जिस जमीन को तैयार किया, उस पर बीस गुना मुआवजा का दंड रखना उचित नहीं है। मैं तो यह निवेदन करूंगा दस गुना भी मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : तो कितना गुना लगायें।

श्री मोगजी भाई : कुछ भी नहीं दिया जाय तो बहुत अच्छा है। जिसने अपनी सारी जिन्दगी बर्बाद करके जिस जमीन को सुधारा है उस भूमि के लिये उससे मुआवजा लेना उचित नहीं है। आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाके को ले लीजिये वहां की पहाड़ी भूमि को सुधारने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, अगर उस भूमि के लिये बीस गुना मुआवजा लेते हैं तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि काश्तकारों का हित तभी होगा जब कि मुआवजा बिल्कुल न दिया जाय। अगर देने की ही सब की राय हो तो ज्यादा से ज्यादा दस गुना देना चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा सु०): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और यह बताना चाहता हूं हमको जब कभी भी गांवों में जाने का मौका मिलता है, गांव के लोग यह कहा करते हैं कि 'धरती राज की और बेटी बाप की' सारी जमीन राज की होनी चाहिये, राज के अलावा धरती का दूसरा मालिक नहीं होना चाहिये। बेटी बाप की होती है जिस किसी को बाप पसन्द करे उसके साथ उसकी शादी करता है किसी जमाने की यह बात थी, मगर किसी समय जब राजा की जमीन हुआ करती थी उन राजाओं के जमाने में उस जमीन को हड़पने के लिये कुछ चालाक लोगों ने एक प्रकार का तरीका अपनाया वे लोग राजाओं से मिल गये और इस तरह से राजाओं को चकमा देकर जमीन को अपने अधिकार में कर लिया....

एक माननीय सदस्य : क्या यह सत्य है कि राजाओं की कभी जमीन थी ही नहीं ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : राजाओं

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

से मिलकर उनको चकमा देकर ये लोग जमीन के मालिक बन गये, राजाओं का कुछ लेना देना नहीं था, किन्तु ये बीच के लोग उनसे जमीन लेकर बैठ गये और जमींदार बिस्वेदार खातेदार बन गये।

श्री उपाध्यक्ष : इस इतिहास पर ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : मेरी समझ में ऐसी बात किसी ने कही नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि जो आज आप काश्तकारों से बीस गुना मुआवजा लेने की बातें कर रहे हैं यह टीक नहीं है। आज का समय तो यह है कि जो हाथ से हल चलाता है उसकी जमीन होनी चाहिये। लेकिन आज उल्टा हो रहा है जिन लोगों ने जमीन और खेत देखे तक नहीं, जमीन को कैसे जोतते हैं यह उनको पता नहीं, आज उन लोगों को कम्पन्सेशन की तौर पर काश्तकारों से बीस गुना मुआवजा दिलाया जा रहा है। मैं समझता हूं उन काश्तकारों ने बहुत कुछ परिश्रम से पड़त जमीन को काश्त के योग्य बनाया ऐसी हालत में उनका क्या मुआवजा दिया जाय, जिन्होंने जिन्दगी भर बेगार को लगान दिया, लाग, बागें दी और उनके पास पड़ौस में जो रहेने वाले थे वह लोग कान्दे गाजर बाड़ी में से जोर जबरी से ले जाते थे।

श्री मदनसिंह : किसी महाजन से पाला पड़ गया होगा।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : बहुत अत्याचार हुए उस समय में, आज तो जागीरदार हैं नहीं, उनके द्वारा जो जो जुल्म हुए उससे उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानकार हैं, आप को भी शायद याद होगा उस समय के जुल्म इस प्रकार थे। दो फुला रजका का लाजे दो सांठा की भारयारे मैं बलबा सारू लकड़ियां लाजे दो पाडया लाजे कांदारे ला घोड़ा को चारों दानों, बेगो आजे बेगारया रे जेज करे मत बेगो आजे, मार उड़ादूं खालां रे गांधी गवर्मेंट जीते, ये विजयसिंह रजवाड्या रे, सतधर्म की सभा बड़ाई पाप मूल ने पाड्या रे"।

इस तरह के अत्याचार थे आज तो मैं बोल नहीं रहा हूं जिनको मुआवजा दिलाया जा रहा है उनके लिये हम कहते थे...

करसां थाकां अनदाता छे क्यूं लाग्या धमकाबा ने
जो थे यांसूं बैर करो तो मले न टुकडो खाबा ने

प्रजातंत्र के होने के बाद भी आज हम उन किसानों से बीस गुना मुआवजा दिला रहे हैं उन जागीरदारों को। आज यह टीक है कि जागीरदार हमारे साथ आगये हैं उन्होंने अपनी वेष-भूषा बदल दी है और कन्धे से कन्धा मिलाने को तैयार हो गये हैं तो इतनी मेहरबानी करनी पड़ेगी कि हमें उनको पांच गुना ही मुआवजा देना चाहिये।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कम्पेन्सेशन के क्लॉज़ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है सबसे पहले हमको देखना चाहिये कि कम्पेन्सेशन हमको देना है या नहीं देना है या नोमिनल देना है। आज हम देखते हैं कि जितने भी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाते है तो हमेशा उनमें जो प्रोपर्टी या कैश हैं उनको कम्पेन्सेशन देना मंजूर करते हैं और इस बात की दुहाई देकर मन्जूर करते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने देना मन्जूर किया है, हिन्दुस्तान

(श्री पी० के० चौधरी)

के विधान में यह दिया हुआ है कि हमको किसी के प्रॉपर्टी या कैश के लेने में उसको इसका कम्पेन्सेशन देना है।

३.१० म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति पदासीन)

अब जिन लोगों से हम आज जमीन ले रहे हैं या जिनको हम जमीन का हक दे रहे हैं वह क्या किसी को प्रोपर्टी छीन कर दे रहे हैं। यह सब से इम्पोर्टेन्ट सवाल आता है। हम जो टिनेन्ट से सब-टिनेन्ट्स को आज हक दे रहे हैं उस जमीन का, लेकिन उनको हक देने में जाकर हमने किसी के प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं छीने हैं, न ही छीनने जा रहे हैं। कम्पेन्सेशन का सवाल विधान के मुताबिक तब आता है जब हम उसके प्रोप्राइटरी राइट्स छीनते हों। यह जिन लोगों का राइट जो भी कुछ ले रहे हैं वह प्रोप्राइटरी राइट नहीं है । उनको एक तरह का यूज करने का राइट था। इस्तेमाल करने के लिये कानून में कोई राइट दिया गया था उसकी दृष्टि से दे रहे हैं कि यह उनकी प्रोपर्टी नहीं छीन रहे हैं, उसकी कोई मिल्कियत या सम्पत्ति नहीं छीन रहे हैं। तो जब हम उनकी सम्पत्ति नहीं ले रहे हैं तो फिर कम्पेन्सेशन का सवाल कहां पैदा होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : तो क्या ले रहे हैं उनका ? If you are not taking any rights, then what are you taking ?

श्री पी० के० चौधरी : We are taking rights of use, not property rights. आपका जो संविधान है, जिसके नाम से आप कम्पेन्सेशन देने का प्रॉवधान रखते हैं, उसमें यह लिखा है कि उसके जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उनको जब छीनते हैं, उसका जो मालिकाना राइट है, उसको जब छीनते हैं, तब कम्पेन्सेशन देना जरूरी है। पर जो यूज़ का राइट है उसको जब हम छीनते हैं और इसलिये छीन रहे हैं कि हम उसको एक अहम सोशल प्रैक्टिस मानते हैं, समाज के लिये घातक प्रैक्टिस मानते हैं और उस प्रैक्टिस को खतम करना चाहते हैं। कोई आदमी अफीम या शराब पीता, खाता है। उसकी आदत पड़ जाती है। पर जब हम प्रोहिबिशन का कानून बनाते हैं या अफीम के इस्तैमाल पर रोक लगाते हैं तो उस पर यह नहीं कहते कि अफीम पीने की उसकी आजादी या राइट्स छीन रहे हैं और इसके लिये उसको कोई कम्पेन्सेशन देना चाहिये, वह तो कहेगा कि मेरा हक था, शराब पीने का या अफीम खाने का। अब भी आप क्या कोई उसका राइट छीन रहे हैं ? जिस दिन आप प्रोहिबिशन का कानून बनावेंगे तो क्या उनके इस शराब पीने के राइट को छीनने के एवज में कम्पेन्सेशन उन को देंगे। पर हम इसके लिए उसको कोई कम्पेन्सेशन नहीं देते हैं तो यहां पर उनको जो राइट मिला था उस जमीन को यूज करने का तो वह उसका कोई प्रोप्राइटरी राइट नहीं था।

श्री सभापति : That was salable rigt. यह राइट सेल हो सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : सेलेबल राइट होने से प्रोप्राइटरी राइट नहीं बनता।

श्री सभापति : एक खातेदार ने जमीन खरीदी है उसको कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा

श्री पी० के० चौधरी : बम्बई में एक पगड़ी वसूल करने का राइट है लोगों को यह मैं बता देना चाहता हूं । आप चालीस रुपया किराये का मकान लेने जावें तो चार हजार पगड़ी के देने पड़ते हैं ।

श्री सभापति : But that is not recorgnized by law.

श्री पी० के० चौधरी : कानून के अमल में आने से पहले लॉ रिकग्नाइज नहीं करता था, आज कानून अमल में आने के बाद करता है और जो नहीं देते थे उनको मकान नहीं मिलता था । पर दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं । कोई बिजनैस कन्सर्न होता है, उसकी गुडविल होती है । उसके असेट्स होते हैं, उसका स्टाक होता है, अगर उस कन्सर्न कोई लेता है तो और सब कानून रिकग्नाइज़ करता है पर गुडविल को नहीं करता । अब गुडविल का वह २५ हजार कम्पेन्सेशन का मांगता है । अब सभापति महोदय, आप उस कन्सर्न को नेशनलाइज करते हैं । अगर वह उस कन्सर्न को वैसे बाजार में बेचे तो गुडविल का दो चार लाख या एक करोड़ रुपया भी वसूल कर सकता है, पर आप उसको यह रुपया नहीं देंगे । तो गुडविल का जो राइट है वह इन्टेन्जिबल है । इसलिये राइट बेचने का कानूनी अधिकार अगर दिया हुआ है तो आप क्या यह कहेंगे कि यह जो गुडविल बेचने का राइट है उसका भी मुआवजा देंगे । आप मान लीजिए किसी कम्पनी को नेशनेलाइज करते हैं, टेलको कम्पनी को, या टाटा कम्पनी को, या किसी कन्सर्न को, तो जी० आर० डी० टाटा कहेंगे आपसे कि हमारी कम्पनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है या जो सब्स्क्राइब्ड कैपिटल है या आउट स्टॉक है वह सब मिलाकर पचास करोड़ रुपया होता है और गुडविलि का दस करोड़ । तो मैं तो साठ करोड़ लूंगा । कानूनन ले सकता है, पर जिस गुडविल को वह शामिल करता है वह नहीं देंगे । वह बाजार से ले सकता है पर कानूनन गुडविल आपसे नहीं ले सकता । तो इस तरह से कोई राइट होने से ही वह प्रोप्राइटरी राइट नहीं हो जाता है । मैं समझता हूं कि जो माननीय मन्त्री महोदय के दिमाग में इसकी कन्फ्यूजन है कि प्रोप्राइटरी राइट और किसी तरह का दूसरी तरह का राइट, दोनों में फर्क है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कभी यह नहीं कहा कि प्रोप्राइटरी राइट के बारे में मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है । I have never discussed that point. Why should he bring me in ?

श्री पी० के० चौधरी : मन्त्री महोदय के दिमाग में कन्फ्यूजन है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपने आप सवाल क्रिएट करते हैं और जवाब दे लेते हैं । मैंने कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं कही । Only I wanted to know for information. I never said so far.

श्री पी० के० चौधरी : सो आप मानते हैं इस बात को कि प्रोप्राइटरी राइट नहीं थे ।

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय, कम्पेन्सेशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसके बारे में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है । इसलिये इस पर बहस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये ।

श्री सभापति : He is debating over the clause. There is some provision in the Tenancy Law.......

वे क्लॉज़ पर ही बहस कर रहे हैं पर आप (श्री पी० के० चौधरी से) इस पर

Page No.86

(श्री सभापति)

भी प्रकाश डालिये कि टिनेन्सी एक्ट में प्रोप्राइटरी राइट तय कराने का अधिकार सिविल कोर्ट को है ।

श्री श्रीभानसिंह : But not full proprietory rights. Even the right of sale is subject to certain laws and when sale rights are limited, then full rights or proprietory rights are not accepted.

श्री सभापति : Supposing there is a well over a holding, he is owner of that. एक कुंआ है, खर्चा करके बनाया है । He is owner.

श्री श्रीभानसिंह : Unfortunately, Sir, even this Bill does not compensate for a well.

श्री सभापति : Continue your debate...

श्री पी० के० चौधरी : मुझे इस बात की खुशी है कि मन्त्री महोदय ने मन्जूर किया है कि वह प्रोप्राइटरी राइट नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not accepted it...

श्री पी० के० चौधरी : You had accepted. The Hon'ble Minister is going back on his words.

आपने इस बात को मन्जूर किया हैं कि जो भी राइट्स ले रहे हैं ये प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I never accepted......

श्री पी० के० चौधरी : You can see the proceedings.

श्री सभापति : You please continue now. It has got no relevancy with the fact in issue. What ever he has said or he has not said is not relevant to the matter at present.

श्री पी० के० चौधरी : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मन्त्री महोदय ने इसको मन्जूर किया है कि हम...

श्री सभापति : No repitison please.

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : I could not Complete may sentence, Sir I had to complete it. The sentences cannot be disjoined.

मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात को मन्जूर किया है कि इस कानून से हमने जो हक छीन लिये हैं किसी व्यक्ति विशेष से वे उसके प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं हैं ।

(हंसी)

पर दूसरे किसी तरह के राइट्स हैं जो गुडविल या सेलेबल राइट की तरह है । ऐसा ही कोई राइट हम इनसे छीन रहे हैं ।

अब इस बात को मन्जूर करने के बाद यह प्रोप्राइटरी राइट्स हैं इनके कम्पेन्सेशन के लिये हम कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई नहीं दे सकते । विधान की शरण इसमें नहीं ले सकते । संविधान के प्रावधान का शेल्टर नहीं ले सकते । यह जो कम्पेन्सेशन हम देने जा रहे हैं वह विधान की वजह से नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के मेन्डेटरी प्रोविजन की वजह

(श्री पी० के० चौधरी)

से नहीं, पर हम अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से दे रहे हैं। वह देना जरूरी नहीं है। केवल इस बात को मैं एस्टेब्लिश करना चाहता था।

यह जो कम्पन्सेशन हम देने जा रहे हैं, एक कानूनी तरीके से, एक विधान के तरीके से तो यह मेन्डेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस राइट को देना चाहते हैं। मैं इतना ही एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। अब यह एस्टेब्लिश होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें कम्पन्सेशन देना है, लेकिन अदर कन्सीडरेशन्स को वजह से there are other conditions for which we are giving this compensation for a saleable right. सेलेबल राइट्स के लिए अदर कन्सीडरेशन्स को दे रहे हैं। तो हमें यह देखना है कि यह कम्पेन्सेशन देना है। या नहीं देना है इसके लिए दो सवाल हमारे सामने आते हैं। एक सवाल तो यह आता है कि कम्पेन्सेशन देना लाजिमी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवधान है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि यह हमारा इच्छा के ऊपर है कि हम देना चाहें तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहें तो हम इन्कार कर सकते हैं। अब हमें फैसला करना है कि हमें कम्पेन्सेशन देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो क्यों देना है। आज हम देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, असर क्या पड़ेगा? इन चीजों को देखकर इस बात पर हमें फैसला करना है। सभापति महोदय, चन्द रोज पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस साल के अन्दर-अन्दर हमें सब-टिनेन्सी को खत्म करना है और लैंड रिफॉर्म्स को लेकर जब से इन्डीपेन्डेन्स प्राप्त हुई है क्योंकि जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद में भी और आज भी इस घड़ी में भी हम कभी प्लेटफार्म पर जाते हैं, अखबारों में लाते हैं या भाषण देते हैं तो हमारा पहला नारा होता है।

'Land to the tiller.' याने जमीन उसकी है जो उसको काश्त करता है और आज जो इन्टरमीजियरीज है या दूसरी और ऐसी ही एजेन्सीज़ है जो जमीन और टिलर के बीच में रहती हैं, जो सीधे जमीन काश्त नहीं करता है और जो काश्त करता हैं, इन दोनों के बीच में जो एजेन्सी हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। इसको हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने, कांग्रेस पार्टी ने और ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया हैं और वह इस बात को मानते हैं कि हमारी जो लैंन्ड रिफॉर्म्स की पॉलिसी है उसमें आज अननेसेसरी डिले होती है। इसलिए उन्होने फैसला किया है कि जो सब-टिनेन्सी हैं इसको इस साल के अन्दर अन्दर याने ५६ के अन्दर अन्दर हमें खत्म करना है और इसको खत्म करने के लिए यह कानून आता हैं। लेकिन क्या यह कानून पास करने से सब-टिनेन्सी खत्म होगी? वह कैसे खत्म होगी आपने कम्पेन्सेशन का क्लॉज रखा है और अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आज रेंट रेट दो आना हैं तो उसका जमीन हॉसिल करने के लिए २० टाइम्स याने सिर्फ २॥ रुपया ही देना पड़ेगा ज्यादा नही देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसी जयपुर जिले में आमेर तहसील में बांदा हैं वहा जमीन का रेंट रेट २० रुपया हैं और उसके २० टाइम्स से ४०० रु० आता हैं। वहां पर आप सब-टिनेन्सी खत्म करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। तो सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसा कौन सा सबटिनेन्ट हैं जो ४०० रु० देकर उस जमीन को लेगा। आज कानून हम

(श्री पी० के० चौधरी)

लाते हैं और उसका उद्देश्य बताते हैं कि हम कानून अच्छा ला रहे हैं और सबटिनेन्ट्स को खत्म कर रहे हैं और जो जमीन काश्त करता हैं उसको जमीन दे रहे हैं, लेकिन आपने इसमें जो कम्पेन्सेशन का प्रॉवधान रखा हैं वह ऐसा रखा है कि सबटिनेन्ट इतना अमाउन्ट देने में समर्थ नहीं होगा। सभापति महोदय, आपका नोट ऑफ डीसेन्ट देखा हैं। आपने उसमें एक सवाल उठाया है कि उन काश्तकारों का क्या होगा जो कि कम्पेन्सेशन नहीं दे सकेंगे। मैं मानता हूं कि यह सवाल आपके दिमाग में क्यों पैदा हुआ, तो ऐसे कौन से बेवकूफ सबटिनेन्टस हैं जो कम्पेन्सेशन देकर अपनी जमीन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन सभापति महोदय, आपके दिमाग में जब ऐसी बात आई तो जो वस्तु स्थिति हैं, आजकल जो परिस्थिति हैं उसको देखकर आपके दिमाग में यह बात पैदा हुई...

श्री सभापति : मेरे दिमाग की बात आप कैसे फर्मा रहें हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आपके दिमाग में जो बात हैं उसको एक्सप्रेस ही नही किया तो हम सब अपना अपना अन्दाजा लगायेगे शेक्सपीयर कोई कविता लिखता है तो उसको हम इन्टरप्रेट करते हैं। अब नोट ऑफ डीसेन्ट देने के बाद जब उसका कोई इन्टरप्रिटेशन नहीं दिया हैं तो उसको इन्टरप्रेट करने का राइट हम सब को मिल जाता हैं...

श्री शंकरलाल : वह नोट ऑफ डीसेन्ट सभापति महोदय, की ओर से थोड़े ही दिया गया हैं।

श्री पी० के० चौधरी : तो यह जो आपके ख्याल में आया कि इसके अन्दर एक बात का प्रोविजन नहीं हैं कि जो सबटिनेन्ट कम्पेन्सेशन नहीं दे सकेगा उसका क्या होगा उसके लिए क्या प्रोविजन रखा हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं हैं। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ऐसा सवाल आपके दिमाग में क्यों आया। इसलिए आया कि यह जो कम्पेन्सेशन होगा, बहुत से सबटिनेन्टस ऐसे होंगे जो इस कम्पेन्सेशन को नहीं दे पायेगे और नतीजा यह होगा कि वह सरेंडर करके जायेंगे, वे जमीन छोड़कर जायेंगे। याने कानून हम बना रहें हैं कि जो सब-टिनेन्ट्स हैं उनको जमीन दी जाये। जो टिलर्स है और काश्तकार हैं उनको जमीन देने के लिए आज हम कानून बना रहे है लेकिन उसमें कम्पेन्सेशन के जरिये हम ऐसी लूपोल रखते हैं कि जिसकी वजह से यहीं होगा कि बहुत से सबटिनेन्टस् कम्पेन्सेशन नहीं दे सकेंगे और जमीन को उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो कम्पेन्सेशन का क्लॉज है उसको इस सारे कानून में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट मानते हैं। जैसा अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेन्ट सवाल उठाया हैं कि हम सोशियल लेजिस्लेशन करने जा रहे है और सोशियल लेजिस्लेशन इसलिए करने हैं कि सोशियल जस्टिस दें। तो जब ऐसा करते हैं तो क्या इस सेशियल जस्टिस की कीमत उन सबटिनेन्ट्स को देनी पड़ेगी। क्या समाज पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हैं? उसकी जो भी कीमत चुकाना पड़े वह सारे समाज को चुकाना पड़े। इसका मतलब यही है कि जो कम्पेन्सेशन देना हैं वह पब्लिक की जेब से आना चाहिए, इक्वली उसको शेयर करना चाहिए। माननीय सदस्य ने यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट सवाल उठाया है। आज हम देखते हैं कि समाज में जो वर्ग बैल

(श्री पी० के० चौधरी)

ऑर्गेनाइज्ड़ होता हैं, उसको जब सोशियल जस्टिस देना हैं उसका सारा समाज हिस्सा देता हैं। मैं आपको एक मिसाल इन्डस्ट्रियल लेबर की दूंगा। जहां जहां ऑर्गेनाइज्ड़ इन्डस्ट्रियल लेबर हैं वहा पर सोशियल सर्विस का इंतजाम होता हैं, उनके लिए मकान बनाए जाते हैं और उन मकानों में सारी एमीनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन उसके लिए कोई मुआवजा उनसे नही मांगा जाता है। कैपेटिलिस्ट्स हैं उनको फोर्स किया जाता है। आज कुछ प्रान्त हमारे देश में ऐसे हैं वे फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं देते जब तक कि लेबरर्स के लिए मकान नहीं बनाये जाते हैं क्योंकि वहां पर जो वर्किंग क्लास है वह वैल आर्गेनाइज्ड हैं। इसलिए जब वहा पर सोशियल जस्टिस का सवाल आता हैं तो उसकी कीमत जो है वह सारे समाज के ऊपर बांट दी जाती हैं। लेकिन यहा पर जो यह सब टिनेन्ट्स हैं, यह जो काश्तकार हैं ये लोग भोले हैं, यह लोग समझते नहीं है, दूसरे ये लोग वैल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसलिए जो उनको सोशियल जस्टिस दे रहे हैं तो बाद में हम कहेगे कि हमने उनके साथ बड़ा न्याय किया हैं, उनके लिए यह कानून बनाया है, लेकिन जब कि उनको कीमत चुकानी पड़ेगी तो यह अखबारों में कभी नहीं आयेगा कि उन्होंने कीमत देकर जमीन ली हैं। आप तो यही प्रचार करेंगे कि हमने उनको जमीन दिलाई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉइन्ट माननीय सदस्य ने उठाया है कि सोशियल जस्टिस हमें देना है तो सोशियल जस्टिस की कीमत किसी को चुकाना है तो उस वर्ग को नहीं चुकाना चाहिए जिस वर्ग के लिए हम यह कानून बना रहे है। इसको चुकाना है सारे समाज को, सारे समाज को इसका बोझ उठाना चाहिए। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि जो कम्पेसेशन देना ही है तो उसकी कीमत समाज को चुकानी चाहिए, गवर्नमेंट को उसकी कीमत देना चाहिए, नही तो जैसा कि माननीय सदस्य जो कि सोजत से आये हुए हैं उन्होंने जो सुझाव रखा है कि १० टाइम्स १०' साल में देवे यह समझेगें कि १० साल तक रेन्ट रेट था और सालो तक उसकी कीमत थी उसके बाद में जाकर उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त हो गये। इसका मतलब यह हो कि १० साल तक उसकी कीमत चुकाते रहेंगे। जो सोशियल जस्टिस आज आप देना चाहते थे वह १० साल बाद मिलेगा। बस इतना ही मुझे कहना था और इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सूबेदारसिंह : (बारी) सभापति महोदय, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, यह एक मूल आधार की बात है कि जब देश के अन्दर जिस प्रकार का राज्य स्थापित होता है, उसी प्रकार के कायदे और कानून अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने हेतु बनाने पड़ते हैं। एकतन्त्र में अपने एकतन्त्र को स्थापित करने के लिए यह आवश्यकता होती है कि जमींदारों को स्थापित किया जाय। इसी प्रकार से प्रजातन्त्र में यह आवश्यकता हुई कि जमीन का मालिक जो जमीन जोते वह बनाया जाय।

आज इस प्रवर समिति द्वारा पेश किये गये फिफ्थ अमेंडमेंट की चर्चा चल रही है। यह बिल्कुल साफ बात है कि जमीन के मालिक हमारे प्रान्त में दो ही तबके के लोग थे। एक तो वे लोग जिन्होंने कुछ न कुछ राज्य स्थापित करने के लिए अपने सेक्रीफाइसेज किये थे, उन्होंने युद्ध किया, कुछ भी किया

(श्री सूबेदारसिंह)

और उन्हें जागीरों के नाम से इनाम में भूमि दी गई। वह जागीरदार कहलाये। दूसरे, वे लोग थे जिन्होंने कुछ पैसे देकर राज्य से जमीनें खरीदी थी और वे जमींदार कहलाये गये। आज प्रजातन्त्र होने के नाते हमारी विधानसभा उन दोनों तबकों को धीरे धीरे और बड़ी आसानी से समाप्त कर चुकी है।

अब एक तबका बीच में और आता है। जमींदार, जागीरदार या राज्य ने किसी को खुदकाश्त के लिए जमीन दे दी और वह उस पर खुदकाश्त नहीं करके उस जमीन को उसके दूसरे किसी काश्तकार को दे दी। अब उस पर यह विचार करना पड़ता है कि आखिर क्यों ऐसे खातेदार को खातेदारी राइट्स देने के लिए २० गुना दिया जाय ? सभापति महोदय, यह एक सोचने का विषय है कि जिस शख्स ने खुदकाश्त के लिए जमीन ली उसने यह सामाजिक शत्रुता की। सामाजिक जो एक व्यवस्था है उसको छोड़कर इस प्रकार की कार्यवाही अपनाई कि उस जमीन पर खुदकाश्त नहीं करके दूसरे काश्तकार को दे दी। क्या ही अच्छा होता कि यदि वह व्यक्ति उस जमीन पर खुदकाश्त नहीं कर सकता तो उसको जमींदार या जागीरदार या राज्य को वापिस कर देता ताकि समाज में रहने वाले वे गरीब, वे छोटे तबके के काश्तकार सीधे उस जमीन को ले लेते और वे उसमें काश्त करते। लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने उस तबके को धोखा दिया और उस किसान को धोखा देकर बीच में एक नाजायज तरीके से बन बैठा है कि काश्त करता है दूसरा काश्तकार और लैण्ड रेवेन्यू राज्य में वह भरता है। न वह उस जमीन का मालिक है न कुछ है। सिर्फ एक धोखा देकर पहुंच होने के कारण इतनी ज्यादा जमीन अपने पास रख ली, खुदकाश्त के नाम से ज्यादा लेकर काश्तकार को दे दी।

आज हम यह सोचते हैं कि हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जो चीज ली जाय उसको कुछ न कुछ मुआवजा अवश्य दे। जागीरदारों को मुआवजा दिया जा रहा है, जमींदारों को मुआवजा दिया जा रहा है, तब इसके विषय में भी मुआवजा देने की बात आती है। सभापति महोदय, मैं यह कहे बगैर नहीं रहूँगा कि समझमें नहीं आता कि प्रवर समिति ने क्या सोचा ? जो जमीन के मालिक थे उनको जब मुआवजा देने की बात है तो उनको सात या आठ गुना देने का तय किया लेकिन जो बीच की क्लास है, जो कि न जमीन का मालिक है और न उसका उस जमीन पर कोई अधिकार था, समाज को धोखा देकर या उस व्यक्ति को धोखा देकर जमीन का नाजायज फायदा उठाया, उसको आज जब कम्पेन्सेशन देने की बात चल रही है तो २० गुना दिया जायगा। यह सोचने की बात है कि आखिर उसको मुआवजा इतना किस प्रकार से दें, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह काश्तकार दे जो कि सदियों से दबा हुआ पड़ा है, जिसके ऊपर जमींदार और जागीरदार का लैण्ड रेवेन्यू देना था, बीच में खुदकाश्त के नाम से ले रखा था उसको पे करना था, आज वह दबा हुआ सदियों का पुराना किसान २० साल या १० साल के लिए उतना ही लैण्ड रेवेन्यू पे करे तो उसका समाज में क्या हाल होगा ? हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं देश के अन्दर हम समाज में लिविंग आॅफ स्टेन्डर्ड एक रखना चाहते हैं, तो वे काश्तकार किस प्रकार से पनपेंगें ?

आज सदन में जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उनकी अधिकतर सबकी राय ऐसी है

(श्री सूबेदारसिंह)

और कोई बात ऐसी नहीं है कि उसके प्रति किसी को घृणा हो। जिस काश्तकार को हम जमीन पर हक दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रजातन्त्र में हमारा वह नारा है कि जो जमीन जोतेगा वह जमीन का मालिक होगा। वह जमीन को जोतता है, बोता है, जमीन की किस्म को सुधारता है तो बीच वाले को किस प्रकार से मुआवजा देने की बात चलती है। मैं, सभापति महोदय, ज्यादा नहीं कहकर इतना ही ही अवश्य कहना चाहता हूँ कि यदि किसी प्रकार का मुआवजा देना ही है तो सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रॉवधान रखा है कि कुछ न कुछ उनको मुआवजा दिया जाय वह ठीक है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापति, जो बहस इस मुआवजे के खिलाफ इस सदन में जो माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखा है उस सिलसिले में चल रही है मैं उस पर बाद में कुछ कहूंगा, मगर जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि खातेदारी राइट्स एक सब-टिनेन्ट एक्वायर करे या खातेदार को डिस्पजेस करें उस लैण्ड से, जिस लैण्ड को वह सब-टिनेन्ट कल्टीवेट करता आ रहा है, तो किस तरह से संविधान की धारा के तहत में आता है कि उसको कम्पन्सेशन देना चाहिए अपने खातेदारी राइट्स को एक्वायर करने के लिए। मैं खुद यह नहीं समझ सकता कि जब तक वह खातेदार नहीं था, उससे पहले वह जागीरदार की परिभाषा के अन्दर आता था और जब सरकार ने जागीरदार को ...

श्री सभापति : Not necessary.

श्री श्रीभानसिंह : Yes Sir, absolutely ncessary. Only the jagirdars who are the khudkasht holders ...

श्री सभापति : But in Khalsa villages.

श्री श्रीभानसिंह : It does not apply to Khalsa villages.

श्री सभापति : Pardon.

श्री श्रीभानसिंह : It does not apply to Khalsa villages.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Fifth Amendment Bill applies to Khudkasht and khatedars.

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) माननीय चेयरमैन, मैं फिर आपको शुरू से टिनेन्सी एक्ट बताऊं कि जो जागीरदार थे और उनकी जो खुदकाश्त दर्ज थी वह उनकी खुदकाश्त रही। उसके बाद जब टिनेन्सी लॉ लागू किया गया तो उन पर खातेदारी राइट्स कन्फर कर दिये तो वे खातेदारी राइट्स उन जागीरदारों पर कन्फर हो गये। अब जो सब-टिनेन्ट्स हैं उनको खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए मुआवजा देना पड़ेगा।

श्री सभापति : Plus these khatedars.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, it will be very difficult for me to enter into a legal argument with the Chair.

श्री सभापति : No, no. But I wanted to make some clarification about the position. क्लेरिफिकेशन यह है कि जो खातेदार का प्रोविजन है उसमें जागीरदार भी आते हैं और जो पुराने खातेदार थे वे भी इसमें इन्क्लूडेड हैं।

Page No.92

श्री श्री भानसिंह : I my not deal with the second qroblem, but I have a right to deal with the other half of the problem.

तो मैं यह समझता हूं कि जब उनको डिस्पजेस किया राजस्थान सरकार ने तब उनको मुआवजा दिया और मुआवजा इस बात के लिए दिया था कि सरकार ने यह माना कि वह जो जागीर एरिया था वह उनकी निजी सम्पत्ति थी, प्रोपर्टी थी और उनको प्रोपर्टी राइट्स थे, इसलिए उनको मुआवजा दिया और मुआवजा देकर फिर जो जमीन उनके खुदकाश्त में दर्ज थी उसे खुदकाश्त में खुद की जमीन मानकर वह जमीन वह जमीन जागीरदार के पास छोड़ दी और उनके पास जमीन छोड़ने के बाद उस खुदकाश्त लैण्ड पर सरकार ने पर्मिट किया कि सब-टिनेन्ट रख सकते हैं और काश्त कर सकते हैं और अब यह विधेयक इसलिये आया है कि जो सब-टिनेन्ट खातेदारी राइट एक्वायर करना चाहे वह करले २० गुना मुआवजा देकर। जब जागीरदार या जमींदार के प्रोप्राइटरी राइट थे उनसे सरकार ने उसको डिस्पजेस किया और लीगल राइट्स क्रिएट किये और मैं कहूं कि इप्सो फेक्टो क्रीएट किये और ट्रान्सफर ग्रिफ्ट आदि के जो खातेदार के राइट्स थे वे उसको दिये, लेकिन वे राइटस टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत थे और उससे गाइड होते थे, और जहां किसी लॉ या संविधान के अन्तर्गत कोई राइट दिया गया है तो ओनर यह नहीं कह सकता कि मेरा प्रोपर्टी है चाहे जैसे यूज करूं। उस पर एक लीगल बाइन्डिग है और सोशियल बाइन्डिग है। और जहां पर सोशियल या लीगल बाइन्डिग है वहां पर उसे यूज करना पड़ेगा सोसाइटी के बेनिफिट के लिये। तो फिर किस तरह से संविधान से या लॉ से कम्पन्सेशन मांग सकता है। उसको राइट किस लिए था? राइट खुद काश्त के लिए था, सर्टेन पोर्शन खुदकाश्त के लिए रखे और सर्टेन सब-टिनेन्ट को दे दे। अब हमारी पॉलिसी यह है कि हम सब-टिनेन्ट को टिनेन्ट बनायें और उसको खातेदारी राइट दें। एक तरफ हमें देखना है कि हमने कितना बड़ा राइट और बेनिफिट उनको दिया है जिन्होंने जिन्दगी भर में कभी काश्त नहीं की उनसे बिना खातेदारी राइट लिये ग्रेटेस्ट बेनिफिट दिया और जो सब-टिनेट्स हैं उनको हम खातेदार बनाना चाहते हैं उन पर हम कंडीशन रखते हैं कि २० गुना दोगे तब जाकर खातेदारी राइट मिलेगा। इसमें हमें देखना है पहले तो यह कि उनका कोई कम्पन्सेशन का क्लेम नहीं है और यदि सरकार यह मानकर चलती है कि उनका क्लेम है तो सरकार ने देखा है कि क्या वे २० टाइम्स पे कर सकते हैं? २० टाइम्स १० इयर्स में पे करेगा उसको डिसप्जेस करने के किये और इन १० सालों में उसको एक और चीज देनी पड़ेगी और वह होगी लैण्ड रेवेन्यू। तो लैण्ड रेवेन्यू प्लास कम्पन्सेशन का जो भार उस पर आयेगा क्या वह सब-टिनेन्ट उसको बर्दाश्त कर सकेगा? सरकार जो चार्ज करेगी सब टिनेन्ट से वह शायद थ्री टाइम ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू या ट्वाइस हो सकता है तो एक तरफ तो उसे सरकार को पे करना पड़ेगा। लैण्ड रेवेन्यू जो सरकार चार्ज करेगी ट्वाइस या थ्री टाइम्स चार्ज करे उसको वह पे करेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to know from where he has taken this double or thrice the land revenue which the Government will charge? The Government will charge...

श्री श्रीभानसिंह : The Government will charge simple land revenue. मैं यह मानकर चलता हूं कि सिंपल लैण्ड रेवेन्यू चार्ज करेगा, लेकिन उसे भी तो गवर्नमेंट को पे करना है और उसके साथ-साथ कम्पन्सेशन देना है तो हमने सब-टिनेन्ट पर दोनों चीजों का भार डाला। अब देखना यह है कि इन दोनों चीजों का जो टोटल भार उस सब-टिनेन्ट पर पड़ेगा, क्या वह उसको बेअर कर सकेगा ? एक तरफ तो हम चाहते हैं कि वह खातेदार बने और दूसरी तरफ कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे खातेदार नहीं बने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि १० से ५० पर्सेन्ट भी खातेदार नहीं बन सकेंगे। खातेदार टिनेन्ट्स ने सब टीनेन्स रखे उस लैण्ड पर जिसका मारजिनल रिटर्न नहीं है और जिसकी वेल्यू निल है और जो जमीन अच्छी नहीं है या जिस लैण्ड पर खातेदार को खुदकाश्त में फायदा नहीं है उस लैण्ड को उसने सब-टिनेन्ट को बताया है। अव्वल तो ऐसी लैण्ड पर कोई खातेदारी राइट लेगा नहीं और यदि लेगा तो वह प्राफिट नहीं उठावेगा तो बार्डन किस पर पड़ेगा। जिस लैण्ड को रिजेक्ट किया है एक जागीरदार ने कि मेरे काम की यह नहीं है क्योंकि जो लेबर और मनि इस पर लगाऊंगा उसका मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए उस लैण्ड को एक सब-टिनेन्ट कल्टीवेट कर रहा है और कल्टीवेट कौन कर रहा है ? एक लैण्डलेस लेबर उसे कल्टीवेट कर रहा है जिनकी छोटी से छोटी संख्या माने तो भी उनकी संख्या राजस्थान सरकार ने ४ लाख मानी है और किस तरह से कर रहा है जिसे २ लाख बीघा नॉनकल्टीवेबल बताया है, सीलिंग में उस जमीन को ४ लाख लैण्डलेस आदमी कल्टीवेट कर रहे हैं और वह लैण्ड कैसी है वह लैण्ड है मारजिनल युटिलिटी की। इस जमीन को लेकर वह लैण्ड रेवेन्यू पे करे और अगर वह उस पर टिनेन्सी राइट लेना चाहता है तो उसका कम्पन्सेशन भी पे करे। मैं नहीं समझ सकता कि सब-टिनेन्ट इस बर्डन को कैसे बीयर करेगा। इसके बजाय यदि यह करें कि जो टेस्ट लैण्ड होगी, अच्छी लैण्ड होगी उसको ले लेगा। ओरिजिनल बिल में यह बात है कि खातेदारी राइट लेने के लिये बहुत कम सब-टिनेन्ट आये। जब खातेदारी राइट लेने के लिए इतने कम लोग आये तो आप यदि कन्डीशन रखते हैं तो इस कंडीशन से बहुत कम लोग आने वाले हैं। गवर्नमेंट के सामने एग्जेम्पल्स हैं। यू. पी. गवर्नमेंट ने ऐसे ही कंपन्सेशन का प्रॉवधान बिल में रखा था। हिस्सेदार या सब-टिनेन्ट्स ने उसका फायदा नहीं उठाया। राइट्स एक्वायर करने के लिए कुछ कम्पन्सेशन रखा था लेकिन उन्होंने उसका फायदा नहीं लिया और कम्पन्सेशन में जहां तक समझता हूं प्रधान मंत्री जी ने कभी कहा थ—Compensation is not a matter of rignt, but a matter of financial exigency. और यहां पर भी है we have to see whether the sub-tenant can afford to pay that compensation. It is not a matter of right. यहां हमें सब-टिनेन्ट का पॉकेट देखना पड़ेगा। जहां पर कोई राइट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते वहां सब-टिनेन्ट का पॉकेट बेअर कर सकता है उतना ही दिला सकते हैं यह सब देखना होगा। हमारी जो पॉलिसी है उसके अनुसार एक तरफ तो बड़े-बड़े मुआवजे का भार राजस्थान गवर्नमेंट ने ले लिया। जागीरदारों को २० टाइम्स कम्पन्सेशन देंगे और भार राजस्थान गवर्नमेंट ने ले लिया। जागीरदारों को २० टाइम्स कम्पन्सेशन देंगे, रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट देंगे और जमींदारों को

(श्री श्रीमानसिंह)

८ टाइम्स कम्पन्सेशन देंगे और जो बर्डन था इन्टरमीजियेरीज को रिमूव करने का वह मेन बर्डन सरकार ने कन्सोलिडेटेड फण्ड पर लिया और जब लैण्ड रिफॉर्म्स का इम्पली-मेंटेशन होगा तो सब-टिनेन्ट्स बहुत कम होने चाहिये और जब सब-टिनेन्ट्स कम हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट क्यों नहीं उनके बर्डन को कंसोलिडेटेड फण्ड पर बीयर करे ? उन लोगों के लिए जो आज तक कुचले गये और समाज में दबे रहे और समाज को अपनी लेबर के जरिये कंट्रीब्यूशन देते रहे, आज उन लोगों को खातेदारी राइट देने के लिये जो कम्पन्सेशन रखा है उसे कंसोलिडेटेड फंड से देने में कौन सी दिक्कत है ? उनका कंप-न्सेशन यदि कंसोलिडेटेड फण्ड से देंगे तो फण्ड पर कोई हेवी बर्डन नहीं आने वाला है । एक तरफ तो आप उनसे लैण्ड रेवेन्यू चार्ज करेंगे उसी को आप कंपन्सेशन के रूप में री-पे कर सकते हैं । यदि आप ऐसा करेंगे तो जो लोग सोशियली और इकोनोमिकली एक्सप्लोइट होते रहे हैं वे लोग राजस्थान सरकार को धन्यवाद देंगे क्योंकि उनका बर्डन राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है इसलिये कि इससे सब-टिनेन्ट्स का हित होगा, इसमें लैण्ड रिफॉर्म के लिए हित है और सरकार के भी यह हित में है । इसका जो लोजिकल कन्क्ल्यूजन है वह यह है कि सब-टिनेन्ट नहीं रहने चाहिये और उनको रिमूव करने के लिए प्लॉनिंग कमीशन का भी यह आदेश नहीं होगा कि सब-टिनेन्ट बनाने के लिये मुआवजा लिया जाय । उनका यह आदेश था कि सब-टिनेन्ट्स को भी खातेदारी राइट्स दिये जांय लेकिन प्लानिंग कमीशन ने यह नहीं कहा होगा कि उनसे कम्पन्सेशन दिलाया जाय । तो जब न तो प्लॉनिंग कमी-शन का आदेश है कि कम्पन्सेशन दिलाया जाय और न संविधान का आदेश है तो कोई आदेश न होने पर भी आप २० टाइम्स कम्पन्सेशन क्यों रखते हैं ? २० टाइम कम्पन्से-शन दें, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया । आप एक बर्डन रखना चाहते हैं तो आपको उसको कुछ रिलीफ देना पड़ेगा और वह रिलीफ देना पड़ेगा इस तरह कि गवर्नमेंट खुद अपना लैण्ड रेवेन्यू उनके लिए माफ करें । लेकिन गवर्नमेंट लैण्ड रेवेन्यू माफ करने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ कम्पन्सेशन की रेट्स कम करने को तैयार नहीं है तो जिस कास्ट पर आप किन्हीं सब-टिनेन्ट्स को राइट्स एक्वायर कराने वाले हैं, वह सब-टिनेन्ट उस खातेदारी के राइट को लेने को तैयार होगा या नहीं, यह विचारने की बात है । अगर आपको राइट्स देने हैं तो आप राइट्स को इतना अट्रेक्टिव बनायें कि एक रोज जब उनको मालूम पड़े कि इस तरह का कानून बना दिया है और खातेदारी राइट्स एक्वायर कर सकते हैं तो वे खुद आयें । जब वे देखेंगे कि एक तरफ तो कानून में रख दिया है कि खातेदारी राइट्स दें, दूसरी तरफ उन पर बर्डन इतना रख देते हैं और सब-टिनेन्ट्स के ऊपर लैण्ड रेवेन्यू माफ करने वाले नहीं हैं तो जो कल्टीवेट करता आ रहा है, वह उसका ह फायदा नहीं उठायेगा । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि १० टाइम्स रखा है वह ज्यादा है, वह इतना बर्डन शायद सम्भाल न सकेगा क्योंकि एक तरफ तो कम्पन्सेशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ रिमूव कर रहे हैं, दूसरी तरह कम्पन्सेशन देते जा रहे हैं । इतना बर्डन उन सब-टिनेन्ट्स पर न रखिये । अव्वल तो कम्पन्सेशन नहीं होना चाहिये, फिर आप कॉन्सीटट्यूशनली किसी तरह जस्टीफाई करें,

Page No.95

(श्री श्रीमानसिंह)

तो मेरा निवेदन है कि १० टाइम्स काफी है और शायद १० टाइम्स सब-टिनेन्ट बर्दाश्त जब ही कर सकेगा जब राजस्थान गवर्नमेंट लैण्ड रेवेन्यू को कतई फोरगो कर दें, तब तक फोरगो करे जब तक कम्पन्सेशन खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए, पे न कर दे; उस टाइम तक के लिए राजस्थान गवर्नमेंट किसानों के बैटरमेंट के लिए, सोशल बैटरमेंट के लिए, हर तरफ के बैटरमेंट के लिए लैण्ड रेवेन्यू को कतई फोरगो करे और मैं समझता हूं कि उससे कोई लोस नहीं आ सकता राजस्थान गवर्नमेंट के सामने।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : चेअरमैन महोदय, जो टिनेन्सी का पांचवा संशोधन आया, उसमें मुआवजे का जो प्रावधान था, उस पर प्रवर समिति द्वारा काफी विचार हुआ है और उसमें २० गुना मुआवजा की बात रही। उस बात को लेकर कुछ अमेंडमेंट आये, एक माननीय श्री तेजारामजी का और कुछ दूसरे सदस्यों के भी आये उनमें यह भावना व्यक्त हुई कि मुआवजा कम होना चाहिए। इस बात को लेकर इस सदन में काफी भावोत्कर्ष हुआ, काफी विचार विमर्श हुआ और काफी बात चल पड़ी। मैं देखता हूं कि इस विचार विमर्श में काफी बातें चल पड़ी. कुछ भावनायें ऊपर उठीं, कुछ स्वार्थ ऊपर उठे और कुछ एक प्रकार का विरोधाभास का चित्र बन गया, जिसमें एक तरफ से एक राय आई तो उसको खण्डित करने की दूसरी तरफ की प्रवृत्ति बन गई। इस भूमिका में जो मुद्दे की बात थी, वह नजर अन्दाज़ सी होती नजर आई। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की भूमि में इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, उसमें शायद जिन्होंने इसका विरोध पक्ष लिया, जो मुआवजे के खिलाफ कुछ कहा गया, उसमें उनके सामने एक सबसे बड़ी बात आती थी वह यह थी कि जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात् भी ५ हजार व १० हजार एकड़ जमीन आज भी जागीरदारों के पास मौजूद है। स्वभाविक ही है कि इतनी ज्यादा तादाद में जमीन होते हुए जो सब-टिनेन्ट का रुख बदता है वह अमान्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि संशोधन को अजमेर की भूमिका में रख कर देखते हैं तो जिस प्रकार मेरे कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा था, उनके साथ मुझे सहमत होना पड़ेगा। अजमेर की भूमिका में देखा जाय, तो अजमेर में बिचोलियों का उन्मूलन किया गया, उस उन्मूलन के साथ साथ जमीन पर सीलिंग भी बिचोलियों के लिये लगा दी गई और उसके अनुसार ५० स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक जमीन नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा जो वहां के टेन्योर अलग अलग प्रकार के थे, उसमें से एक खातेदार और बिस्वेदार टेन्योर खालसा एरिया में रहा। खातेदार और बिस्वेदार जो अजमेर के हैं वे करीब करीब पीजेन्ट प्रोप्राइटर से हैं। राजस्थान में खातेदार और बिस्वेदार का चित्र बनता है वह कुछ अलग प्रकार का है, वह जमींदार और जागीरदार के रूप में भी हो सकता है। लेकिन अजमेर में खातेदार और बिस्वेदार वहां पीजेन्ट प्रोप्राइटर के रूप में थे। आज इस संशोधन से जो असर पड़ेगा उन लोगों पर, उन पीजेन्ट प्रोप्राइटर खातेदार और बिस्वेदार पर, वह बिलकुल स्पष्ट है। इससे जो सब-टिनेन्ट को राइट देना चाहते हैं उसको आज अमान्य नहीं कर सकते। समय का तकाजा है और लैंड लेजिस्लेशन में

Page No.96

श्री नारायणसिंह))

सबसे बड़ी बात हैं कि जो हल जोतता है वह जमीन का उपभोग कर सकता है किन आज इस कानून को बनाते हुए हमें एक इस फेक्टर को ध्यानान्तरित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के खातेदार और विश्वेदार जो केवल पीजेन्ट प्रोप्राइटर हैं, किसी परिस्थितिवश नौकरियों में हैं, किसी परिस्थिति वश दूसरी नौकरियों में हैं अपनी जमीन को सबलैट करके जाता है उन परिस्थितियों में जो सब टिनेन्ट होगा, उनकी क्या स्थिति रहेगी, वह किस मन्शा से कर सकेगा। हम उनको मैलाफाइडी को भी ध्यानान्तरित नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा एक सरल कानून बना देते हैं, जिससे सब-टिनेन्सी के नाम से कोई भी किसी की जमीन को हस्तगत कर सकेगा तो ऐसे खेवटदार और विश्वेदार जो कि अजमेर प्रान्त में पाये जाते हैं और राजस्थान में और कहीं हैं या नहीं, उनके जो सब-टिनेन्ट होगे, उनकी ख्वाहिश बढ़ेगी टिनेन्सी एक्ट की धारा १९ में जो संशोधन किया जा रहा है, उस १९ ए में संशोधन के रूप में यह लिखा गया है कि...

Every person who at the commencement of this Act was entered in the annual registers then current as a tenant of khudkasht or sub-tenant of land, other than grove land, etc ...

तो इसमें केवल खुदकाश्त की जमीन से वास्ता नहीं रहता, यह दूसरे प्रकार की जमीन और टेन्योर से वास्ता रखेगा और ऐसी हालत में जो विचारधारा आदेश प्राप्त करके और केवल मात्र खुद काश्तकार को टिनेन्ट का हक दिलाने की तरफ प्रवृत्त हुई थी उसमें हमें इस खतरे को भी साथ तोलना चाहिएं कि सब-टिनेन्ट के पास लैंड होगा, उसकी मेलाफाइडीज़ को आज किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकेगा। आज अभी प्रोप्राइटरी राइट का भी सवाल उठा, कम्पेन्सेशन के बारे में भी बातें उठी, कम्पेन्सेशन, सम्पत्ति का कम्पेन्सेशन संविधान से मान्य है और कई स्थितियों में कम्पेन्सेशन दिया गया है। जहां सवाल यह उठता है कि बैंक्स कोएक्वायर करते हुए, इन्श्योरेन्स को लेते हुए, पूरी पूरी मार्केट वेल्यू से अथवा और प्रकार से कम्पेन्सेशन दिया गया है, उसी प्रकार जमीन को लेते हुए कम्पेन्सेशन पूरी तरह से नहीं दिया गया है। हमको भी आज इस बात को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। आज कम्पेन्सेशन प्रोपर्टी के लिए पुरानी तरह से देने की पॉलिसी रही, लेकिन जहां प्रोपर्टी मनी में कुछ सीमाएं थीं, बेचने की दृष्टि से अथवा और दृष्टियों से, वहां वह प्रोप्राइटरी राइट पूरी तरह से मान्य नहीं हो सकता और वहां वह केवल यूज़ूफ़्रक्युअरी राइट रहा। इस विषय में कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया था और कहा था कि जब प्रोप्राइटरी राइट पूरी तरह नहीं हैं तो ऐसी दशा में कम्पेन्सेशन दिया ही क्यों जाय। पर हम यहां की पहले की जो कार्यवाही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको देखते हैं तो इसमें भी उसी के समानान्तर देखना पड़ेगा, उसी की भूमिका में सारी नीति को जमाना पड़ेगा।

४-१ म० प०

हमें देखने को मिलता है सभापति महोदय, कि जितने यूज़ूफ़्रक्युअरी एबॉलिशन के कानून बने, उनमें प्रोप्राइटरी का कम्पेन्सेशन नहीं था, यूज़ूफ़्रक्युअरी राइट्स थे उनको समाप्त करने के लिये कम्पेन्सेशन दिया गया और मार्केट रेट्स से कम्पेन्सेशन नहीं

(श्री नारायणसिंह)

दिया गया। तो यह तो माना जा सकता है खातेदारी में ऐसे राइट्स नहीं। कई खातेदार हैं, जैसे किशनगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था, कई खेवटदार और छोटे जमीदार हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर तालाब, नाड़े बना कर अर्सेदराज से उन्नतियां की हैं, उनके बाप दादों ने और उन्होंने स्वयं उन्नतियां की हैं। आज हमें स्वयं विदित है कि काश्तकारों से, जो पीजेन्ट प्रोप्राइटरीज हैं वे जमीन से पूरी तरह अपने पेट का पालन नहीं कर सकते। इसलिये उसे आज लाजमी तौर पर दूसरे धंधों की तरफ झुकना पड़ता है, नौकरियों में जाना पड़ता है. शहरी वोकेशन्स हैं उनमें जाना पड़ता है, नौकरियां मिल में जाकर करनी पड़ती हैं, वैसी सूरत में उसकी जमीन जोतने वाला दूसरा नहीं होता तो नजदीक रिश्तेदार को, किसी जान-पहचान वाले को और किसी व्यक्ति को जमीन देकर चला जाता है यदि हम इस कानून को इतना सरल बना देंगे कि जिसको वह व्यक्ति जमीन दे कर जायेगा, वह सीधा उस जमीन का मालिक हो जायगा तो इससे इसमें जो मैलाफाइडी होगा, उसको यदि नजरन्दाज करेंगे तो बड़ी भारी गलती होगी।

मूल टिनेन्सी एक्ट में कुंए इत्यादि के मुआवजे का प्रॉवधान है, पर अब संशोधन में देखते है कि वैल आदि शब्द कम्पेन्सेशन के बाद आते हैं तो यह मान्य कर लिया गया है कि वैल, कुंओं से दूसरे प्रकार की सिंचाई से उन्नति हुई है तो उसका मुआवजा नहीं दिलाया जाय और उसको वैसे ही हस्तान्तरित कर दिया जाय। इस दृष्टि से देखते हैं तो २० गुना मुआवजा भी ओछा पड़ता है। एक माननीय सदस्य ने बताया कि १० हिस्सा मुआवजा दिया जाय तो खातेदारी राइट्स केवल १० साल बाद मिलने जैसी बात रहेगी। अगर २० गुना का हिसाब लगाया जायगा, जो संशोधन प्रवर समिति ने किया है कि गई सेटलमेंट रेट्स हैं उसी के अनुसार २० गुना मुआवजा गिना जाय तो पहले की सेटलमेंट रेट से मुआवजा गिनेंगे तो वह इतनी ऊंची रेट नहीं होगी कि २० गुना से १० साल बाद अधिकार होगा, ऐसी बात बनेगी। पर इसमें निश्चित है, छोटे मोटे खेवटदार हैं, जिनको मेलाफाइडी से खतरा पहुँच सकता है उनकी बचत हो जायगी। इसके साथ ही एक बात एक माननीय सदस्य ने कही कि यह भी मुआवजा क्यों दें, काश्तकार क्यों दें, कन्सोलिडेटेड फंड से दिलाया जाय। मैं समझता हूं मुझे यह याद नहीं, पर राजस्थान में जितनी गिनती दूसरे काश्तकारों की है उनसे कहीं कम सब-टिनेन्ट्स की गिनती मिलेगी, तो उनकी समस्या हल करनी है, उनकी समस्या हल करने में, मुआवजे का प्रॉवधान रखते हैं तो यह विचारणीय बिन्दु ही हो जाता है कि कन्सोलिडेटेड फंड से दिलाया जाय या जो अधिकार प्राप्त करे उससे दिलाया जाय। यू० पी० में भूमिधरों पर यह भार रखा गया था और कन्सोलिडेटेड फंड के तरीके से दिलाने का प्रॉवधान नहीं था। अब अगर नई धारा बनाना चाहें, कन्सोलिडेटेड फंड को इस भार से अभिभूत करना चाहें तो दूसरी बात है। हम एक समाजवादी समाज की तरफ, कल्याणकारी राज्य की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो इस प्रकार का कदम उठायें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि जो खेवटदार हक प्राप्त करें उनको कुछ इतना भार जरूर होना चाहिये कि

(श्री नारायणसिंह)

जिससे उनका मेलाफाइडी इन्टेन्शन बिल्कुल उच्छृङ्खल नहीं हो जाय और भावावेश में आ कर पीजेन्ट प्रोप्राइटरी हैं, उनके ऊपर आघात न करें । बीकानेर, गंगानगर से लगा कर अजमेर में इन प्रोप्राइटर्स की काफी तादाद मिलेगी । एक विरोधाभास के तरीके से कुछ और जनून में इस चीज को पास कर दें तो अनुचित होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने जो चीज पेश की है वह काफी सोच समझ कर की है । हमें इस बात का विश्वास होना चाहिये कि उस मेलाफाइडी इन्टेन्टीटी को कन्ट्रोल करने के लिये यह कार्यवाही की गई होगी और उसनें जो न्याय-संगत बात की जा सकती थी, एक यूजूफ्रक्चुअरी राइट के लिये जितना मुआवजा दिया जा सकता था और उसमें भी कुंए, सिंचाई और दूसरे डेवलपमेंट्स को शामिल करने की बात है, इस दृष्टि से यह २० गुना मुआवजा अधिक नहीं है ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं सिर्फ इस बात को सोच रहा था कि यह कानून जो टिनेन्सी एक्ट में पांचवें संशोधन के रूप में पेश हुआ है, यह कोई नया कानून नहीं है । इसमें रद्दोबदल कोई खास रद्दोबदल नहीं है । १९वीं दफा टिनेन्सी एक्ट की है, उसके अनुसार काश्तकारों को अधिकार दिये थे कि चाहे तो खातेदारी के अधिकार फरोख्त कर सकता है, यह भी अधिकार दे दिया था कि मुआवजा देने के बाद उसको अधिकार मिल सकता है । १९, २० और २१ धाराएं हैं, उनके आधार पर राजस्थान सरकार ने काश्तकारी कानून बनाकर यह अधिकार दे दिया था कि अगर कोई काश्तकार या सब-टिनेन्ट यह चाहे कि खातेदारी हक प्राप्त करे तो मुआवजा देकर हक प्राप्त कर सकता है । कोई नई बात नहीं । प्रश्न इतना था कि प्रोसीजर कम्पलीकेटेड था और उस कारण गवर्नमेंट ने यह सोचा कि इस सारे कम्पलीकेटेड प्रोसीजर को हटा कर इसमें फिक्स मुआवजा कर दें । लेकिन हम यहां पर २० गुना मुआवजा देना चाहते हैं । तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में जितने काश्तकार हैं या सब-टिनेन्ट हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं है और अगर है भी तो उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि मुआवजा देकर खातेदारी के राइट्स ले लेने चाहिये या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो जिससे कि वे मुआवजा देकर जमीन पर खातेदारी हकूक हासिल कर सकें । हम अपने एक्ट के आधार पर तीन बातों का ज्ञान करा सकते हैं । आपका १९ दफा वही है जो यहां पर आपने यह रखा है । इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा । आप किसी व्यक्ति को यह कहते हैं कि तुम काजी बनो और वह मुल्ला ही बना रहना चाहता है और आज मैं समझता हूँ कि यही बात हो रही है । आप उनको जबरदस्ती मुल्ला को काजी बना रहे हैं । इस कानून के जरिये यह हो गया कि जो बनता नहीं वह भी हो जावेगा और उससे यही कहेंगे कि पैसा दे दो । कोई आदमी अपने बाल नोचवाना नहीं चाहता मगर उसको कहोगे कि तुमको अपने बाल नोचाने पड़ेंगे । आपने १९ दफा में यह बात रखी है कि फलां फलां व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जावेंगे । अगर वह चाहता तो १५ मई १९५५ से पहले दर्ख्वास्त कर सकता

Page No.99

(श्री मूलचन्द डागा)

था और खातेदारी हकूक प्राप्त कर सकता था। लेकिन जब स्वतन्त्रता मिली और कांग्रेस सरकार का यह नारा था कि हम जमीन उनको देना चाहते हैं जो जमीन पर खेती करते हैं, हम मध्यस्थ किसी को नहीं रखना चाहते, हम गरीबों की गरीबी मिटाना चाहते हैं। जब कांग्रेस सरकार का यह पैगाम लोगों ने सुना और राजस्व विभाग को यह मालूम हुआ कि लोगों ने दफा १९ के अन्तर्गत कोई दरख्वास्त नहीं की और उस बात को आज चार साल हो गये, लेकिन चार साल तक काश्तकारों ने यह उचित नहीं समझा या यह कहना चाहिये कि किसी तरह आर्थिक स्थिति के कारण दरख्वास्तें नहीं दे सके तो आपने आज यह कानून बनाया। जब ऊपर से आया कि मध्यस्थ को समाप्त कर दिया जावे। अगर वे चाहें तो समाप्त हो सकते हैं। अगर इस प्रकार का कानून नहीं भी आता तो भी आप कर सकते। जब आपने देखा कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने समय में दरख्वास्तें नहीं दीं। अब आप इस कानून के द्वारा इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं कि तुम आज से खातेदार घोषित कर दिये गये हो और हम तुमसे जबरदस्ती इतना पैसा लेंगे। आपके यहां १४६ धारा ऐसी है जो सब-टिनेन्ट, टिनेन्ट बनना नहीं चाहते उसको भी बेदखल नहीं किया जावेगा। लेकिन इससे यह मालूम नहीं होता कि जो काश्तकार मुआवजा नहीं देना चाहते उनका क्या होगा। प्रश्न इतना ही है कि जब इस कानून को १९५८ में पास करना चाहते हैं और यह कह कर पास करना चाहते हैं कि गरीब किसानों के हित में यह कानून बनाया जा रहा है, मैं यह कहूंगा कि सभी लोग यही कहते हैं कि गरीबों के हित के लिये कहते हैं। इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति कहते हैं, गरीबों का प्रश्न है। हम भी कहते हैं लेकिन इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हम मुआवजा क्या दें? काश्तकारों ने जमीन में कई सालों तक मेहनत करके काम किया और उसने यह सोचा कि मैं तो बराबर इसका हासिल देता रहा हूं और जमीन का मालिक मैं ही हूँ। आज उस काश्तकार से उन लोगों को मुआवजा दिलाया जा रहा है। गवर्नमेंट यह घोषित कर देती है कि खातेदारी हक मिल चुके हैं तो मैं समझता हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने ज्यादा जमीन दबा ली थी या जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनको फायदा होगा। जो लोग दूसरे धंधे करते थे और जमीन काश्तकारों को दे रखी थी। आपने टिनेन्सी एक्ट की धारा ४५ और ४६ में साफ लिख दिया गया है कि यह किसी माइनर और वीमेन पर इफेक्ट नहीं करता है। १२ वर्ष के बाद में जमीन नहीं आवेगी। आज सरकार यह कहती कि १२ साल के बाद जमीन नहीं मिलेगी और यह कहती कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा होता। आज हमको यह मालूम हुआ कि राजस्थान सरकार किसानों को आर्थिक स्वतन्त्रता देने के लिये क्रान्तिकारी कदम उठा रही है। मगर इस प्रकार का क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए भी आज सरकार उनको आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं दे सकती। आज राजस्व मंत्री यदि मुआवजे का प्रश्न उठा देते कि किस प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कितने ही काश्तकार और कितने ही गरीब किसान लोग सरकार को दुहाई देते। मैं यह कहूँगा कि जो सब-टिनेन्ट्सी को जमीन मिली है वह जमीन ऐसी है जिसमें कोई ताकत नहीं है। वह इस प्रकार की जमीन है जो किसी काम की नहीं। बची खुची जमीन है। इसके लिये वह जमीन उसको तैयार

(श्री मूलचन्द डागा)

करनी पड़ती है। आप क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि धीरे धीरे चलने से काम नहीं होगा। काम तो आपको तेजी से करना होगा। तेज चाल से आप चलेंगे तो काम होगा। तेज चाल से चला जाय यह हाउस की मंशा है। मेरे ख्याल से इने गिने माननीय सदस्य ही ऐसे होंगे जिन्होंने किसी रूप में कह दिया हो कि मुआवजा दिया जाए। मगर राजस्व मंत्री महोदय का दिल भी यह बताता ही होगा कि मुआवजा देने की बात चली नहीं। आपने उनको ६ वर्षों का मौका दे दिया कि वे अपनी जमीन पर अपना हक प्राप्त कर लें। आपके कानून वही हैं मगर आपने तरीका दूसरा निकाला है। कलेक्टर के पास जावें और अपने खातेदारी हकूक प्राप्त करें। मगर चार वर्ष के बाद मालूम हुआ कि काश्तकार अपने हकूक प्राप्त करने के लिये आमादा नहीं हुए। क्योंकि जमीन के वे लोग अपने आपको हकदार और मालिक समझते थे। जिन लोगों ने इस जमीन पर अपनी जिन्दगी झोंकी, खून पसीने को एक करके बहाया, सारे रात दिन काम करने में बिताये और उस जमीन को अच्छी बनाई। जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके जमीन को तैयार की है, जो उस जमीन के लिये सिर पर गन्दगी उठा कर लाता है और उस जमीन में डालता है वह अपने आप को उस जमीन का मालिक ही समझता है। आप लोग कहेंगे कि यह भावना की बात है। मैं यह कहूंगा कि यह भावना की बातें नहीं हैं। हमें इन सारी बातों को लेकर साथ चलना चाहिये। भावना उन मनुष्यों में हो जाती है तो पत्थर के दिल हो जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि भावना अन्दर से निकलती है और हम उसको समझते हैं। अगर उसको हम भावना कहते हैं तो भावावेश के अन्दर हैं। हमारे राजस्व मंत्री को हमसे ज्यादा अनुभव है। हमारी अवस्था कम है और उनकी अवस्था भी हमसे ज्यादा है।

श्री मदनसिंह : आपके यह भाव हैं, भावना नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह चाहता हूं कि १६५८ में हम यह कानून पास करने जा रहे हैं, हम मुआवजा दिलाने को तैयार नहीं हैं। काश्तकारों को इजाजत देते कि बिना मुआवजा के खातेदारी अधिकारी बनाते। मान लें कि आपने उनको खातेदारी अधिकार दे दिये और अगर वे मुआवजा नहीं देते हैं तो उसके लिये आपके पास क्या प्रोविजन है? मैं समझता हूं कि राजस्थान में फ्रेगमेन्ट होल्डिंग्ज हैं; हम तो हमारे यहां के काश्तकारों को हमेशा आकाश की ओर ताकते हुए देखते हैं। हमारे यहां के किसान का भाग्य वर्षा पर ही निर्भर है। यदि वर्षा नहीं होती तो अकाल रहता है। कभी डूंगरपुर में अकाल है, तो कभी बांसवाडा में, तो कभी पाली में और कभी जोधपुर में। इसके अलावा हमारे किसानों को एक तरह से तिगुना लगान देना पड़ता है। पटवारी भी लगान वसूल करने के लिये जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आखिर में हम विधान बनावें, कानून बनाते हैं, या नियम बनाते हैं वे सब हमारी भावना के प्रतीक ही होते हैं। मैं मानता हूं कि आप बड़े संतोष से भाषण सुन रहे हैं और हमारी भावना को कदर कर रहे हैं। मै कहूंगा कि आप चाहें तो इस पर फिर से सोच कर इस मुआवजे को हटा सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि इसको हटाने से ही राष्ट्र का हित होगा।

श्री विद्यासागर (फलासिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं तेजारामजी ने जो संशोधन

(श्री विद्यासागर)

रखा है उसका समर्थन करता हूँ । सब टिनेन्ट जो टिनेन्ट जमींदार या जागीरदार दूसरों से जमीन लेकर खेती करते हैं उन काश्तकारों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं और, उनसे नाजायज फायदा लेकर व सब-टिनेन्ट से दो तीन गुना लगान लेकर ऊपर वालों को धोखा देकर अपने खातों में जमीन दर्ज करा रखी थी । किसान बहुत समय से पिसा जा रहा है और हम उनको कम्पेन्सेशन दिलाने का विचार कर रहे हैं । यह जो किसानों के लिये इसलिये हो रहा है कि वह समझता नहीं और वह लिखा पढ़ा नही है । वे सब-टिनेन्ट खातेदारी अधिकार जानते नहीं हैं । जिस जमीन पर वे लोग काश्त करते हैं उस जमीन को वह ऐसा मानते हैं कि वह उस जमीन का मालिक है । उसको कानून और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है । वह यह समझता है कि मैं जमीन का मालिक हूं । जैसा कि १९ धारा के अनुसार आपने खातेदारी के अधिकार दिये उस समय किसान ने यही नहीं सोचा कि मुझे प्रार्थना-पत्र देकर खातेदारी राइट्स लेने चाहिये । । वह समझता था कि मैं खातेदार हूँ और मेरे पास जमीन है, उसकी खेती करता है और उपज लेता है जो लोग पढ़े लिखे होशियार थे उन्होंने अपनी जमीन खाते करा ली । जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सेटलमेन्ट के समय जागीरदार, टिनेन्ट ने सब-टिनेन्टों को मालूम नहीं होने दिया । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे किसानों से, जिनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वे कम्पेन्सेशन दे सके, उनसे कम्पेन्सेशन न लिया जाय । उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि उदयपुर डिवीज़न में तीन चार साल से वर्षा न होने के कारण अकाल पड़े हैं और दो तीन साल से तो लगान भी स्थगित हो रहा है, ऐसी हालत में आप २० गुना मुआवजा दिलाने की सोच रहे हैं, यह उनके लिए एक तरह से भारस्वरूप हो जायगा । वे किसी तरह से मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं होंगे और राजस्थान सरकार के सामने भी एक बड़ी भारी परिस्थिति आ जावेगी । ऐसी हालत में माननीय तेजाराम जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ । कम से कम दस गुना मुआवजा लिया जाय । ताकि गरीब किसानों की आर्थिक हालत नहीं बिगड़े, उससे वे अधिक नहीं दे सकेंगे । ऐसी हालत में मैं माननीय तेजारामजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय चेयरमैन महोदय, राजस्थान टिनेन्सी फिफ्थ अमेन्डमेन्ट बिल के कम्पेन्सेसन के क्लॉज़ पर बहस चल रही है । सभापति महोदय, इससे पहले कि कम्पेन्सेशन का क्वान्टम क्या होना चाहिये, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ । सबसे पहले हमको यह सोचना है कि मुआवजा किन लोगों को मिलेगा, वे कौन लोग हैं जिनको मुआवजा दिया जावेगा और वे कौन लोग हैं जिनकी जेब से मुआवजा निकाला जावेगा । सभापति महोदय, आज से पहले जो भूतपूर्व जागीरदार थे या जमींदार थे, जिन लोगों के पास काफी जमीनें थी और जमीन से आमदनी चलती थी उनकी जेबों में यह मुआवजा जावेगा । वे लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद काश्त के नाम पर जमीनें हैं अथवा ऐसे लोग हैं जिनके पास आमदनी के दूसरे जरिये हैं । हो सकता है कि उन लोगों से बहुत से छोटे छोटे जागीरदार भी हैं और उन लोगों पर इसका असर अच्छा न पड़े। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका इस जमीन पर कोई रिस्क नहीं है, कोई स्टेक नहीं है । दूसरा, उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है जिनको खुदकाश्त के नाम से जागीरदारी और जमी-

(श्री भीमसैन)

दारी एब्रॉलिशन के समय इस जमीन का मुआवजा मिल चुका है। चेयरमैन महोदय, इसके विपरीत हम मुआवजा उन लोगों से दिला रहे हैं जो आज तक सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बैकवर्ड रहे हैं, पिछड़े हुए रहे हैं। इसलिए हमें मुआवजे की दर तय करते समय यह निश्चित रूप से सोचना है कि उस सब-टिनेन्ट की हैसियत कितनी है, मुआवजा तय करने जा रहे हैं तो उसको अदा करने की उसकी हैसियत है या नहीं, इतना मुआवजा वह दे सकेगा या नहीं। मैंने प्रवर-समिति का सदस्य होने के नाते इस सम्बन्ध में अपनी असहमति प्रकट की है। मैंने अपनी असहमति में लिखा है कि जो क्वान्टम ऑफ कम्पेन्सेशन प्रवर समिति ने तय किया है, वह इतना है कि एक सब-टिनेन्ट की हैसियत से वह बाहर है। मैंने क्वान्टम १० टाइम्स ऑफ लैंड रेन्ट्स रखा है। यदि हम सब-टिनेन्ट की हैसियत में अपने आपको रखकर सोचें तो मैं समझता हूं कि सब-टिनेन्ट के पिछड़ी हुई हालत में होने के नाते कम्पेन्सेशन हमको कम तय करना है और यह उचित भी है। अगर वह अच्छी हालत में होता, उसकी आर्थिक हालत आगे बढ़ी हुई होती तो उसको हालत सब-टिनेन्ट की नहीं होती। वह भी जमीन का खातेदार हो सकता था और उसी जमीन का मालिक बन सकता था। वह आर्थिक हालत में पिछड़ा हुआ था और पिछड़ा हुआ होने के नाते यदि हमें उसे कम्पेन्सेशन दिलाना है तो उसकी हालत को ख्याल में रखते हुए दिलाना है। तो मेरी धारणा में कम्पेन्सेशन का जो प्रोविजन रखा है तो वह उसकी हैसियत के माफिक नहीं हो सकता है। सब-टिनेन्ट को एक तरफ राज्य सरकार को लैंड रेन्ट देना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको कम्पेन्सेशन भी देना होगा। २० गुना रखा गया है तो वह लगान के साथ २० गुना देना उसकी हालत के बाहर होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि टेन टाइम्स रेन्ट का होना चाहिये और दस वर्षों में पेरबल होना चाहिये।

श्री देवीलाल (सारदा-सु०) : माननीय सभापतिजी, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि २० के बजाय १० गुना दिया जाय मैं इसका समर्थन करता हूँ। माननीय सभापतिजी, हमारे उदयपुर जिले में, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, वहां पर तो इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने काफी जमीन अच्छी की है और उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं। उन्होंने भूमि अच्छी बनाई है। इसका उन पर असर पड़ने वाला है। वे २० गुना के बजाय तो १० गुना भी देने लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि दस गुना रखा गया है वह भी नहीं होना चाहिये। मैं इसके खिलाफ हूँ। काश्तकार भी कभी इसको मन्जूर नहीं करेंगे और न देने के लिए तैयार होगा। मैं इतना ही कह कर बैठना चाहता हूं। आप इसको स्वीकार करें।

श्री फूला भाई (सलूम्बर-सु०) : सभापति महोदय, मैं मुआवजा देने के बारे में जो क्लॉज़ रखा है, उसके बारे में बोलता हूं। मैं २० गुना मुआवजा देने के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सोचता हूं कि यह मुआवजा दिया जा रहा है, दिलवाने के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता कि मुआवजा किस बात का, किस तरह का मुआवजा। उन लोगों को मुआवजा दिलाया जा रहा है जो कई वर्षों से लगान लेते आये, उनको मुआवजा मिला। वह मुआवजा नहीं है। बल्कि

(श्री फूला भाई)
उसको एक प्रकार से मदद दे रहे हैं, किसानों को दबाने के लिये। किसानों को दबाने के लिये एक हथियार मिल रहा है। इससे किसानों को वे हर वक्त दबायेंगे। मैं सदन के सामने यह बताना चाहता हूं आप जयपुर के परकोटे के बाहर देखिये, आपको झोंपड़ियां देखने को मिलेंगी, ठीक ऐसी ही झोंपड़ियां हैं जिनके पास उन्हीं से आप महल वालों को मुआवजा दिला रहे हैं। जिनके पास महल है, फैक्टरी, ट्रेक्टर, मोटर है उन्हीं लोगों को मुआवजा दिलाया जा रहा है। दबी हुई श्रेणी के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाय और ऊपर वालों को एक लेवल पर लाने का जो आप सोच रहे हैं वह क्या इसी तरह से एक होंगे? जो बीस गुना मुआवजा दिलाने के लिये जो आप धारा रख रहे हैं यह एक तरह से उनको आप कमजोर बना रहे हैं जो पहले ही कमजोर हैं। जो लोग अपने हाथ से काम करना नहीं चाहते उन लोगों को आप इसलिये दिलवाना चाहते हैं कि वे हमेशा ही इसी तरह से रहें। आज किसान भूमि का मालिक है, किसान अन्नदाता है, वह पीढ़ियों से जिस जमीन को जोतता आ रहा है जिसका खेती से कोई ताल्लुक नहीं, मुआवजा आप उसको दिला रहे हैं, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। दस गुना मुआवजा भी बहुत खतरनाक है। जिनके रहने के लिये महल हैं उनको आप हम झोंपड़ियों में रहने वालों से मुआवजा दिला रहे हैं। मैं इस बीस गुना मुआवजा देने के खिलाफ हूं और दस गुना भी मुआवजा न दिलाया जाय, यह मेरी राय है।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लछमणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं, इसलिये अब मेरे लिये ज्यादा कुछ कहने को नहीं रहा है। माननीय सोजत से आने वाले सदस्य ने गरीब किसानों के हक में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं यह समझ पाया हूँ कि एक खातेदार और सब-खातेदार का यह सवाल है। खातेदार जो सन् ५५ में बना किसी ने सन् ५४ में जमीन पर कब्जा किया, दो वर्ष पहले किया, चार वर्ष पहले किया उनको भी सन् ५५ में गवर्नमेंट द्वारा खातेदारी हक दिये गये। उसके बाद अगर किसी ने किसी को दो बीघा जमीन या चार बीघा जमीन जो खाली पड़ी थी उसको बोने के लिये दे दी तो इस धारा के तहत अब वह उसका मुआवजा दे या तो वह उसका मुआवजा दे नहीं तो वह जमीन उससे छुडाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो संशोधन प्रस्ताव रखा है वह गरीब किसानों के हित में है और न्यायकर है। दस गुना मुआवजा कोई कम मुआवजा नहीं है, यह भी किसानों को भारी पड़ेगा, उसकी पैदावार क्या है इसको देखते हुए जिसको खातेदारी हक मिल गये और जो सब-खातेदार के हक में रियायत मिलनी चाहिये, इसलिये इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस क्लॉज़ को कल के लिये रख दिया जाय। मैं इस पर अपना जवाब कल देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे फेक्ट्स फीगर्स हैं और स्टेट्स में इसके लिये क्या प्रोविजन्स है वहां क्या मुआवजा दिया गया है, उसको देखने के बाद मैं इसका जवाब दूँगा। मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में जो प्रोविजन

Page No.104

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

है, जिन डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कम्पेन्सेशन के प्राइज असेस किये गये हैं उन सब को सदन के सामने रखना उचित समझता हूँ ताकि सदस्य यह जान ले कि मौजूदा प्रोविजन रखा गया है वह ठीक है या नहीं। उससे कितना मुआवजा निकलता है, रेन्ट रेट के कारण कितना मुआवजा निकलता है, ये सब बातें देखकर मैं सदस्यों को जानकारी दूँगा। इसलिये इस क्लॉज को कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री सभापति : यह महत्वपूर्ण सवाल है इसलिये इसको कल के लिये रखा जाता है।

(क्लॉज़ ७)

श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (साँचोर) : यह मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ स्वीकृत की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ स्वीकृत की गई।

(क्लॉज़ ९)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, इस क्लॉज में इन्स्टॉलमेंट का सवाल है, इसलिये जब तक क्लॉज़ ६ पर कुछ निर्णय नहीं ले लेते तब तक इसका मूव करना ठीक नहीं होगा।

श्री सभापति : He says that clause 9 is dependant on Clause 6.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is different, How it is connected with it ?

श्री लक्ष्मीचन्द : दोनों को-रीलेटेड हैं फिर भी आपके आदेश के अनुसार मैं मूव कर देता हूँ। Omit part 2.

श्री दामोदरलाल व्यास : We are not ...Why dont' you utilise your time which is at our disposal ?

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, इसके अन्दर आप मुआवजा कितना गुना रखेंगे, क्या किश्तें होगी उसके बाद यह क्लॉज आयगा। यह क्लॉज उससे बहुत सम्बन्ध रखता है। इसलिए ज्यादा अच्छा यह होगा कि इस क्लॉज को भी कल के लिये रख दिया जाय।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, इसमें किश्तों का प्रश्न आता है, इसलिये यह सीधा सम्बन्ध रखता है मुआवजा देने के क्लॉज से अगर आप बीस गुना मुआवजा देना तय करते हैं तो ठीक बात है। अगर मुआवजा कम किया जाता है तो किश्तों की तादाद भी घटानी होगी। इसलिये इस प्रश्न का निर्णय भी क्लॉज छः के साथ ही लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री सभापति : क्लॉज ९ कल के लिये एडजोर्न किया जाता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़

(श्री सभापति)

नम्बर १०, ११ और १२ राजस्थान टिनेन्सी बिल (फिफ्थ अमेन्डमेन्ट) को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १०, ११ व १२ स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३, १४ और १५ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३, १४ व १५ स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज ४ बज कर ४१ मिनट पर कल दिनांक १६।१२।५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार १८ दिसम्बर, १९५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	७१५८	ग्राम भाबरी और नीतोड़ा के बीच में बनास नदी पर रपट बांधने की योजना ।	
सब-डिविजनल मेजिस्ट्रेट, ब्यावर के खिलाफ शिकायत ।		राजस्थान पुलिस सर्विस सलेक्शन कमेटी ।	
श्री राधावल्लभ व्यास जयपुर की गिरफ्तारी ।		पाली चेयरमैन को कर्मचारियों की नियुक्तियों के अधिकार ।	
नैनवारा-जागीर के जंगलों से ईंधन हटाने का ठेका ।		भरतपुर में दूसरे बिजलीघर का निर्माण ।	
बी० सी० जी०, यूनिट्स के लिए स्टेशन बैगन की बेच ।		बालोतरा–खेड़ मन्दिर की सड़क ।	
एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज के लाने व ले जाने पर रोक ।		आयुर्वेदिक औषधालय चौरू चकवाड़ा (तहसील फागी) के भूतपूर्व वैद्य का स्थानान्तरण ।	
नापासर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा भूमि की बेच ।		बापूनगर व गांधीनगर में चलने वाली बसों के विरुद्ध शिकायतें ।	
राजस्थान रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी और स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के सदस्य		दौसा-गंगापुर बिजली की लाइन ।	
ग्राम उम्मेदाबाद (जालौर) के सरपंच का चुनाव ।		राजगढ़ तहसील की पंचायतों के वार्ड्स ।	
मवेशी चराने वाले किसानों को पुलिस द्वारा पीटा जाना–थाना भंवरगढ़		हिन्डौन से जमालपुरा तक पड़े हुए डामर के ड्रम ।	
लालसोट कस्बे के पास का पहाड़ ।		रूपली नदी पर बांध बनाये जाने की योजना ।	

तहसील पंचायतों में हरिजन सदस्य नामजद किये जाने का तरीका।

ग्राम गजपुर में सिंचाई विभाग द्वारा तालाब बंधवाना।

पंचायत इन्स्पेक्टर द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट पेश किया जाना।

हणादरा से केरोटी सड़क का निर्माण कार्य।

पॉवर हाउस नाथद्वारा के लाइसेंस की शर्तें।

पांच से अधिक बार सस्पेन्ड पंचायत इन्स्पेक्टरों की संख्या।

सिंचाई योजनाएं-जिला झालावाड़।

सराड़ा तहसील पंचायत का चुनाव।

पलोदड़ा से सराड़ा तक पक्की सड़क बनाने का कार्य।

पंचायतों द्वारा पुलिस की सहायता से घर व बाड़े उखाड़ना।

एल. एस. जी. डी. कोर्स किये बिना कन्फर्म कर्मचारी।

देसूरी तहसील में कनक के बीज के वितरण में घोटाला।

गंगानगर के माइनरों से पानी का वितरण।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, उदयपुरवाटी का स्टॉफ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र ८२२५

सचिव, विधान सभा, ने सदन की मेज पर उन विधेयकों का विवरण रखा, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:

1. The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Ninth Amendment) Bill, 1958.

2. The Rajasthan Sales Tax Assessment and Recovery Validating Bill, 1958.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई—

1. The Rajasthan Live-Stock Improvement Bill, 1957.

2. The Rajasthan Panchayat (Second Amendment) Bill, 1958.

3. The Rajasthan Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1958.

4. The Rajasthan Colonisation (Amendment) Bill, 1958.

5. The Rajasthan Forest (Amendment) Bill, 1958.

9. The Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1958.

विधायी कार्य

१. पुरःस्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :

(१) राजस्थान बीज तथा बीज पौध विधेयक, १९५८

(२) राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज (एक्सटैंशन) संशोधन विधेयक, १९५८

(३) राजस्थान लैंड रिफार्म्स एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक, १९५८

२. विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन) विधेयक, १९५८

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदर-लाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, ३, ४ व ५—स्वीकार किये गये।

खण्ड ६ इस खण्ड पर ३ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए जिन पर २७ सदस्यों ने अपने २ विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात् खण्ड स्थगित रखा गया।

खण्ड ७ व ८—स्वीकार किए गए।

खण्ड ९—स्थगित रखा गया।

खण्ड १० से १५—स्वीकार किए गए।

शुक्रवार दिनांक १९ दिसम्बर, ५८ की कार्य सूची

(१) सदन की मेज पर रखे गए पत्र जन सेवा आयोग (छठा प्रतिवेदन) मेमोरेण्डम सहित।

(ब) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखा तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन, ५८।

(स) राजस्थान राज्य का वित्त लेखा तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन, ५७

(२) समितियों के प्रतिवेदनों के उप-स्थापना हेतु समय की वृद्धि की मांग।

(३) समितियों के प्रतिवेदनों का उप-स्थापन।

स्कम्भ

(अ) प्रवर समितियां (नियमों) का प्रतिवेदन ।

(ख) प्राक्कलन समिति, ५८–५९ के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

(४) राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन) विधेयक, ५८

(विचार–विमर्श एवं पारित)

स्कम्भ

(५) राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, ५८

(प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३५८ का उत्तर देखिये)

राजस्थान की तहसील पंचायतों की सूची

क्रम संख्या	नाम तहसील पंचायत
१	२
जयपुर	
१.	जयपुर
२.	चाकसू
३.	बस्सी
४.	आमेर
५.	जमवा रामगढ़
६.	दौसा
७.	बसवा (बांदीकुई)
८.	सिकराय
९.	फागी
१०.	बैराठ
११.	कोटपुतली
अजमेर	
१२.	किशनगंज
१३.	रूपनगर
१४.	अराई
सीकर	
१५.	दांता रामगढ़

१	२
अलवर	
१६.	अलवर
१७.	बानसुर
१८.	लछमनगढ़
१६.	राजगढ़
२०.	थाना गाजी
२१.	किशनगढ़
२२.	मुन्डावर
२३.	तिजारा
भरतपुर	
२४.	भरतपुर
२५.	नदवई
२६.	रूपवास
२७.	वेश्रर
२८.	डीग
२६.	कामां
३०.	नगर
३१.	धौलपुर (गीद)
३२.	राजाखेड़ा
३३.	बसेड़ी
सवाई माधोपुर	
३४.	सवाई माधोपुर
३५.	बौंली (मलारना चौड़)

१	२
३६.	खन्डार
३७.	गंगापुर
३८.	बामनवास
३९.	नादौती
४०.	टोडाभीम
४१.	महुआ
४२.	करौली
४३.	सपोटरा
टौंक	
४४.	दूनी
४५.	अलीगढ़ (उनियारा)
४६.	मालपुरा
४७.	टोडा रायसिंह

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १३६३ का उत्तर देखिये)

Sanction authcrising Manager Shree Krishan Bhandar, Nathdwara to engage in the business of supplying electrical energy to the public of Nathdwara.

GRANTED BY

The Government of Rajasthan under Section 28 of the Indian Electricity Act, 1910 (IX of 1910).

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Indian Electricity Act, 1910 (IX of 1910), the Government of Rajasthan hereby grants Sanction to the Manager Shree Krishan Bhandar, Nathdwara (here in after called the 'Sanctionee' which expression signifies the person for the time being holding the office of the Manager), to engage in the business of supplying electrical energy to the public of Nathdwara within the area, for the period and upon the terms and conditions as described below:

1. Area of supply:—The Municipal limits of the Nathdwara Municipality.

2. Rate:—The rates for electric energy to be supplied by the Manager will be as per those specified in the Schedule attached to this Sanction.

3. Period of Sanction:—This Sanction is valid only for a period of three years from the date here of.

4. Commencement of supply:—The Santionee shall commence the supply of electric energy here under not later than the expiry of six months from the date here of.

5. System of supply:—The system which is to be adopted for the supply of energy in pursuance of this Sanction will be medium pressure 50 cycle Alternating Current, 3-phase, 4-wires, 400/440 volts between phases and 230 volts between each phase and neutral point. The declared pressure of supply shall be as under:

(a) 230 volts between each phase and neutral for general purposes, viz. lights, fans and heaters etc.

(b) 400/440 volts between phases for motive power purposes.

6. Feeders & Service Lines:—The feeders, distributing mains and ervice lines may be aerial or underground in whole or in part. Nothing in

this Sanction shall be deemed to empower the Sanctionee to place electric lines at a pressure exceeding medium pressure along, over or across any place, road or street without the sanction in writing of the Electric Inspector to the Government of Rajasthan. Wherever and wherever required by the Electric Inspector to the Government of Rajasthan, such distributing mains and service lines shall be placed underground.

All electric installations shall have to be erected constructed and maintained in strict conformity with the Indian Electricity Act. 1910 (IX of 1910)and the Rules there under.

7. Certain provisions of Electricity Acts to be incorporated:—Such provisions of the Indian Electricity (Supply) Act, 1948 (LIV of 1948) as the Government of Rajasthan may order in writing specify, shall be deemed to be incorporated in this Sanction.

8. Cancellation:—This Sanction shall be liabile to be cancelled by the Government of Rajasthan if the working of the Concern continues to be inefficient and unsatisfactory after due warning in writing, has been given by the Electric Inspector to the Government of Rajasthan pointing out in express terms the defficiencies, if any, and demanding their rectificationi within a specified time.

Sd/-Z. S. Jhala
SECRETARY TO THE GOVERNMENT,
(Public Works Department)
Rajasthan, Jaipur.

SCHEDULE OF RATES.

I. Maximum Charges.

(a) Lighting and fans by meters -/8/- per unit (Permanent)
-do- -do- -/10/- per unit (Temporary)

(b) Refrigeratore and heaters for domestic use -/5/- per unit subject to a minimum charge of Rs. 10/- p. m. per K. W. installed and part thereof.

(c) For motive power (for flour mills etc and industries) -/5/- per unit subject to minimum charge of Rs. 5/- p. m. per B. H. P. installed.

II. Minimum Charges.

1-8-0 p. m. 2½ amp.)

2-10-0 ,, 5 amp.) Rs. 5/- as security deposit.

4-12-0 ,, 10 amp.) Rs. 10/- as security deposit.

Note : These rates will continue so long as the scheme is not developed. When the scheme is developed, the minimum charges may be decreseased with the approval of the Government of Rajasthan.

III. Meter Rent.

2½ amp. 0-6-0 p.m.

5 amp. 0-10-0 p.m.

10 amp. or above single meter Rs. 1/- p.m.

These phase power meters of 3 meters Rs. 1/- p.m. The sanctionee shall take from the consumers the following security deposit in order to cover up the delayed payment of Bills:-

LIGHTS POINTS.		POWER	
1. to 5	Rs. 5/-	1 H.P.	Rs. 20/-
6. to 10	Rs. 10/-	2 H.P.	Rs. 30/-
11. to 20	Rs. 15/-	3 H.P.	Rs. 30/-
21. to 30	Rs. 20/-	5 H.P.	Rs. 100/-
31. to 50	Rs. 25/-	7½ H.P.	Rs. 130/-
51. to above	Rs. 50/-	10 H.P.	Rs. 150/-
Heater Plugs.	Rs. 10/- each.	11 H.P. and above	Rs. 200/-

IV. SERVICE LINE.

One hundred feet of service line from the tapping point of the distrubuting main, but not on the property for which requisition for supply is recieved shall be laid free of charge. The charges for the rest of the service line shall be recovered at the actual cost plus 15% to cover O. H.

V. CONNECTION FEE.

(a) Connection fee for every installation to the supply mains including the fixing of meter of Rs. 15/-.

(b) If two or more connections are simultaneoualy made from the same service, the fee for each additional connection shall be Rs. 5/-.

(c) Re-connection fee for an installation which is disconnected on account of vacation of premises or non-payment of accounts or infringment of rule Rs. 2/- only.

Note : Owing to the staff of the Sanctionee being unable to obtain access to the meter, the disconnection has to be made from the main, either underground or overhead, the consumer shall have to pay all costs incidental to such disconnections and re-connection.

VI. Charges for attendance of fuseman—Annas -/8/- Only.

VII. TESTING.

(a) Installation:—The test and inspection prior to connection of a new installation shall be carried out free of charge, but should any futher test or inspection be found necessary owing to any fault in the inspection or non-compliance with the rules, charges for each additional test shall be Rs. 10/-.

(b) Testing of Meters:—In the case of a disputed meter, no charge shall be made for testing it, should the meter prove to be more than 3% fast or low, otherwise charges for the testing of the same shall be per meter Rs. 5/-.

Sb/-

Secretary to the Government.

परिशिष्ट ३

(प्रश्नकाल में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

सीकर जिले में चने की खरीद

१३७४. श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष सीकर जिले मे कितने रुपयों का, किस भाव से, कहां कहां से कितना कितना चना खरीदा गया ?

(ख) यह चना किस प्रणाली से खरीदा गया तथा जिस दिन खरीदा गया उस दिन मार्केट रेट्स क्या थीं ? किन किन अधिकारियों ने यह खरीद की ?

(ग) क्या यह सही है कि ज्यादा रेट्स से चना खरीद कर सरकार तथा काश्तकारों को हजारों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है?

(घ) क्या सरकार इस खरीद के सम्बन्ध में इन्क्वायरी कराएगी ?

(ङ) क्या यह सही है कि चने की खरीद के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, सीकर ने एक सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी ? यदि हां, तो फिर इस समिति के द्वारा खरीद क्यों नहीं कराई गई ?

उत्तर

(क) सीकर जिले में इस वर्ष २८४७६. २३ न० पै० का चना २०) रु० प्रति मन के भाव से ३६२४ मन सीकर में ही खरीदा गया जिसमें कीमत बोरी एवं ट्रान्सपोर्टेशन का व्यय भी सम्मिलित है ।

(ख) यह चना एक कमेटी के द्वारा जिसके सदस्य जिलाधीश, ट्रेजरी ऑफिसर, और जिला कृषि अधिकारी थे, टेन्डर्स के द्वारा खरीदा गया । उस दिन चने को मार्केट रेट्स १८ व १६ रुपए प्रति मन थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जी हां, राज्य सरकार की आज्ञा के अन्तर्गत एक सरकारी समिति जिसके सदस्य

'ख' इसमें वर्णित हैं, के द्वारा खरीद किया गया । इस समिति में एक गैर-सरकारी सदस्य को भी लिया गया था जो कि किसी कार्यवश नहीं आ सके ।

प्रश्न

बकानी तहसील में डिस्पेन्सरियां व औषधालय खोलने की मांग

१३७५. **श्री सम्पतराज जैन** (अकलेरा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बकानी तहसील में पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी डिस्पेन्सरियां तथा औषधालय खोले गये ?

(२) क्या उक्त तहसील की जनता व पंचायतों ने औषधालय तथा डिस्पेन्सरी खोलने की मांग की है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार वहां औषधालय या डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ?

(४) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) बकानी तहसील में पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई नई डिस्पेन्सरी व औषधालय नहीं खोली गई है ।

(२) जी हां, भालता में डिस्पेन्सरी खोलने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(३) फिलहाल भालता में डिस्पेन्सरी खोलने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है, परन्तु सरकार औषधालय खोलने का विचार रखती है ।

(४) वर्ष १९५९-६० में भालता में एक औषधालय और १९६०-६१ में ग्राम रटलाई में एक औषधालय खोले जा सकेंगे ?

प्रश्न

सरकार द्वारा काश्तकारों को अपने वापो शुदा बैरों से कृषि कार्य के लिये पेड़ काटने की छूट

१३७६. **श्री मोतीबाबा** (बाली) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने काश्तकारों को अपने बापीशुदा बैरों-खेतो से कृषि कार्य के लिये पेड़ काटने की छूट दे रखी है ?

(२) यदि हां, तो किस नियम के मातहत तथा कब से ?

(३) क्या तहसील बाली, जिला पाली में इसका पालन किया जाता है ?

(४) यदि नहीं तो क्या सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती कि कूएं व अन्य कृषि के आवश्यक औजारों के अचानक टूट जाने से उनका कार्य ठप्प हो जाता है और इजाजत लेने में काफी समय लग जाता है ?

(५) तहसील बाली में पिछले एक वर्ष में कितने काश्तकारों पर पेड़ काटने के मुकद्दमे दायर हुए हैं. कितने बरी हुए व कितनों को दन्ड दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा ८४ के मातहत दिनांक १५-१०-५५ से।

(३) जी हां।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) तहसील बाली में पिछले एक वर्ष में जिन काश्तकारों ने गैर खातेदारी की जमीन से बिना आज्ञा वृक्ष काटे उनके विरुद्ध १६ मुकद्दमें दायर हुए, उसमें से १२ मुकद्दमों से सम्बन्धित व्यक्ति बरी हुए एवं ४ मुकद्दमों से सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड दिया गया।

प्रश्न

भीम में मुन्सिफ का अभाव

१३७७. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़): क्या न्याय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) भीम में कब से मुन्सिफ नहीं है ?

(२) मुन्सिफ के अभाव में वहां मुकद्दमे आदि लेने की क्या व्यवस्था है ?

(३) इस समय स्थानीय मुन्सिफ न्यायालय में कितने मुकद्दमे पेंडिंग हैं ?

(४) उक्त मुकद्दमे के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(५) क्या स्थानीय जनता व स्थानीय बार की ओर से मुन्सिफ भिजवाने का सरकार

को आग्रह किया गया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(१) दिनांक २५-१०-१९५७ से

(२) मुकद्मे तथा प्रार्थना पत्र मुन्सिफ मजिस्ट्रेट राजसमन्द के न्यायालय में अर्पण होते हैं।

(३) मुन्सिफ भीम के न्यायालय में इस समय एक भी मुकद्मा विचाराधीन नहीं है क्यों कि भीम के समस्त विचाराधीन मुकदमात मुन्सिफ राजसमन्द के न्यायालय में परिवर्तित (ट्रान्सफर) कर दिये गये हैं।

(४) जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर ने समस्त विचाराधीन दीवानी मुकदमात को मुन्सिफ राजसमन्द के न्यायालय में ट्रान्सफर कर दिया था। दिनांक १-८-५८ से मुन्सिफ को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार भी प्रदान किये गये हैं। अतः यदि कोई फौजदारी मुकदमात विचाराधीन पड़े हों तो उस क्रम में जिलाधीश उदयपुर को कह दिया गया कि जब तक किसी अधिकारी की भीम में नियुक्ति न हो तब तक ऐसे मुकदमात को भीम के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निर्णय के लिए ट्रान्सफर कर दिया जावे।

(५) स्थानीय जनता तथा बार की ओर से प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं किन्तु आर० जे० एस० अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण भीम में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय को उस समय तक आस्थगित रखना पड़ रहा है जब तक कि नए अफसरों की भर्ती न हो जावे।

प्रश्न

पाली जिले में जल बोर्ड द्वारा कुंए बनाने हेतु दी गई धनराशि

१३७८. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में राजस्थान जल बोर्ड द्वारा कितनी धन राशि कुए बनाने के वास्ते दी गई तथा कितने कुंए कहां कहांपर बनाये गये

(२) ऐसे कितने कुएं हैं जो अभी तक अधूरे हैं उनको सम्पूर्ण कराने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम जिला विकास अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है।

उल्लेखित सूचियां अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में प्रेषित की गई ।

प्रश्न

भरतपुर जिले में आई हुई बाढ़ से मृतक पशुओं की संख्या

१३७६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) भरतपुर जिले में हाल ही में आई हुई बाढ़ के दौरान में पृथक् पृथक् तहसीलों में कितने पशु मरे ?

(२) सरकार ने इन पशुओं को मरने से बचाने के लिये क्या क्या कदम उठाये ?

(३) क्या सरकार को पता है कि इन पशुओं में दुधारू पशु तथा बैल ही अधिक मरे हैं ?

(४) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार किन्हीं उपायों को काम में लाने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(१)	तहसील बयाना में	१५२ पशु मरे।
	" बेअर में	१४५ पशु मरे।
	" धौलपुर में	१५३ पशु मरे।
	" राजा खेड़ा में	१२२ पशु मरे।
	" रूपवास में	६ पशु मरे।
	" भरतपुर में	८१ पशु मरे।
	" बसेड़ी में	२५ पशु मरे।

(२) यह प्रश्न इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं । इस विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न

भूपाल सागर तालाब की पाल

१३८०. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

क्या यह सही है कि भूपाल सागर तालाब की पाल तीन फीट ऊंची उठाई जा रही है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ हो रहा है ?

उत्तर

भूपालसागर तालाब की पाल का केवल डेढ़ फीट ही ऊंची करने का प्रस्ताव है। उसका तखमीना बन चुका है और उसकी जांच हो रही है।

प्रश्न

बकानी-झालरापाटन सड़क का पुनर्निर्माण

१३८१. **श्री संपतराज जैन** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बकानी-झालरापाटन रोड किस किस मील के बीच में खराब हो रही है ?

(२) इसको खराब हुए कितने वर्ष हो गये ?

(३) इस सड़क का मोटर बसों से रोड टैक्स लिया जाता है या नहीं ?

(४) सरकार इस सड़क की खराबी को दूर कराने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(१) मील ६ से ७ व ११ से २० तक।

(२) तीन साल से।

(३) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(४) मील ८ से १०–२१–२२ की खास मरम्मत की गई है तथा मील ६,११,१२ व १४ का काम जारी है।

प्रश्न

नगरपालिका बीदासर में महिला कर्मचारियों को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन

१३८२. **कुमारी शन्नोदेवी** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि नगरपालिका, बीदासर तहसील सुजानगढ़ में महिला कर्मचारियों को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उनको समान वेतन दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) नगरपालिका की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १८ दिसम्बर १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७१५८	११	बस स्टेन्ड यहां	बस स्टेन्ड यहां
७१६०	१०	मन्त्री माननीय महोदय	माननीय मंत्री महोदय
७१६३	अन्तिम से ५	Pelic	Police
७१६३	अन्तिम से २	Pelice	Police
७१६६	२७	Proparing	Preparing
७१६६	३०	Chart Coaa	Char Coal
७१७१	२२	Cotrect	Correct
७१८२	२३	Correc	Correct
७१८४	२	सम्निलित	सम्मिलित
७१८४	१०	उपेद्तं ?	उपेक्षा
७१८५	१३	(गिंयारा)	(उनियारा)
७१८७	३	श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा)	१३४१. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा)
७१८६	६	हीराराम	श्री हीराभाई
७१८६	११	१३४ श्री वीरका	१३४४. श्री वीरका (सिरोही स्म)
७१८६	२१	श्री हीराराम	श्री हीराभाई (कुशलगढ़)
७१९०	२२	apprґova	approval

१	२	३	४
७१६१	६	श्री मलचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
७१६३	६	विद्यु त मंत्री श्री रामकिशोर व्यास	विद्यु त मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास)
७१६६	११	काई दिक्कत	कोई दिक्कत
७१६७	११	की औ.र से	की ओर से
७२०६	१	पावधान	प्रावधान
७२०८	१५	दफ्फर	दफ्तर
७२०६	१८-१६	श्री नाथूराम (मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
७२१०	शीर्ष(स्कंभसं.)	७२०१०	७२१०
७२११	,, ,,	७२०११	७२११
७२१२	शीर्ष	त्रांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
७२१२	२४	१८१६ लाख	१८-१६ लाख
७२१३-१४	शीर्ष	१७ दिसम्बर	१८ दिसम्बर
७२१४	अन्तिम से २	सहसील	तहसील
७२१६	,, ४	दिये भये हैं	दिये गये हैं
७२२२	शीर्ष	२७२२	७२२२
७२२२	अन्तिम से ४	(गुढ़)	(गुढ़ा)
७२२५	१६	जिम पर	जिन पर
७२३५	२	राजस्य मंत्री	राजस्व मंत्री
७२३६	१६	आपने उसम	आपने उसमें
७२४७	१	(श्री दाभोदरलाल व्यास)	(श्री दामोदर लाल व्यास)
७२४६	२६	खातेद्न्	खातेदार

१	२	३	४
७२५०	२३	goey	goes
७२६३	४	(बालतरा)	(बालोतरा)
७२७३	१०	on apoint of oder	on a point of order
७२७३	१५	aready	already
७२७५	४	रिज्यून	रिज्यूम
७२८१	२६	कोई टिनेन्ग़ी	कोई टिनेन्ट
७२८७	शीर्ष	१८ यिसम्बर	१८ दिसम्बर
७२८७	नीचे से ३	नेरे	मेरे
७२९४	२३	खुदकात	खुदकाश्त
७२९५	१६	करता थ	करता था
७३०३	१२	चटुर्वेदी	चतुर्वेदी
७३०३	२	अर्थिक	आर्थिक
७३२४	अन्तिम से ५	rigt	right
७३२५	१५	कन्सर्न कोई	कन्सर्न को कोई
७३२५	अन्तिम	गुडविलि	गुडविल
७३२६	१३	को	की
७३२६	१६	राइट्स	राइट्स
७३२९	१८	कम्पेम्सेशन	कम्पेन्सेशन
७३२६	२४	सकके हैं	सकते हैं
७३३१	३	सबटिनेन्ट्स	सब टिनेन्ट्स
७३३८	२	neessary	necessary

१	२	३	४
७३३६	२	qroblem	problem
७३४१	१४	मैं से	में से
७३४४	अन्तिम	कॉन्सीस्ट्यूशनली	कॉन्स्टीट्यूशनली
७३५४	अन्तिम से ५	सब टिनेन्ट्सी	सब टिनेन्ट्स
७३६४	अन्तिम	श्री सभापति: प्रश्न यह है कि	प्रश्न यह है कि
७३६६–७०	शीर्ष	१७ दिसम्बर	१८ दिसम्बर
७३७२	अन्तिम से ३-४	उप स्थापना	उपस्थापन
७३७६	अन्तिम से ६	rectificationi	rectification
७३८५	१७	को भती	की भर्ती
७३८७	अन्तिम से ४	कुमारी शन्नोदेवी	कुमारी शन्नोदेवी (सुजानगढ़)